हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

4 सितम्बर, 1984

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1984

पृश्ठ संख्या

स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
तारांकित प्र न एंव उत्तर	(2)7
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गऐ तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(2)23

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–	
1. चौधरी देवी लाल द्वारा	(2)70
2. मुख्य मंत्री द्वारा	(2)72
3. सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा	(2)73
4. चौधरी देवी लाल द्वारा	(2)74
5. श्री मंगल सैन द्वारा	(2)78
6. ि ाक्षा राज्य मंत्री द्वारा	(2)79
7. सहकारिता तथा डैरी विकास मंत्री द्वारा	(2)80
8. मुख्य मंत्री द्वारा	(2)81
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(2)83
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– हरियाणा में बाजरे की फसल को हुए भारी नुक्सान संबंधी	(2)86
वक्तव्य– मुख्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(2)86
अध्यक्ष द्वारा घोशणा– ध्यानाकर्शण/नियम 84/स्थगन/मूल प्रस्तावों पर लिए गए	(2)89

निर्णयों संबंधी	
वर्श 1984–85 के सप्लीमैंटरी एस्टीमैटस (पहली कि त) पर चर्चा तथा मतदान	(2)101
बैठक का समय बढ़ाना	(2)114
वर्श 1984–85 के सप्लीमैंटरी एस्टीमैटस (पहली कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(2)114
बिल्ज– 1. दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल 1984	(2)117
बैठक का समय बढ़ाना	(2)124
दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल 1984 (पुनरारम्भ)	(2)124
बैठक का समय बढ़ाना	(2)130
दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल 1984 (पुनरारम्भ)	(2)131
2. दि पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1984	(2)133

हरियाणा विधान सभा,

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1984

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

We will begin with question No. 736, which was deferred from the list of starred questions for the 3rd September 1984 for today and thereafter the list of starred questions for today, the 4th September 1984 will be taken up Smt. Chandravati.

चौधरी ओम प्रका ाः उनके बिहाफ पर–737

श्री अध्यक्षः पहले सवाल नं0 736 होगा। क्या आपको उन्होंने सवाल पूछने के लिए आथोराइज किया है ?

चौधरी ओम प्रका ाः जी हां। औथौरिटी की एक काफी मैंने आपको भिजवा दी है और एक मेरे पास है।

श्री अध्यक्षः वह तो ठीक है लेकिन कल जो बातें उन्होंने कहीं उनका डिसप्लेयर भी क्या आप ही रिसीव करेंगे ?

चौधरी ओम प्रका ाः मुझे तो सवाल पूछने के लिए उन्होंने औथौराइज किया हैं

श्री अध्यक्षः कल उनका सवाल इसलिए डैफर किया गया था क्योंकि उनका गिला था कि उनके सवाल को तोड मरोड कर पे ा किया गया है।

चौधरी ओम प्रका ाः इसे कल तक आप डैफर कर दीजिए।

श्री अध्यक्षः रोज रोज डैफर नहीं हो सकता। उन्होंने ओरिजनल क्वै चन जो लिख कर भेजा था वह इस प्रकार है –

"क्या लोकल सैल्फ गवर्नमैंट कृपया बताएंगे कि जिलेवार 81–82, 82–83, 83–84 में कसबों व नगरों कितनों में सीवरेज सिस्टम का काम यिका और कितनों में मरम्मत की और इन कामों पर आइटमवाइज (हयूम पाईपस ऐटसैटरा) ऊपर लिखे सालों में कितना खर्च हुआ व कितने की तोडफोड हुई ?"

इस क्वै चन का इंगलि ा में जो ट्रांसले ान हुआ है वह आपके सामने है। दहिया साहब आप भी इसको पढ कर देख लीजिए और मुझे बता दीजिये कि इसमें कितनी कमी है।

डा0 भीम सिंह दहियाः इनको उन्होंने आज की लिस्ट के क्वै चनज को पूछने के लिए औथौराइज किया है। इस प्र न को आप कृपया कल के लिए डैफर कर दीजिए।

श्री कंवल सिंहः इस क्वै चन में उन्होंने यह भी पूछा है कि हयूम पाईपस आदि की ब्रेकैज कितनी हुई है लेकिन इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्षः उनका कहना यह था कि उनके क्वै चन को तोड मरोड करके गलत ढंग से बनाया गया है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उन्होंने विधान सभा सचिवालय के स्टाफ पर भी ऐलीगे ान लगाया था।

श्री अध्यक्षः मैंने इसे डैफर ही इसलिए किया था कि ताकि मैं यह देख सकूं कि विधानसभा सैक्रटेरिएट के स्टाफ ने तोड मरोड किया है या नहीं। विधान सभा के स्टाफ ने तो जितना इन्होंने सवाल दिया था उससे ज्यादा बेहतर बना कर दिया है। इसलिए विधान सभा सैक्रिटेरिएट के स्टाफ को बगैर किसी बात के कंडैम करना ठीक बात नहीं है। कम से कम लीडर आफ दी अपोजी ान अगर बिना सोचे समझे और अपने लिखे हुए के बरखिलाफ बात कहें तो अच्छा नहीं लगता।

क्या आप चाहते हैं कि इस सवाली को टेक अप किया जाए ?

श्री मंगल सैनः जरूर टेक अप किया जाए।

***736. Smt. Chandravati:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the districtwise number of towns and cities in the State where the work of laying sewarage system and repairs of the existing sewerage system has been completed during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84 separately; and

(b) the item wise (hume pipes etc.) amount of expenditure incurred on the works, as referred to in part (a) above, separately during the same years togetherwith the details of such items as were damaged due to breakage ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) सूचना सदन के पटल पर अनुबंध 1 पर प्रस्तुत है ।

(ख) सूचना सदन के पटल पर अनुबंध 2 पर प्रस्तुत है ।

अनुबन्ध 1

अतिरिक्त 3 नगरों में पूर्ण किये गये आंि ाक मल निकास कार्य का ब्यौरा वर्श सहित निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	जिला	1981–82	1982–83	1983–84
1	सोनीपत	1 (गोहाना)		
2	हिसार		1 (टोहाना)	
3	अम्बाला			1 (नारायणगढ)
मौजूदा मल निकास की मुख्य मुरम्मत का किया गया कार्य निम्नलिखित है :–				
क्र0 सं0	जिला	1981–82	1982–83	1983–84
1	भिवानी		1 (भिवानी)	1 (भिवानी)
2	जीन्द	1 (नरवाना)	1 (नरवाना)	1 (नरवाना)

अनुबन्ध – 2

मल निकास कार्य को आंि ाक रूप से पूर्ण करने के लिये मद अनुसार किये गये खर्चे का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(रूपये लाखों में)

क्र0 सं0	जिला	भाहर का नाम	मद का ब्यौरा	1981–82	1982–83	1983–84
1	सोनीपत	गोहाना	डिसपोजल कार्य तथा पाईप/ईटों का नाला	2.19	1.16	1.52
2	हिसार	टोहाना	(क) एस0 डब्ल्यू0 पाईप (ख) डिस पोजल कार्य	2.49 0.25	3.05 1.53	 0.75
3	अम्बाला	नारायणगढ़	एस0 डब्ल्यू0 पाईप	6.07	4.60	

मौजूदा क्षतिग्रस्त मल निकास स्कीम की मुख्य मुरम्मत का खर्च निम्नलिखित है :–
(रूपये लाखों में)

क्र0 सं0	जिला	भाहर का नाम	मद का ब्यौरा	1981–82	1982–83	1983–84
1	भिवानी	भिवानी	(क) ईंटों का नाला		0.20	0.26

			(ख) डिसपोजल कार्य		0.37	
2	जीन्द	नरवाना	(क) ईंटों का नाला (ख) डिसपोजल कार्य	0.11 0.33	0.37	0.26

चौधरी ओम प्रका ाः स्पीकर साहब, मुझे तो इसका रिप्लाई ही नहीं मिला है। उसके बगैर मैं सप्लीमैंटरी क्वै चन कैसे पूछ सकता हूं ?

चौधरी भजन लालः जवाव तो कल ही टेबल पर रख दिया गया था

श्री अध्यक्षः आपको जब सवाल करने की औथौरिटी मिली है तो साथ में कागज भी मिले होंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, भिवानी में जो सीवरेज का काम हुआ था वह जगह जगह धंस गया है। कई बार तो जान माल का नुकसान भी हो चुका है। क्या मुख्य मंत्री जी वहां हुए काम के बारे में जांच करवाएंगे और जो आदमी गलत काम करने के दोशी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, भिवानी में सीवरेज 1930 से हैं। ज्यों ज्यों आबादी बढती है सीवरेज का काम आगे बढाना पडता है। अगर माननीय सदस्य को किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में, व्यक्ति के बारे में या अधिकारी के बारे में कोई एतराज है तो ये लिख कर भेजें। उसकी हम जरूर इंक्वायरी करेंगे। (विघ्न) अगर कहीं सीवरेज खराब हो गया है तो उसे ठीक कराना सरकार का कर्त्तव्य है और यह उसे ठीक कराएगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः वह नीचे धंस रहा है।

चौधरी भजन लालः धंसने के कई कारण हैं। जब सीवरेज डाला गया था उस समय वाटर लैवल 40 फुट था लेकिन अब वाटर लैवल सिर्फ 15 फुट पर आ गया है। सीवरेज जब डाला गया था तो पाईप 20 फुट नीचे डाली गई थी। लेकिन अब वहां पानी पहुंच गया है। इसलिये हो सकता है कि कहीं जगह बैठ गई हो। उसका सरकार इंतजाम करेगी ताकि वह ठीक हो जाए।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, गोहाना में 1981–82 में 2. 19 लाख, 1982–83 में 1.16 लाख और 1983–84 में 1.52 लाख रूपये पारि ासल सीवरेज सिस्टम के लिए खर्च किए गए। इसके अलावा वहां की मार्किटिंग कमेटी ने पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंअ के पास 20 लाख रूपए जमा करवा रखे हैं। क्या मुख्य मंत्री जी वहां सीवरेज के काम को तेजी से करवायेंगे ताकि मल व्यवस्था ठीक हो सके।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चन्द्रावती जी ने जो सवाल पूछा है उसके जवाब में मैंने बताया है कि गोहाना, टोहाना और नारायणगढ में सीवरेज का काम भुरू किया गया था तथा वर्श 1981–82, 1982–83 और 1983–84 में जितना पैसा खर्च किया गया है उसकी डिटेल्ज भी जवाब में दी गई है। गोहाना के बारे में इन्होंने जो फिगर्ज बताई हैं वे बिल्कुल सही हैं लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आगे भी हम इन भाहरों की जरूरत के मुताबिक और पैसा देंगे ताकि इनकी स्कीम्ज जल्दी कंप्लीट हो जाएं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह हमारे पास है। सवाल का बी पार्ट में पढना चाहूंगा। इसमें लिखा है –

"The itemise (hume pipes etc.) amount of expenditure incurred on the works, as referred to in part (a) above, separately during the same years togetherwith the details of such items as were damaged due to breakage."

इसका कोई जवाब मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया। क्या इसके बारे में ये कोई रो ानी डालेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो तीन भाहरों के बोर में सवाल पूछा है उनमें हयूम पाईपस लगे ही नहीं, इसलिये इसका मैं क्या जवाब दें ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब मैं इस सवाल के बी पार्ट को फिर पढ कर सुना देता हूं–

"The itemise (hume pipes etc.) amount of expenditure incurred on the works, as referred to in part (a) above, separately during the same years togetherwith the details of such items as were damaged due to breakage."

इसमें और आइटम्ज का भी जिक्र है। उन पर कितना खर्चा लगा है, कितने उनमें से टूट गये हैं, क्या मुख्य मंत्री महोदय वह खर्चा बतायेंगे ?

चौधरी भजन लालः वहां पर स्टोन वेअर पाइपस लगे हैं, हयूम पाइपस नहीं लगे हैं। जब वहां पर हयूम पाइपस लगे ही नहीं, तो खर्चा किस चीज का बतायें।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, बहिन जी ने सवाल तो मुख्तसर सा पूछा था लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि केवल तीन भाहरों में सीवरेज का काम हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि केवल तीन भाहरों में ही नहीं हुआ है बल्कि रोहतक भाहर में भी सीवरेज का काम सन 1983–84 में हुआ है। इन्होंने यह भी कहा था कि पानी का लेवर ऊपर आ गया था इसलिये वहा ंपर सीवरेज पाइपस टूट गई। क्या मुख्य मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात है या ऐक्सपर्टस ने इन्हें बताया है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट की बंगलिग की वजह से और ठेकेदारों की बेइमानी की वजह से सीवरेज पाइपस टूटी हैं, औवर फलो हुई हैं या ब्लाके हुई हैं ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, डाक्टर साहब बहुत ही काबिल मैम्बर हैं। जब भी कोई बात कहते हैं तो बडी लच्छेदार बात करते हैं और बडे अन्दाज के साथ नमक मिर्च लगा कर करते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल अचानक इतनी ज्यादा बारि ा हुई जिसके कारण रोहतक में पानी भर गया और सीवरेज सिस्टम में कुछ खराबी हो गई। अब आप यह बतायें कि ठेकेदार का इसमें क्या कसूर हैं ?

श्री मंगल सैनः आपने दो इंजीनियर्ज को सस्पैंड किया था और अब उन्हें बहाल कर दिया है।

चौधरी भजन लालः हमने उन्हें बहाल नहीं किया। हाई कोर्ट ने बहाल किया है और इसलिए बहाल किया है कि टाईम पर चार्ज ीट नहीं दी गई थी। अगर बरसात अचानक ज्यादा हो जाये तो थोडी बहुत सीवरेज सिस्टम में खराबी आ ही जाती है जैसा कि पिछले साल रोहतक में हुआ। रोहतक के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, वहां पर भी काम चल रहा है। यह जो काम किया है यह नया काम भाुरू किया था। वैसे बाकी भाहरों में भी काम चल रहा है। कुल 83 भाहरों में से 41 भाहरों में काम चल रहा है।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Expenditure on street lights in the Cities and Towns in the State

***737. Smt. Chandravati:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the districtwise amount of expenditure incurred on street lights in towns and cities in the State during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84 separately;

(b) the details of itemwise market price of tubes, chokes and sodium vapour bulbs alongwith the price at which

these were purchased during the period referred to in part (a) above; and

(c) the districtwise value of tubes, chokes and sodium vapour bulbs that got fused during the period referred to in part (a) above, separately ?

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a), (b) & (c): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The district wise amount of expenditure incurred on street lights in towns and cities in the State during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84 is as under :-

Name of the Distt.		Expenditure incurred during the year (In Rs.)		
		1981-82	1982-83	1983-84
1	Faridabad	344352	327395	378898
2	Gurgaon	151556	177398	170946
3	Sonepat	173489	355053	245586
4	Hissar	869402	167509	124230
5	Sirsa	90495	191392	98135
6	Bhiwani	131604	133302	138235

7	Jind	133563	105385	94065
8	Mohindergarh	92139	60992	104082
9	Rohtak	94260	56533	98633
10	Karnal	1516182	237480	213768
11	Ambala	280717	88388	42131
12	Kurukshetra	95993	67102	68029

(b) The tubes, Chokes and sodium vapour bulbs are provided by the Panchayats/Municipal Committees/Local Bodies as per the agreement. There is not street light connection at present where the replacement of the above items is done by H.S.E.B. and as such no purchase of tubes, chokes and sodium vapour bulbs were made for street light replacement by the Board.

(c) Question does not arise in view of the 'b' above.

चौधरी ओम प्रका ा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो इन्फर्मे ान सदन की टेबल पर रखी है उसमें डिस्ट्रिक्टवाइज फिगर्ज दी हैं कि स्ट्रीट लाईट पर कितना खर्चा हुआ हैं अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने बताया है कि हिसार में सन 1981–82 में 869402 रूपये 1982–83 में 167509 रूपये और सन 1983–84 में 124230 रूपये स्ट्रीट लाईट पर खर्च हुए हैं। सन 1983–84 में स्ट्रीट लाईट का खर्चा घटाा है बढा नहीं। इसमें कुछ घपला पडता है क्योंकि डिवैल्पड भाहरों और कन्ट्रीज में खर्चा बढना

चाहिए न कि घटना चाहिए। इसी तरह से रोहतक के अंदर सन 1981–82 में 64260 रूपये खर्चा हुआ तो सन 1982–83 में घट कर 56533 रूपये आ गया और कुरूक्षेत्र में सन 1982–83 में 67102 रूपये खर्चा हुआ है तो सन 1983–84 में 68029 रूपये खर्चा हुआ यानी कुरूक्षेत्र में तो खर्चा बढ गया परन्तु रोहतक जैसे बडे भाहर में घट गया। इसका क्या कारण हैं ? क्या वहां पर स्ट्रीट लाईट फैसिलिटिज कम अवेलेबल हैं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब 12 जिलों का खर्चा दिया है वह सब वेरी करता है ईयर टू ईयर। यह बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे जरूरत हुई उसके अनुसार हुआ है। एक साल में कहीं कम हुआ है तो दूसरे साल वहां ज्यादा हुआ है। किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे जिलों की इन्फर्मे ान हाउस की टेबल पर रखी हुई हैं किसी के साथ कोई भेद भाव नहीं हुआ है।

श्री मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय के नोटिस में आया है कि रोहतक की गलियों में प्रायः लाइट खराब रहती है और लोगों का विचार है कि जो सामान डिपार्टमैंट से सप्लाई किया जाता है वह सामान लगने की बजाये बाहर ही बाहर बिक जाता है ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस बारे में सरकार ने क्या ऐक ान लिया है ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, भाहरों और कस्बों में स्ट्रीट लाईट लगाने की नीति इस प्रकार है कि बिजली बोर्ड का म्यूनिस्पिल कमेटी से एग्रीमैंट होता है और ऐग्रीमैंट के मुताबिक इरैक ान का खर्चा उनपसे चार्ज नहीं किया जाता है। जहां तक रिप्लेसमैंट के खर्चे का सम्बंध है जैसे टयूबज चेंज करना या बल्क आदि चेंज करना है यह सब लोकल बाडीज वाले करते हैं। बिजली बोर्ड वाले नहीं करते। बिजली बोर्ड 57 पैसे पर यूनिट के हिसाब से स्ट्रीट लाइट का खर्चा चार्ज करता है। बिजली बोर्ड इस तरह का कोई सामान भी नहीं खरीदता है, लोकल बाडीज खरीदती हैं।

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब रोहतक के अंदर जैसे कि मिनिस्टर महोदय ने फिगर्ज दी हैं उनके अनुसार सन 1982–83 में 56533 रूपये खर्च किये गये जबकि सन 1981–82 में ज्यादा खर्च किये गये थे यानी अगले साल उस पर ज्यादा खर्च करने की बजाये कम खर्च किया गया। स्पीकर साहब मिनिस्टर साहब के नालेज में भी है कि रोहतक के अंदर फलड आता रहा है, वह पानी वहां से रिमूव नहीं हुआ है बल्कि रिडयूस हुआ है। आज के दिन रोहतक की गलियों में लाइट नहीं, किसानों के टयूबवैल्ज पर लाइट नहीं है, लाइट तो रोहतक भाहर के पानी को रिडयूस करने के लिए यूज की जा रही है। इस बिजली से पहले वे पम्पस 36 क्यूसिक पानी फैंकते थे अब वे सौ क्यूसिक या 150 क्यूसिक फैंक देते हैं। पहले रोहतक में पानी सात दिन में घुसता

था अब दो दिन में ही घुस गया है। यह जो आपने रोहतक को बिजली दी हुई है यह तो टयूबवैल्ज और पानी निकालने के लिए भी काफी नहीं है स्ट्रीट लाइट के लिए बहुत ज्यादा बिजली की आव यकता है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः रोहतक भाहर में न कोई फ्लड का पानी है और न ही किसी गांव में है। जहां तक स्ट्रीट लाइट का संबंध है, हुडडा साहब रोहतक भाहर में कई सालों से रहते हैं और वहीं पर ही वकालत करते हैं, आजकल ये सदन के मैम्बर भी हैं। ये लोकल बाडी को प्रैस करें कि जो फ्यूज बल्ब हैं उन्हें वह रिप्लेस करें क्योंकि वही रिप्लेस करते हैं हम नहीं करते हैं। जहां पर भी अंधेरा देखें उनसे इस बारे में बात करें।

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। अम्बाला जो कि इनके जवाब की स्टेटमैंट में सीरियल नम्बर 11 पर है, में 1981–82 में 280717, 1982–83 में 88388 और 1983–84 में 42131 रूपये खर्चा दिखाया गया है। अगर देखा जाये तो यह खर्चा केवल 15 परसैंट ही रह गया है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि अम्बाला के साथ इतनी बेइंसाफी क्यों है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, अम्बाला की फिगर्ज के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अम्बाला एक पुराना

डिस्ट्रिक्ट हैं जबकि काफी डिस्ट्रिक्ट नये बने हुए हैं। यह ठीक बात है कि 12 डिस्ट्रिक्टस में से केवल एक दो को छोड कर सबसे कम खर्चा अम्बाला में हुआ है। इसका कारण यह रहा होगा कि जो काम पहले हो चुका है, उस पर दोबारा से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब तो सिर्फ रिप्लेसमैंट ही होती होगी। अब यहां पर खर्चा नैचुरली कम आयेगा।

श्री ए0सी0 चौधरीः सर, जब एच0एस0ई0बी0 के साथ म्यूनिसिपल कमेटी का या लोकल बोडीज का एग्रीमैंट होता है, तब उनके बिल कम होने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिये। वह तो तभी कम होगा जब उनकी कन्जम्प ान कम होगी क्योंकि ऐग्रीमैंट के मुताबिक सामान लोकल बौडीज ने या म्यूनिसिपल कमेटीज ने देना होता है और उनकी रिप्लेसमैंट बोर्ड ने करनी होती है। रूल्ज यह कहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उस सामान की रिप्लेसमैंट नहीं की जाती है तो सरचार्ज चार्ज किया जा सकता है। मैं इनसे यू पूछना चाहता हूं कि इस खर्चे के कम होने का कारण क्या यह तो नहीं है कि इन लाईटस की रिप्लेसमैंट बोर्ड नहीं कर पाया है। दो सालों से तो खम्भे न होने की वजह से बोर्ड फरीदाबाद में स्ट्रीट लाईट भी प्रोवाइड नहीं कर पाया है। क्या इस बारे में वे कोई कैटेगोरिकल ऐ योरैंस देंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, इनका यह कहना कि रिप्लेसमैंट न होने की वजह से बिजली के बिल कम आने लगे होंगे, यह तो जनरल और वेग सी बात है। अगर इनको कोई बात

पता हो तो बतायें कि इनके टाउन में जो अथौरिटील है, उसने टयूब्ज और बल्बज सप्लाई कर दिये हों और बिजली बोर्ड ने लगाये न हों। इनकी यह बात ठीक है कि लोकल बाडीज या म्यूनिसिपल कमेटीज सामान मुहैया करती हैं और बिजली बोर्ड के आदमी उसको रिप्लेस करते हैं मैं यह बात पहले कह चुका हूं कि उन लाइटस की रिप्लेसमैंट करवाना बिजली बोर्ड की जिम्मेवारी नहीं है। यह तो लोकल बौडीज या म्यूनिसिपल कमेटीज की अपनी डियूटी है। बिजली बोर्ड की डियूटी सिर्फ लाईन्ज करनी है। एक तो वह यह बतायें कि फलां जगह पर स्ट्रीट लाईटस प्रोवाईड नहीं की गयीं हालांकि वहां की म्यूनिसिपल कमेटी ने दरख्वास्त दे रखी है। फिर मैं देख लूंगा।

श्री ए0सी0 चौधरीः सर, फरीदाबाद काम्पलैक्स एडमिनिस्टे ान ने 700 प्वायंटस के लिये दो साल पहले बोर्ड को लिखा था। बोर्ड ने यह कहा कि हमारे पास खम्भे नहीं हैं। आखिरकार उनका यह म्युचुअल ऐग्रीमैंट हुआ कि खम्भे वहां की ऐडमिनिस्ट्रे ान खरीद कर दे देगी लेकिन उसकी पेमैंट बाद में ऐडजस्ट कर ली जायेगी। दो साल पहले खरीदे हुए खम्भे आज रोड साईडज पर पडे हुए हैं। इनके पास अब कंडक्टर्ज या कुछ दूसरी आईटम्ज नहीं हैं जिसकी वजह से यह वहां पर प्वायंटस नहीं दे रहे हैं। यह उस एग्रीमैंट का पार्ट है कि म्यूनिसिपल कमेटी या लोकल बोडी इनको मैटीरियल सप्लाई करेगी और यह उस मैटीरियल को लगायेंगे।

श्री अध्यक्षः आप तो स्टेटमैंट दे रहे हो। आप सिम्पल सा क्वै चन पूछ लीजिये।

श्री ए0सी0 चौधरीः सर, मैं क्वै चन ही पूछ रहा हूं। खम्भे तो फरीदाबाद ऐडमिनिस्ट्रे ान द्वारा खरीदे पडे हैं लेकिन अब भी ये वहां पर प्वायंटस नहीं दे रहे हैं। लिहाजा मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उस म्युचुअल ऐग्रीमैंट की वायले ान नहीं हो रही है। जहां तक ऐग्रीमैंट की बात यह करते हैं उस ऐग्रीमैंट में यह कवर्ड है कि बिजली बोर्ड सामान की रिप्लेसमैंट करेगा। क्या यह बिजली बोर्ड के पार्ट पर फाल्ट नहीं है और अगर है तो क्या इसे रैक्टीफाई करने की कोि ा ा करेंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, वर्टीकल खम्भे लगाने का काम तो बिजली बोर्ड खुद करता है। अगर किसी जगह पर या किसी एरिया में स्ट्रीट लाईट न हो तो खम्भे लगाने का काम बिजली बोर्ड का है। आज पहली बार चौधरी साहब मेरे नोटिस में यह बात लाये हैं। आज से पहले इन्होंने न कभी मुझे कहा, न कभी चिट्ठी लिखी और न ही कभी यहां पर बताया। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी वहां पर खम्भे इरैक्ट करने के लिये बिजली बोर्ड को कहेंगे।

चौधरी नेकी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं। भाखडा नहर के टूटने की वजह से और वक्त पर पानी न बरसने की वजह से

लोगों को भारी परे ाानी उठानी पडी है। इसी वजह से जमींदार वक्त पर बिजली के बिल्ज पे नहीं कर सके और उनके कनैक ान काट दिये गये हैं। क्या मंत्री महोदय ऐसे लोगों के कनैक ान जिनके कनैक ान बिल पे न करने की वजह से काट दिये गये हैं, बिना उनके किसी खर्चे के फिर से लगवाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, सिरसा और फतेहाबाद के इलाकों में दोनों दफा जब इस बी0एम0एल0 का कट हुआ तो हमने 24 घंटे बिजली दी है। बाकी सब जगह बिजली कम करके इस इलाके में हमने 24 घंटे बिजली दी है। (व्यवघान व भाोर) जब हमने उनको 24 घंटे बिजली दूसरी जगहों से कट करके दी है, यह अगर बिजली के बिल भी न पे करें तो यह ठीक बात नहीं है। जहां तक इनके बिल न पे करने की वजह से डिस कनैक ान की बात है, वह तो कायदे के मुताबिक ही री कनैक्ट हो सकते हैं।

श्रीमती भाारदा रानीः यहां पर बताया गया है कि कुछ सामान न होने की वजह से स्ट्रीट लाईटस नहीं लगायी जा रही है। स्पीकर साहब जब भी हम फरीदाबाद कनैक ान लेने के लिये बात करते हैं, चाहे वह स्ट्रीट लाईट हो, या घर की लाईट हो या टयूबवैल के लिये कनैक ान की बात हो या डोमैस्टिक कंजम्प ान के लिये लाईट की बात हो, हमें यह कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर्ज पर आलरैडी लोड ज्यादा है, और ट्रांसफार्मर्ज लगने पर आपको कनैक ान दिया जा सकेगा। मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि

क्या यह बात इनके नोटिस में है ? कल सवेरे ही एक सवाल के जवाब में यह बताया गया है कि 46 ट्रांसफार्मर्ज फरीदाबाद में रिप्लेस होने के लिए पडे हुए हैं जिनके कारण जिनको कनैक ान मिले भी हुए हैं उनको भी बिजली नहीं मिल रही है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नये ट्रांसफार्मर्ज कब तक वहा ंपर देने की कृपा करेंगे ताकि वहां पर लाईटस की व्यवस्था हो सके ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, हमारे यहां सारी स्टेट में कुल 40000 कंज्यूमर ट्रांसफार्मर्ज हैं सर्किलवाईज अगर देखा जाये तो फरीदाबाद सर्किल में 36 ट्रांसफार्मर्ज कुल होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो ट्रांसफार्मर्ज वहां पर रिप्लेस होने हैं, यह कोई 2–3 हफ्ते पुराने ही होंगे, इससे फालतू समय के नहीं होंगे।

एक आवाजः तीन साल पहले के हैं।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः तीन साल पहले के नहीं हैं। एक महीने से ज्यादा का कोई ट्रांसफार्मर हरियाणा में डैमेज्ड नहीं है। यह हो सकता है कि किसी टयूबवैल को कनैक ान देने के लिये ऐप्लीके ान तीन साल से पैंडिंग पडी हों। उसके लिये भी सरकार ने यह फैसला किया है और बिजली बोर्ड को यह डायरैक ान दे दी गयी है कि नवम्बर तक एक साल से ज्यादा पुरानी जिसकी एप्लीके ान टयूबवैल कनैक ान के लिये

पैंडिंग पडी हों, उन सबको कनैक ान अगली फसल की बिजाई से पहले पहले दे दिया जाये।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने हिसार जिले के बारे में जो आंकडें दिये हैं, वे इस तरह से हैं कि 1981–82 में 869402 रू0 1982–83 में 167509 रू0 और 1983–84 में 124230 रू0 खर्च हुए। क्या इस खर्चे के अंदर कमी होने का कारण यह तो नहीं है कि इन दो सालों में बिजली ही बहुत कम मिली है या इसके अलावा कोई दूसरा कारण है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: सर, इस खर्चे में एनर्जी चार्जिज तो बहुत कम होते हैं। (विघ्न) इसमें अकेले एनर्जी चार्जिज ही नहीं है, दूसरे खर्चे इरैक ान वगैरा के भी भाामिल हैं। हिसार एक बहुत बडा टाउन है, वहां पर आर्मी काम्पलैक्स भी है, एच0एस0ई0बी0 की कालोनी भी है, यूनिवर्सिटी भी है। वहां पर स्ट्रीट लाईटस के अलावा दूसरे खर्चे भी हैं। ऐसे खर्चे तो केवल एक बार ही होते हैं, बार बार नहीं होते। ऐसी चीजें तो कई सालों के बाद ही टूटती हैं और उनको रिप्लेस करने के लिये बहुत देर बाद ही खर्चा करना पडता है।

10.00 बजे।

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, ऐसा लगता है मिनिस्टर्ज को गलत बयान देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मिनिस्टर महोदय ने कहा कि चौबीस घंटे बिजली सिरसा, हिसार

और फतेहाबाद में दी जा रही थी। हालत यह है कि राजस्थान कैनाल से पानी उठाकर कुछ नहरों में डालना था लेकिन वहां बिजली नहीं थी और वह पानी नहीं डाला जा सका। टयूबवैल्ज की भी यही हालत है कि वहां पर कोई बिजली नहीं दी गई। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सच नहीं है ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, चौधरी साहब अपने इलाके में बहुत कम जाते हैं, ज्यादातर तो ये रोहतक और सोनीपत में रहते हैं। मैं खुद वहां पर गया था जहां पर पानी लिफ्ट हो रहा था और वहां पर पूरी बिजली दी जा रही थी तथा पूरा पानी लिफ्ट हो रहा था। स्पीकर साहब, सिरसा और फतेहाबाद के इलाके को चौबीस घंटे बिजली देने के आदे ा बोर्ड को दिए थे और बीस घंटे निरन्तर बिजली वहां दी गई है। अगर कोई लाइन टैम्परेरी खराब हो गई हो तो दूसरी बात है।

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, मैं खुद जाकर वहां से आया हूं वहां पर कोई बिजली नहीं थी। जब भाखडा की नहर टूटी उस समय मैं वहां पर था। मैंने इनको कहा कि वहां जाकर देखो पांच दस गांव तो बचाए जा सकते हैं। अबूब भाहर में 17 पम्प लगे हुए हैं लेकिन वहां पर बिजली नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः मंत्री महोदय ने कहा है कि चौबीस घंटे बिजली दी गई। स्पीकर साहब, यह सच्चाई से दूर की बात

है। स्पीकर साहब, स्ट्रीट लाइट किसी गांव में भी नहीं है। इन्होंने जवाब में कहा है कि वर्तमान समय में ऐसा स्ट्रीट लाईट कनैक ान कहीं भी नहीं है जहां पर कि उपरोक्त मदों को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बदलता हो इसलिए बोर्ड द्वारा कोई भी खरीद नहीं की जाती। स्पीकर साहब, पोजी ान यह है कि पंचायत एक रूपया पर मंथ पर मीटर चार्ज करती हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रिप्लेसमैंट पंचायतों द्वारा की जाती हैं या बिजली बोर्ड द्वारा की जाती हैं ? दूसरी बात यह है कि इन्होंने तीन साल का लाइट स्ट्रीट का खर्चा बताया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपाच करेंगे कि इसमें से भाहरों पर कितना खर्च किया गया और गावों में कितना खर्च किया गया ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, गांव में बिजली लगाने का कायदा इस प्रकार है। पंचायतें स्ट्रीट लासट के बारे में रैजोल्यू ान पास करती हैं। यह रैजोल्यू ान दरखास्त ट्रीट करके गांव में स्ट्रीट लाइट लग जाती है। इसका खर्चा गांव वालें को नहीं देना पडता। मतलब यह है कि स्ट्रीट लाइट लगाना फ्री आफ चार्ज है। पहले इस बारे में नीति यह थी कि एक रूपया पर कंज्यूमर पर मंथ चार्ज करते थे और यह इन ल्यू आफ अनर्जी चार्जिज रिप्लेसमैंट और मैंटीनैंस चार्जिज था लेकिन चुंकि बहुत से गांवों में स्ट्रीट लाइट लगी थी उनसे भी यह चार्ज किया जा रहा था इसलिए छः आठ महीने पहले सरकार ने इस पर पुनर्विचार किया और बिजली बोर्ड को आदे ा दिया कि जहां बिजली नहीं है

और एक रूपया चार्ज किया जा रहा है। वह चार्ज न किया जाए। जब स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगी तो एक रूपया पर कंज्यूमर चार्ज कर लिया जाएगा।

दूसरी बात यह है कि पहले छः से पन्द्रह के बीच एक गांव में स्ट्रीट लाइट के प्वायंट लगाए जाते थे। सरकार ने यह समझा कि यह उचित नहीं है क्योंकि बहुत से गांव बहुत बडे हैं। पन्द्रह बल्क से वहां कुछ नहीं हो सकता। अब बीस घर पर एक बल्ब के हिसाब से स्ट्रीट लाइट लगाते हैं चाहे गांव में सौ बल्ब लग जाएं।

स्पीकर साहब, हरियाणा में 7152 गांव हैं और 4100 गांवों में स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं और बाकी के गांवों की पंचायतें जैसे जैसे प्रस्ताव पास करके दरखास्तें देंगी स्ट्रीट लाइट लगा दी जाएगी। इन ल्यू आफ अनर्जी चार्जिज, रिप्लेसमैंट और मैंटीनैंस चार्जिज एक रूपया पर कंज्यूमर चार्ज करते हैं और यह तभी चार्ज करते हैं जब कि स्ट्रीट लाइट वहां पहुंच जाती है।

Book written by DPI (Schools) Haryana

***733 Ch. Sahab Singh Saini:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether any book has been written by Sh. K.C. Sharma, former DPI (Schools) Haryana;

(b) whether the books, as referred to in part (a) above, if any written was written witht the permission of the State Government, if any required, if not, the reasons therfor; and

(c) whether the book, as referred to in part (a) above, has been prescribed for compulsory purchase for any of the schools in the State; if so, details of all such schools ?

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) No.

चौधरी साहब सिंह सैनीः मंत्री जी ने पार्ट सी के जवाब में कहा है 'नहीं'। प्र न का सी पार्ट यह था, "क्या ऊपर के भाग क में यथा निर्दिश्ट पुस्तक राज्य के किन्हीं स्कूलों में जरूरी खरीदने के लिए निर्धारित की गई है, यदि ऐसा है तो ऐसे सभी स्कूलों का ब्यौरा क्या है ?" क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि यह किताब स्कूलों में कम्पलसरी लगी है या नहीं लगी है ? अगर लगी है तो वे इस किताब में से कोई पेज या कोई पैरा पढकर बताएं कि इसमें कहीं कोई करैक्टर बिल्डिंग की बात है ? स्पीकर साहब, यह किताब पिछले सात स्कूलों में लगाई गई है और सभी स्कूलों में लगी हुई है और पंचायतों में लगी है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्षः उन्होंने पहले ही कह दिया है कि लगी नहीं है।

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, यह किताब कम्पलसरिली नहीं लगी है। स्कूल्ज में जो किताबें खरीदी जाती हैं उनकी ऐप्रव्ड लिस्ट पर यह किताब है। 1983–84 में स्कूलों और लाइब्रेरीज के लिए किताबें ऐप्रूव कराने लिए कमेटी के पास 149 ऐप्लीके ांज आई थीं और उनमें से 48 किताबें ऐप्रूव की गई। इसलिए यह किताब ऐप्रूव्ड लिस्ट पर है लेकिन इसका खरीदना कम्पलसरी नहीं है।

चौधरी साहब सिहं सैनीः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस किबात में ऐसी क्या बात है जिसको देखकर यह ऐप्रूव्ड लिस्ट पर लाई गई है ?

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, इसमें करैक्टर बिल्डिंग वाली कोई बात नहीं है। लखमी चन्द हरियाणा के अच्छे बाने वाले और सांगी हुए हैं। और सोनीपत तथा रोहतक आदि में ही नहीं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में इनके सांग काफी म ाहूर हैं और इनकी म ाहूरी को देखते हुए यह किताब ऐप्रूव्ड लिस्ट पर लाई गई।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों, कालेजिज और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज में कुल कितने अमाउंट की और कितनी किताबें खरीदी गई ?

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब यह किताब मिडल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सैकेन्डरी स्कूलों के लिए ऐप्रूव की गई हैं। कालेजिज और प्राईमरी स्कूलों के लिए ऐप्रूव नहीं की गई है। स्पीकर साहब, मैं एक बात क्लीयर कर दूं कि हरेक स्कूल की अपनी इच्छा है कि वह इस किताब को खरीदे या न खरीदे। इस किताब के खरीदे जाने की डिस्ट्रिक्टवाइज फिगर्ज मेरे पास हैं और वह मैं बता देता हूं।

जिला वाइज जो किताबें खरीदी गई वे इस प्रकार हैं :—

एन0सी0ई0आर0टी0 गुड़गांव	40 किताबें
जिला अम्बाला	373
जिला करनाल	111
जिला हिसार	212
जिला सिरसा	5
जिला सोनीपत	8
जिला कुरूक्षेत्र	7
जिला रोहतक	142

जिला महेन्दगढ़	70
जिला भिवानी	71
जिला जीन्द	217
जिला गुड़गांव	197
कुल	1453

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, इसका कारण क्या है कि यह औथर जिस जिस जिले में डी0सी0 रहा है वहां तो यह किताब कम बिकी हैं और जहां इनके बारे में किसी को पता नहीं था वहां ज्यादा खरीदी गई हैं।

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मंत्री महोदय जी बताएंगें कि इस किताब की कीमत कितनी है ?

श्री जगदी ा नेहराः इस किताब की कीमत 100 रूपयेम है लेकिन 30 प्रति ात कम करके 70 रूपये में खरीदने के लिए ऐप्रूव की गई थी।

चौधरी रो ान लाल आर्यः अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस किताब के बिकने से

कुल कितनी इंकम हुई और उसमें से सरकार को कितना मिला ? दूसरी बात यह है कि जिस प्रदे ा में सरकार बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा सके तो क्या वह हरियाणा के बच्चों को सांग पढ़ाना चाहती है ?

श्री जगदी ा नेहराः इसमें बच्चों को पढाने वाली बात नहीं है। जो किताब ऐप्रूवड लिस्ट में आती है उसे चार साल तक स्कूल अपनी लाइब्रेरी के लिए खरीद सकता है और उस किताब को जो बच्चा चाहे पढ सकता है। इसमें पाठ्यक्रम वाली कोई बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री जी बताएंगें कि किताबों को ऐप्रूव करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके मैम्बर कौन कौन थे ? दूसरे क्या उस समय इस किताब का औथर डी0पी0आई0 स्कूल्ज था। तीसरे जो कमेटी टीचिंग इंस्टीच्यू ंज के लिऐ किताबें ऐप्रूव करती है उसका क्या क्राइटेरिया है ? क्या वह सांग, भांड भैडेले, मरासियों, डूब ढलों के मजाक को ऐप्रूव करती है इस पर रो ान डालें ?

श्री जगदी ा नेहराः अधयक्ष महोदय जो किताब ऐप्रूव की जाती है वह अलग अलग विशय की होती है जिसकी लिस्ट बनी हुई है। जो लोग जिस विशय में ऐक्सपर्ट होते हैं उस विशय की किताब ऐप्रूव करवाने के लिए उन्हीं लोगों को भेजी जाती हैं। इस किताब को ऐप्रूव करने के लिए तीन आदमियों की कमेटी थी।

एक तो मि0 मधोक हैं जो साहित्य अकादमी के डायरैक्टर थे, दूसरे पब्लिक रिले ांज के श्री सत्य पाल गुप्ता थे और तीसरे गवर्नर साहब के पी0आर0ओ0 श्री मदहो ा थे। उस कमेटी ने यह किताब ऐप्रूव की। उस समय औथर डी0पी0आई0 थे। कमेटी द्वारा किताब ऐप्रूव होने के बाद डी0पी0आई0 की चेयरमैनि ाप में वह किताब ऐप्रूव होती है। लेकिन इस केस में उस डी0पी0आई0 ने चेयरमैनि ाप नहीं की बल्कि ज्वायंट डायरैक्टर श्री ढिल्लों की चेयरमैनि ाप में यह किताब ऐप्रूव हुई थी।

Damage to Crops due to breach in Bhakra Canal

***740 Ch. Balvir Singh Grawal, Sh. Managl Sein, Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state-

(a) whether the breach in Bhakra Canal in June 1984 has caused any damage to any crop in the State;

(b) if so, the extent of damage caused;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to give compensation to the affected farmeer; and

(d) if so, per amount of compensation likely to be paid to such farmers ?

Minister of State for Revenue (Sh. Lachhman Dass Arora):

(a) Yes, Sir.

(b) About rS. 200.00 crores

(c) & (d)- A financial memorandum has been submitted to the Government of Inida for seeking cental assistance to provide relief ot the affected farmers. Cash compensation to the farmers has also been proposed. The grant of compensation would, therefor, depend on the amount sanctioned by the Government of India.

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब मेरे प्र न के जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि दो बार भाखडा नहर टूटने से हरियाणा के किसानों को 200 करोड रूपये का नुक्सान हुआ है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप किसानों को प्रति एकड क्या मुआवजा देंगे ? पंजाब गवर्नमैंट ने अपने किसानों को स्प्रे, पैस्टीसाइडज और फर्टिलाइजर पर सबसिडी दी है। क्या आपकी भी प्रोपोजल है कि इन आइटम्ज पर सबसिडी दी जाए ? पंजाब सरकार ने किसानों को साढे चार करोड दिया है जबकि वहां इतना नुकसान भी नहीं हुआ। हमारी तो पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसलिये आप बताएं कि प्रति एकड कम्पनसे ान देने की आपकी कितनी प्रोपोजल है और सबसिडी देने की क्या प्रोपोजल है ?

श्री लछमन दास अरोड़ाः अभी जवाब में मैंने माननीय सदस्य को बताया था कि हमने एक मैमोरैंडम गवर्नमैंअ आफ इंडिया को दिया हुआ है। हम कोि ा ा कर रहे हैं कि 500

रूपये फी एकड कपास का मुआवजा दिया जाए। यह प्रोपोजल बना कर हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया को भेजी हुई है। जब सैंट्रल गवर्नमैंट हमें फाइनैंि ायल असिस्टैंस देगी उसके बाद हम किसानों को पेमैंट कर देंगे।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः यह आइटम तो हरियाणा गवर्नमैंट की है। फर्टिलाइजर, पैस्टीसाइड और स्प्रे पर सबसिडी देने के बारे में तो ये खुद डिसाइड कर सकते हैं लेकिन यह कहते हैं कि जब सैंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से पैसा आएगा तब फैसला कर देंगे।

श्री लछमन दास अरोड़ाः सैंट्रल गवर्नमैंट से पैसा आने के बाद साथ साथ यह भी डिसाइड कर लेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब मंत्री जी ने जवाब के सी और डी भाग में यह लिखा है कि इन्होंने कोई फाइनैंि ायल मैंमोरैंडम सैंट्रल असिसटैंस सीक करने के लिए भारत सरकार को सबमिट किया हुआ है और जो पैसा वहां से इनको मिलेगा उसके हिसाब से कम्पनसे ान देंगे। क्या मंत्री महोदय की नालेज में है कि अभी लोक सभा का जो सै ान चल रहा था उसमें यह सवाल पूछा गया कि क्या आप भाखडा की ब्रीच से हुए नुकसान की वजह से हरियाणा के फारमर्ज को कोई कम्पनेसे ान देना चाहते हैं तो वहां पर मिनिस्टर इंचार्ज ने कैटेगरीकली कहा कि हम किसी प्रकार की असिसटैंस या मुआवजा हरियाणा के फारमर्ज को नहीं देंगें।

इस स्टेटमैंट के होते हुए ये सदन के किसलिये गुमराह कर रहे हैं। क्या ये बताएंगे कि वह स्टेटमैंट इनकी नालेज में है या नहीं ?

श्री लछमन दास अरोड़ाः जहां तक भारत सरकार द्वारा मुआवजा देने का सवाल है, भारत सरकार ने कभी मुआवजा नहीं दिया। जो बात पार्लियामैंट की मेरे साथी बता रहे हैं कि उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता लेकिन भारत सरकार के साथ इस मैमोरैंडम के विशय में मीटिंग रखी हुई है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब अभी मंत्री जी ने फरमाया कि केन्द्रीय सरकार ने इस तरह का मुआवजा आज तक नहीं दिया। यह मिनिस्टर कंसर्न्ड का स्टैंड है। लेकिन दूसरत तरफ ये स्वयं कह रहे हैं कि सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ हमारी मीटिंग हो रही है। पता नहीं उस मीटिंग में ये सैंट्रल गवर्नमैंट से क्या लेंगे ? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारी सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ मीटिंग हो रहीह है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सैंट्रल गवर्नमैंट की किसानों को इस तरह को कोई मुआवजा देने की पालिसी नहीं है। ये खुद यहां पर स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से मुआवजा देने की अनाउंसमैंट क्यों नहीं करते ? यदि स्टेट गवर्नमैंट किसानों को कोई मुआवजा देगी तो वह अपने खजाने से देगी। मंत्री जी सैंट्रल गवर्नमैंट का नाम लेकर सदन को गुमराज क्यों कर रहे हैं ?

श्री लछमन दास अरोड़ाः स्पीकर साहब जहां तक मुआवजा देने का सवाल है उसके बारे में मैंने सदन को गुमराह नहीं किया है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने भारत सरकार को इस बारे में सहायता देने के लिए एक मैमोरैंडम दिया है। इसके अलावा हमने भारत सरकार से एस0वाई0एल0 नहर को मुकम्मल करवाने के लिए 40 करोड रूपया मांगा है। हमने भारत सरकार को कहा है कि अगर एस0वाई0एल0 नहर मुकम्मल हो जाती तो आज हरियाणा में फसलों का इतना नुकसान नहीं होता। हमने 8–10 आइटम्ज बनाकर सैंट्रल गवर्नमैंट के सामने पे ा की हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, एस0वाई0एल0 नहर का मामला बीच में कैसे आ गया ? वह तो अलग मामला है। ये अपने स्टेट के खजाने में किसानों को मुआवजा क्यों नहीं देते ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की बात बिल्कुल ठीक है। भाखडा मेन लाइन के दो बार तोडे जाने के कारण हरियाणा प्रांत में फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। खास करके हरियाणा के तीन जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। सिरसा, हिसार और जींद तीन जिले हैं जिनके अंदर कपास की बोआई आधी से भी कम हो पाई है। हमने इस बारे में भार सरकार को लिखा है कि जिन किसानों को कपास की फसल की बोआई कम हुई है उनको कुछ न कुछ मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। हमने भारत सरकार को जो

मैमारैंडम दिया है उसके आंकडों के बारे में मैं हाउस को बताना चाहूंगा। हमने भारत सरकार को हरियाणा प्रांत के किसानौं को 51 करोड रूपए मुआवजा देने के लिए लिखा है और यह भी लिखा है कि हरियाणा प्रांत के किसानों को सवा दस लाख एकड जमीन की फसल का मुआवजा दिया जाए। एक एकड जमीन की फसल का मुआवजा 5 सौ रूपए के हिसाब से 51 करोड रूपये बनता हैं इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार हमें कितना पैसा देगी इस बारे में मैं खुद प्रधान मंत्री से मिला हूं और हमारे अधिकारीगणी की सैंट्रल गवर्नमैंट के अधिकारियों के साथ तीन दफा मीटिंग हो चुकी है। अभी तक उन्होंने मुआवजा देने के बारे में फाइनल फैसला नहीं लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि सैंट्रल गवर्नमैंट हमारी पूरी सहायता करेगी। सैंट्रल गवर्नमैंट जिनते पैसे की सहायता करेंगी उतना पैसा हम अपने किसानों को दे देंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसके अलावा खाद और बीज पर भी सबसिडी दी जाएगी। इसके अलावा सिरसा, हिसार और जींद के किसानों को बैंकों का कर्जा और तकावी की वसूली मुलतवी कर दी गई है ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। आप जानते हैं कि पिछले सालों में भी फसलों का नुकसान होता रहा है और हम उस समय किसानों की जितनी मदद कर सकते थे उतनी मदद करने में हमने कोई कसर बाकी नहीं छोडी। आज की सरकार जितनी मदद किसानों की कर सकती है वह आप सबको मालूम है। आप यह भी जानते हैं कि जब तक भारत सरकार से कोई

सहायता नहीं मिलती है तब तक स्टेट गवर्नमैंट कैसे सहायकता कर सकती है। आपको मालूम है कि पिछले सालों में भी ओले पडे थे, जिसके कारण फसलें खराब हो गईं थी और ठण्डी हवा चलने के कारण भी फसलें खराब हो गई थी उस समय भी यह सरकार किसानों की जितनी मदद का सकती थी उतनी मदद की थी और आगे भी यह सरकार किसनों की पूरी सहायता करेगी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने राजस्व मंत्री जी की मदद की है और कहा है कि माननीय सदस्यों की यह बात ठीक है कि हरियाणा की जनता हरियाणा के किसान और इस हाउस के मैम्बरान हरियाणा में फसल की बरबादी के कारण बहुत नाराज और क्षुब्द हैं। उन्होंनं यह भी कहा है कि इन्होंने भारत सरकार को फसल के नुकसान के बारे में कोई मैमोंरैंडम दिया है कि इनको मुआवजा देने के लिए इतना रूपया दिया जाए और जितना पैसा भारत सरकार से इनको मिलेगा वह ये किसानों को बांट देंगे। स्पीकर साहब, ये पैसा तो पता नहीं कितना बाटेंगे क्योंकि हमे ा ही बांटते रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की यह मोस्ट इवेसिव रिप्लाई है। स्पीकर साहब, भाखडा मेन लाइन को टूटे हुए दो महीने हो गऐ जिसके कारण हरियाणा में सारी फसल तबाह हो गई। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपकी सरकार ने हरियाणा के किसानों को कोई मुआवजा देने के लिए स्टेट लैवल पर कोई डिसीजन लिया ? इसके अलावा मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगा कि जो

सवाल चोधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने पूछा था उसको इन्होंनें कैटेगोरीकली डिनाई कर दिया जरा उस पर भी रो ानी डाल दें। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आतंकवादियों ने भाखडा मेन लाइन को दो बार तोडा। क्या आपने उसके बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट को लिखा कि इस प्रकार के वाक्यात दोबारा न हों। हरियाणा की लाइफ लाइन डैमेज न हो उसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बारे में काल अटैं ान मो ान भी दी हुई है। उसका जवाब देते समय हम सारी बातें कहेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भाखडा मेन लाइन के टूटने से भाायद डाक्टर साहब को तकलीफ कम हुई होगी।

श्री मंगल सैनः मुझे तकलीफ कम क्यों हुई ?

चौधरी भजन लालः क्योंकि आपके जिले में भाखडा नहर का पानी बहुत कम जाता है। (ाोर एवं विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः भाखडा नहर टूटने से आपका क्या वास्ता है ? (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः मेरे पास आप से ज्यादा जमीन है और मैं आपसे ज्यादा खेती करता हूं। (ाोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जहां तक भाखडा मेन लाइन के टूटने का ताल्लुक है उससे हरियाणा के किसानों के साथ बहुत

जुल्म हुआ है और अन्याय हुआ है। उस कट को बंधवाने के लिए हमने भारत सरकार के साथ 10 दफा मीटिंग की है, 10 दफा ही पंजाब के राज्यपाल महोदय के साथ मीटिंग की है। इसके अलावा हमारे सीनियर अधिकारी भी मौके पर गए हैं। सिंचाई तथा बिजली मंत्री चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला जी भी लगभग 10 दफा मौके पर जाकर आए हैं। इसके अलावा मैं पंजाब सरकार को बिना बताए दो बार अपने रिसक पर मौके पर जा कर आया हूं। (ाोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे अपोजी ान के भाई किस बात के लिये किसानों के ठेकेदार बनते हैं ? इन्होंने एक दिन भी यह नहीं कहा कि पंजाब वालोंने हरियाणा के किसानों के साथ अन्याया किया है। ..... (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः मगरमच्छ वाली बात रिकार्ड न की जाए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के भाई तो यहां तक कहते हैं कि पंजाब में अकालियों की सरकार बननी चाहिए। (विघ्न) आज ये कहते हैं कि पंजाब में अकालियों की सरकार बननी चाहिए उसके बावजूद भी ये हरियाणा के हितों की रक्षा की बात करते हैं। चौधरी देवी लाल जी हाउस में बैठे हैं। ये पब्लिक स्टेटमैंट देते हैं कि पंजाब में अकालियों की सरकार बनाई जाए। जो पार्टी भाखडा मेन लाइन को तोडे , जो पार्टी यह कहे कि फाजिल्का अबोहर और चण्डीगढ हमारा ही है उस पार्टी के लिए यह कहें कि पंजाब में उस पार्टी की सरकार बना दी जाए। फिर ये हरियाणा के लोगों की क्या रक्षा करेंगे ? जहां तक

भाखडा नहर के टूटने का ताल्लुक है उसको बांध कर मुकम्मल किए जाने के लिए हम पंजाब सरकार के बडे आभारी हैं। पंजाब सरकार ने दिन रात एक करके भाखडा नहर को बांधा है। पांजब के इरीगे ान डिपार्टमैंट के चीफ इंजीनियर श्री गिल हैं, उन्होंनें उस नहर को बंधवाने में बडा भारी योगदान दिया है। उसके लिए हरियाणा की जनता उनका आभार प्रकट करेगी। उन्होंने बहुत थोडे समय में उस नहर को बंधवा दयिा। भाखडा नहर के बांधने में हरियाणा का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, सारा खर्च पंजाब सरकार ने दिया है। (ाोर) मेरे विरोधी भाईयों को यह भी नहीं पता कि उस नहर को बंधवानें में पैसा कहां से खर्च किया गया है ? उस नहर की बंधाई पर सारा पैसा पंजाब सरकार का खर्च हुआ है। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने उस नहर को बंधवाया है और हरियाणा सरकार के सीनियर अधिकारी भी मौके पर जा कर देखते रहे हैं कि काम ठीक चल रहा है या नहीं। जब नहर पहली बार टूट गई थी उसको ठीक समय पर बांध कर मुकम्मल करा दिया गया था और दोबारा टूटने पर ठीक समय पर बांध दिया गया है। पंजाब के राज्यपाल महोदय भी तीन चार बार मौके पर गए और नहर बंधवा दी। भाखडा नहर बांध कर मुकम्मल कर दी गई है और उसमें 6 हजार क्यूसिकस पानी चालू हो गया है और अगले तीन दिनों में पूरा नहीं छोड दिया जाएगा। वह नहर 12 हजार क्यूसिकस पानी की कैपेसिटी की है। अगले तीन दिनों में पूरा पानी उसमें छोड दिया जाएगा और चार पांच दिन के अंदर

टेल तक पानी पहुंच जाएगा। मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों को गलत बात कहने का और गलत प्रचार करने का कोई अधिकारी नहीं है।

चौधरी देवी लालः स्पीकर सावहब, जहां तक भाखडा मेन लाइन के टूटने का सवाल है उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि उसको बांध कर तैयार नहीं करवा सकी। मैंने इनको कई बार सुझाव दिए हैं कि अगर राजस्थान कैनाल और भाखडा नहर को बचाना है तो जिस जिस इलाके से भाखडा नहर गुजर रही है उन्हीं इलाकों के लोगों को भर्ती करके एक स्पै ाल भाखडा प्रोटैक ान फोर्स खडी करनी चाहिए। भाखडा मेन लाइन के टूटने से जितना दुख हरियाणा के लोगों का है उतना पंजाब के लोगों को नहीं है। इसके अलावा इन्होंने यह कहा कि मैंने यह कहा है कि पंजाब में अकालियों की सरकार बननी चाहिए। मैं इस बारे में आज हाउस के सामने भी कहता हूं कि पंजाब में अकालियों की सरकार होनी चाहिए। जिस पाटी का बहुमत हो उसी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि पंजाब में बादल, तलवंडी और टोहरा की पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मैंने यह बात पब्लिकली कही है और आज हाउस में भी कहता हूं कि पांजब में अकाली पार्टी की सरकार बननी चाहिए क्योंकि उनका बहुमत है। (ाोर)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, the Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित

प्र नों के लिखित उत्तर

Repair of School Building at Sampla

***767. Smt. Basanti Devi:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether any school building at Sampla is in a dilapidated condition; if so, the steps, if any, taken or porposed to tbe taken to repair such building;

(b) whehter any alternative arrangements have been made for holding the classes of the school, referred to in part (a) above; if so, the details thereof; and

(c) whether any village school buildings in Hassangarh Constituency damaged due to floods, have been repaired during the years 1983-84 and 1984-85 (to-date); if so, the names of the villages where such repaired buildings are located ?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) जी, हां। राजकीय उच्च विद्यालय सांपला का भवन खस्ता हालत में है जिसकी मुरम्मत नहीं की जा सकती।

(ख) छठी से दसवीं श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए छः नये कमरे बनाये जा चुके हैं। प्राथमिक कक्षाएं राजकीय प्राथमिक

पाठ ाला अनाज मंडभ में ि ाफ्ट करके दोहरी पारी में कक्षाएं लगाई जा रही है।

(ग) राजकीय उच्च विद्यालय खरावड, राजकीय उच्च विद्यालय इस्माईला तथा राजकीय उच्च विद्यालय हसनगढ़ में वर्श 1983–84 तथा 1984–85 के दौरान कुछ तत्कालिक प्रकृति मुरम्मत कराई गई।

Purchase of Italian Donkeys

***744. Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Minister for Animal Husbandry be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government for the purchase of Italian Donkeys; if so, the purpose thereof ?

पशुपालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): जी नहीं।

Construction of Bridges on Kot and Som Rivers

in Chhachhrauli Constituency

***757. Ch. Roshan Lal Arya:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to consctruct bridges on rieve Kot near Dadupur Jatan and on river Som near Khadri Fatehgarh in Chhachhrauli Constituency; and

(b) if so, the time by which the construction work thereon is likely to be started ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) इन पुलों का निर्माण कार्य सातवी पंचवर्शीय योजना के दौरान आरम्भ करने की सम्भावना है।

Sale of Red Cross Tickets by Tehsildars and Sub Registrars

***763 Ch. Kulbir Singh Malik:** Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Tehsildars and Sub registrars in the State collect funds by selling Red Cross tickets to the persons appearing before them for the registration of sale deeds and other documents and for the sanction of mutations; and

(b) if so, the district wise amount collected by the said officers during the years 1982-83 and 1983-84 ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा):

(क) नहीं, श्रीमान जी। सरकार एजैन्सियों द्वारा रैड क्रास चन्दा एकत्रित करने पर पूर्ण प्रतिबंध बारे वर्श 1982 में हिदायतें जारी की गई थीं।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

Land acquired by Haryana Urban Development Authority

***791. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any land owner filed any cases in the Courts, against the payment of compensation made to them at

less rates in respect of the land acquired by Haryana Urban Development Authority during the years 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 and 1982-83; and

(b) If so, the yearwise and districtwise detail of the additional amount which had to be paid by HUDA in pursuance of the orders of Courts in cases as referred to in part (a) above, if any, filed ?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):

(ए) प्राप्त प्रार्थना पत्रों का वर्श वार ब्यौरा निम्न है :–

1978–79	550
1979–80	244
1980–81	173
1981–82	425
1982–83	618

भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन कुलैक्टर द्वारा घोशित किए गए पंचाट के आधार पर दिया गया था।

(बी) सक्षम न्यायालय के आदे ा अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त रा ि ायों का भुगतान किया गया :–

	फरीदाबाद	करनाल

1978—79	650191.17	1934511.00
1979—80		
1980—81	166286.90	
1981—82	8279212.64	5786230.83
1982—83		

	अम्बाला	गुड़गांवा	महेन्द्रगढ
1978—79	4101036.59	9090730.06	
1979—80		2057450.19	426798.12
1980—81		7693340.40	
1981—82		6811061.70	
1982—83		17710155.55	1079842.18

Construction of Road From Gewan to Kiloi

***790. Sh. Kitab Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from

Gewan (Sonepat) to Kiloi (Rohtak); if so, the time by which the said road is likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): जी हां, सातवीं पंचवर्शीय योजना में।

Non availability of Primary Classes Text Books

***799. Sh. Ram Bilas Sharma, Ch. Kundan Lal:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the text books for primary classes are at presnet not available in Haryana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid books are likely to become available ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) केवल दो पुस्तकों को छोड कर जो कि छप रही है, भोश सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं।

(ख) उक्त 2 पुस्तकें अक्तूबर 1984 के अंत तक उपलब्ध होने की सम्भावना है।

Production of More Thermal/Hydro Power in the State

***773. Ch. Kundan Lal:** Will the Minister for Irrigation an Power be pleased to state-

(a) whether there are any schemes under consideration of the Govt. to instal more thermal and hydro power plants in the State to meet the power shortage; and

(b) if so, the details thereof and the time by which the said schemes are likely to materialise ?

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes.

(b) A statement contianing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

The following thermal and hydro projects are planned in the State to meet the power shortage :-

1. Hydro			
Sr. No.	Name of Project	Capacity	Target Date
1	Western Yamuna Canal Hydor Electric Project, Stage- I Power House –A Power House –B Power House -C	 2x8MW 2x8MW 2x8MW	 March, 1985 April, 1986 June, 1987
2	Western Yamuna Canal Hydor Electric Project, Stage- II	2x8MW	1988-89 (under approval)
3	Dadupur Micro Hydel Project	4x2.5MW	1987-88
4	Kheri Barota Micro Hydel Project	5x1.3MW	1987-88
5	Kakroi Hybrid Micro Hydro Project	4x100 KW	1986-87

II. Thermal			
1	Panipat Thermal Power Project Stage- I	2x110MW	Unit-I, June, 1985 Unit-II, Dec. 1985
2	Panipat Thermal Power Project Stage- III	1x110MW	June 1987
3	Yamunan Nagar Thermal Power Project Stage- I	2x220MW	1989-90

Persons challenge in the State for Gambling/Speculation

***735. Smt. Chandravati:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any persons were challaned for indulging in speculation or in gambling or making others to speculate or to gamble in the State during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84; if so, the districtwise number therof;

(b) the number of persons, out of those referred to in part (a) above; convicted togetherwith the number of persons against whom cases are still pending in the courts;

(c) the disctrictwise names and complete addresses of the speculators, as referred to in part (a) above, challaned whose cases are pending in the courts; and

(d) whether any amount was seized from any of the persons, referred to in part (c) above; if so, the districtwise names and full addresses of such persons togetherwith the amount seized in each case ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) और (ख) सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ग) और (घ) फारवर्ड कन्ट्रैक्टस (रैगुले ान) के अधिनियम के अधीन अभी तक स्पैकूले ान करने के कारण किसी भी व्यक्ति का चालान नहीं किया गया है और न ही किसी व्यक्ति से धन रा ि। बरामद की गई है। फिर भी ऐसे दो मुकद्दमें

अनुसंधानाधीन हैं और एक मुकद्दमे में कैन्सलै ान रिपोर्ट भेजी गई है।

स्टेटमैंट

जिलावार उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरूद्ध वर्श 1981, 1982, 1983 व 1984 हुए, सजा हुए तथा जिनके विरूद्ध मामले अभी न्यायालय में लम्बित हैं, का विवरण।

भाग (क) चालान हुए व्यक्तियों की संख्या 1981					(ख) –2 भाग (क) मैं द र्ाये गये व्यक्तियों में से जिन व्यक्तियों की सजा हुई की संख्या				(ख) –2 भाग (क) मैं द र्ाये गये व्यक्तियों में से जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालय में लम्बित हैं की संख्या			
जिला	जुआ बारे मुकद्दमें (जी0एक ट)	दड़ा सट्टा बारे मुकद्दमें (जी0एक ट)	स्पैकुले ान (एफ0सी0 एक्ट)	जो ड़	जुआ बारे मुकद्दमें (जी0एक ट)	दड़ा सट्टा बारे मुकद्दमें (जी0एक ट)	स्पैकुले ान (एफ0सी0 एक्ट)	जो ड़	जुआ बारे मुकद्दमें (जी0एक ट)	दड़ा सट्टा बारे मुकद्दमें (जी0एक ट)	स्पैकुले ान (एफ0सी0 एक्ट)	जो ड़
अम्बाला	827	228		105 5	667	70		737	88	61		149

कुरूक्षेत्र	256	33		289	189	21		210				
करनाल	438	122		560	370	80		450				
जीन्द	119	37		156	93	4		97	7	3		10
हिसार	628	99		727	296	33		329	261	45		306
सिरसा	132	82		214	78	46		124	8	2		10
नारनौल	188	14		202	63	3		66	115	5		120
भिवानी	384	45		429	282	17		299	29	10		39
गुड़गांवा	155	3		158	115	1		116	10			10
फरीदाबाद	473	25		498	211	12		223	253	12		265
रोहतक	342	67		409	242	14		256	35	18		53
सोनीपत	248	12		252	77	3		80	140	9		149

जोडः	4182	767		4949	2683	304		2987	946	165		1111

नोट 1: जुआ अधिनियम पंजाब, जुआ अधिनियम 1867 के लिए लिखा गया है जो कि हरियाणा में लागू हो।

नोट 2: फारवर्ड कन्ट्रैक्ट, ऐक्ट, फारवर्ड कन्ट्रैक्ट ऐक्ट, रैगुले ान ऐक्ट 1952 के लिये लिखा गया।

क 1982					**ख–1**				**ख–2**			
अम्बाला	856	205		1061	739	79		818	101	98		199
कुरूक्षेत्र	315	28		343	156	11		167	76	10		86
करनाल	553	18		571	405	12		417				
जीन्द	179	17		196	123	7		130	14			14
हिसार	745	156		901	515	51		566	213	100		313
सिरसा	196	143		339	98	70		168	22	17		39
नारनौल	137	34		171	55	2		57	61	26		87

भिवानी	268	35		303	136	2		138	104	27		131
गुड़गांवा	123	6		129	82	1		83	41	5		46
फरीदाबाद	411	16		427	258	3		261	153	12		165
रोहतक	308	73		381	239	22		261	46	35		81
सोनीपत	267	36		303	151	8		159	102	21		123
जोडः	4358	767		5125	2957	268		3225	933	351		1284
क 1983					**ख–1**				**ख–2**			
अम्बाला	752	186		938	570	49		619	179	136		315
कुरूक्षेत्र	259	44		303	88	16		104	126	21		147
करनाल	626	62		688	574	24		598	32	20		52

जीन्द	88	10		98	56	1		57	26	8		34
हिसार	813	139		952	446	31		477	356	108		473
सिरसा	249	193		442	80	59		139	117	101		218
नारनौल	140	24		164	44	2		46	96	22		118
भिवानी	249	55		304	117			117	129	53		182
गुड़गांवा	171	6		177	71	1		72	100	5		105
फरीदाबाद	428	9		437	294	2		296	132	7		139
रोहतक	120	93		213	99	28		127	18	62		80
सोनीपत	308	57		365	196	10		206	67	47		114
जोडः	4203	878		5081	2635	223		2858	1387	590		1977

क 1984 (1.1.84 से 31.7.84 तक)					ख–1				ख–2			
अम्बाला	426	106		532	196	20		216	230	86		316
कुरूक्षेत्र	76	23		99					76	23		99
करनाल	289	3		292	167	3		170	122			122
जीन्द	66	8		74	9	1		10	57	7		64
हिसार	145	21		166	87	7		94	49	13		62
सिरसा	126	48		174	19	4		23	102	41		143
नारनौल	91	20		111	11			11	80	20		100
भिवानी	162	16		178	24			24	138	16		154
गुड़गांवा	89	4		93	16			16	73	4		77

फरीदाबाद	228	7		235	136	1		137	92	6		98
रोहतक	80	61		141	40	13		53	40	48		88
सोनीपत	78	26		104	33			33	32	26		58
जोडः	1856	343		2199	738	49		787	1091	290		1381

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Registration of Thefts and Opium Smuggling cases in the State

150. Smt. Chandravati: Will the Chief Minister be pleased to state- (a) the district wise number of FIRs relating to cases of theft registered in the various police stations in the State duringh the years 1980-81, 1981-82, 1982-83 and 1983-84 separately, togetherwith the number of cases out of them traced out and the stolen goods in respect thereof handed over to the owners alongwith the names of concerned SSPs as were working at the time of the said thefts and at the time of recoveries thereof separately:

(b) the district wise number of FIRs relating to cases of opium smuggling registered in the various police stations in the State during the years as referred to in part (a) above togetherwith the quantity of opium, if any, seized in each district separately alongwith the quanityt of opium, if any, still lying in the Malkhanas of the various police stations in the State; and

(c) Whether any opium, out of that referred to in part (b) above has been disposed of by the Government; if so, the details of total quantity, the cost, names of the purchasers and the method of disposal thereof?

Chief Minster (Chaudhri Bhajan Lal):

(a), (b) and (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) (i) District-wise Number of Theft Cases Registered during the year, 1980

District	Cases Registered	Traced	Property handed over to the owner	Names of Supdts. Of Police
Ambala	491	264	382019.00	(i) Sh. Shamsher Singh, I.P.S. (1-1-80 to 17-1-80.) (ii) Sh. S.P.S. Rathore, I.P.S. (17-1-80 onward).
Kurukshetra	307	179	860752.00	(i) Sh. R.S. Kalsan, I.P.S. (2-7-79 to 16-4-80.) (ii) Sh. Budh Ram, I.P.S. (16-4-80 onward).
Karnal	818	473	1691875.00	(i) Sh. R.C. Sharma, I.P.S. (10-9-79 to 2-5-80). (ii) Sh. Nirmal Singh, I.P.S. (2-5-

				80 onward).
Jind	245	154	362160.00	(i) Sh. Raj Singh, I.P.S. (22-8-79 to 14-4-80). (ii) Sh. A.S. Bhatotia, I.P.S. (16-4-80.onward).
Hissar	565	320	567826.00	(i) Sh. S.K. Sethi, I.P.S. (1-3-80 ownard).
Bhiwani	165	93	215961.00	(i) Sh. Brijender Raj, I.P.S. (1-1-80 to 6-4-80). (ii) Sh. Raj Singh, I.P.S. (14-4-80 onward).
Narnaul	267	95	537877.00	(i) Sh. L.D. Narwal, I.P.S. (24-8-79 onward).
Sirsa	163	91	267824.00	(i) Sh. Vipin Kumar, I.P.S. (19-1-80 onward).
Gurgaon	348	143	258513.00	(i) Sh. Ramesh Sehgal, I.P.S. (1-

				9-79 to 5-4-80). (ii) Sh. R.S. Dalal, I.P.S. (9-4-80 onward).
Faridabad	573	239	47270.00	(i) Sh. Y. Hari Shankar, I.P.S. (21-1-80 onward).
Rohtak	341	157	1934674.00	(i) Sh. V.N. Negi, I.P.S. (9-2-79 onward).
Sonepat	397	203	757447.00	(i) Sh. Y. Hari Shankar (26-9-79 to 21-1-80). (ii) Sh. Vikash, I.P.S. (21-1-80 onward).
Total:	4680	2411	7884198.00	
(ii) Distt-wise Number of Theft Cases Registered during the year, 1981				
Ambala	398	238	1112132.00	(i) Sh. S.P.S. Rathore, I.P.S. (Upto 23-4-81). (ii) Sh. Raj Singh, I.P.S. (24-4-

				81 onward).
Kurukshetra	444	244	513609.00	(i) Sh. Budh Ram, I.P.S. (Upto 3-2-81). (ii) Sh. Y.S. Nakai, I.P.S. (3-2-81 onward).
Karnal	628	463	9701413.00	(i) Sh. K. Nirmal Singh, I.P.S. (upto 23-5-81). (ii) Sh. S.P.S. Rathore, I.P.S. (24-5-81 onward).
Jind	205	132	594186.00	(i) Sh. A.S. Bhatotia, I.P.S. (16-4-80 onward).
Hissar	496	269	929549.00	(i) Sh. S.K. Sethi, I.P.S. (upto 2-8-81). (ii) Sh. Y. Hari Shankar, I.P.S. (23-8-81 onward).
Bhiwani	159	88	759394.00	(i) Sh. Raj Singh, I.P.S. (upto

				22-4-81). (ii) Sh. M.S. Malik, I.P.S. (23-4-81 onward).
Narnaul	266	110	236136.00	(i) Sh. L.D. Narwal, I.P.S. (upto 22-4-81). (ii) Dr. John V. George, I.P.S. (23-4-81 onward).
Sirsa	160	84	725873.00	(i) Sh. Vipin Kumar, I.P.S. (19-1-80 onward).
Gurgaon	325	102	181552.00	(i) Sh. R.S. Dalal, I.P.S. (upto 30-7-81). (ii) Sh. Brijender Raj, I.P.S. (31-7-81 onward).
Faridabad	546	279	17317.00	(i) Sh. Y.H. Shankar, I.P.S. (upto 21-8-81). (ii) Sh. R.S. Dalal, I.P.S. (21-8-

				81 onward).
Rohtak	351	183	1704043.00	(i) Sh. V.N. Negi, I.P.S. (9-2-79 onward).
Sonepat	257	130	1043458.00	(i) Sh. Vikas, I.P.S. (upto 15-4-81). (ii) Sh. S.D. Dewan, I.P.S. (15-4-81 onward).
Total:	4235	2322	17518662.00	
(iii) Distt-wise Number of Theft Cases Registered during the year, 1982				
Ambala	444	301	778738.00	(i) Sh. Raj Singh, I.P.S. (upto 5-8-82). (ii) Sh. Nirmal Singh, I.P.S. (5-8-82 onward).
Kurukshetra	418	170	1783265.00	(i) Sh. Y.S. Nakai, I.P.S. (3-2-81 onward).
Karnal	520	371	1913473.00	(i) Sh. Raj Singh, I.P.S. (5-8-82

				onward). (ii) Sh. S.P.S. Rathore, I.P.S. (upto 4-8-82).
Jind	184	108	544297.00	(i) Sh. A.S. Bhatotia, I.P.S. (upto 29-5-82). (ii) Sh. K. Nirmal Singh, I.P.S. (30-5-82 to 4-8-82). (iii) Sh. Dr. John, V. George, I.P.S. (6-8-82 onward).
Hissar	385	215	1628480.00	(i) Sh. Y. Hari Shankar, I.P.S. (upto 8-8-82). (ii) Sh. V.N. Negi, I.P.S. (9-8-82 onward).
Bhiwani	124	71	484607.00	(i) Sh. M.S. Malik, I.P.S. (23-4-81 onward).
Narnaul	222	104	545995.00	(i) Sh. Prem Mehra, I.P.S. (2-6-

				82 onward). (ii) Dr. John V. George, I.P.S. (upto 2-6-82).
Sirsa	127	61	467828.00	(i) Sh. Vipin Kumar, I.P.S. (upto 8-3-82). (ii) Sh. S.C. Sinha, I.P.S. (9-3-82 onward).
Gurgaon	265	128	501267.00	(i) Sh. Brijender Raj, I.P.S. (31-7-81 onward).
Faridabad	396	240	7222.00	(i) Sh. R.S. Dalal, I.P.S. (21-8-81 onward).
Rohtak	276	152	2652404.00	(i) Sh. V.N. Negi, I.P.S. (upto 3-8-82). (ii) Sh. Alok Joshi, I.P.S. (4-8-82 onward).
Sonepat	218	150	1445984.00	(i) Sh. S.D. Dewan, I.P.S. (15-4-

				81 onward).
Total	3579	2071	12753560.00	
(iv) Distt-wise Number of Theft Cases Registered during the year, 1983				
Ambala	418	222	1009413.00	(i) Sh. K. Nirmal Singh, I.P.S. (upto 18-5-83). (ii) Sh. L.D. Narwal, I.P.S. (18-5-83 onward).
Kurukshetra	348	132	1547864.00	(i) Sh. Y.S. Nakai, I.P.S. (upto 2-2-83). (ii) Sh. C.P. Bansal, I.P.S. (2-2-83 to 11-7-83). (iii) Sh. Raj Kumar, I.P.S. (1-7-83 onward).
Karnal	23 5	228	2829479.00	(i) Sh. Raj Singh, I.P.S. (upto 18-5-83). (ii) Sh. R.N. Vasudeva, I.P.S.

				(19-5-83 onward).
Jind	141	87	438404.00	(i) Dr. John V. George (upto 18-5-83). (ii) Sh. Vikas, I.P.S. (18-5-83 onward).
Hissar	369	202	1985751.00	(i) Sh. V.N. Negi, I.P.S. (9-8-82 onward).
Bhiwani	110	72	132817.00	(i) Sh. M.S. Malik, I.P.S. (upto 9-7-83). (ii) Sh. P.V. Rathi, I.P.S. (9-7-83 onward).
Narnaul	223	123	735972.00	(i) Sh. Prem Mehra, I.P.S. (upto 4-2-83). (ii) Sh. Vipin Kumar, I.P.S. (5-2-83 onward).
Sirsa	92	61	458260.00	(i) Sh. S.C. Sinha, I.P.S. (9-3-82

				to 27-9-83). (ii) Sh. V.K. Kapoor, I.P.S. (28-9-83 onward).
Gurgaon	251	144	604891.00	(i) Sh. Brijender Raj, I.P.S. (upto 4-2-83). (ii) Sh. A.S. Bhatotia (4-2-83 to 13-9-83). (iii) Sh. S.C. Sinha, I.P.S. (28-9-83 onward).
Faridabad	412	293	37570.00	(i) Sh. R.S. Dalal, I.P.S. (21-8-81 onward).
Rohtak	218	122	204828.00	(i) Sh. Alok Joshi, I.P.S. (4-8-82 onward).
Sonepat	220	147	1818394.00	(i) Sh. S.D. Dewan, I.P.S. (upto 31-1-83). (ii) Sh. R.K. Sharma, I.P.S. (4-2-

				83 onward).
Total:	3325	1833	11803593.00	
(v) Distt-wise Number of Theft Cases Registered during the period from 1-1-84 to 15-8-84				
Ambala	269	143	648324.00	(i) Sh. N.D. Narwal, I.P.S. (18-5-83 to-date).
Kurukshetra	212	74	535906.00	(i) Sh. Raj Kumar, I.P.S. (1-7-83 to-date).
Karnal	270	186	1153889.00	(i) Sh. R.N. Vasudeva, I.P.S. (19-5-83 to-date).
Jind	82	78	381520.00	(i) Sh. Vikas, I.P.S. (upto 21-2-84). (ii) Sh. Harish Kumar, I.P.S. (21-2-84 to-date).
Hissar	246	126	1016439.00	(i) Sh. V.N. Negi, I.P.S. (upto 17-1-84). (ii) Sh. R.S. Dalal, I.P.S. (23-1-

				84 to-date).
Bhiwani	81	43	284927.00	(i) Sh. P.V. Rathi, I.P.S. (9-7-83 to-date).
Narnaul	171	83	501687.00	(i) Sh. Vipin Kumar, I.P.S. (upto 1-5-84). (ii) Sh. S. Kumar, I.P.S. (1-5-84 to-date).
Sirsa	82	50	887000.00	(i) Sh. V.K. Kapoor, I.P.S. (28-9-83 to date).
Gurgaon	169	94	359695.00	(i) Sh. S.C. Sinha, I.P.S. (28-9-83 to date).
Faridabad	289	186	14050.00	(i) Sh. K. Koshy, I.P.S. (19-1-84 to-date).
Rohtak	144	99	862728.00	(i) Sh. Alok Joshi, I.P.S. (upto 1-7-84). (ii) Sh. R.K. Sharma, I.P.S. (1-7-

				84 to-date).
Sonepat	153	94	488411.00	(i) Sh. R. K. Sharma, I.P.S. (upto 18-7-84). (ii) Sh. Swaranjit Singh, I.P.S. (18-7-84 to-date).
Total:	2168	1256	7134576.00	

(b) & (c) (i) District-wise number of opium smuggling cases registered during the year, 1980.

District	Cases Registered	Opium Seized	Lying in P.S. Malkhana	Judicial Malkhana	Treasury	Disposal

		Kg.	Gms.	Kg.	Gms.	Kg.	Gms.	Kg.	Gms.	
Ambala	32	88	250	70	00	8	50	10	200	
Kurukshetra	4	5	700	5	700					
Karnal	14	27	100	1	200	19	200	6	700	
Jind	20	64	745	17	145					47-600 Gms. (Sent to G.M. Opium Factory Gaziabad)
Hissar	179	33	131	1	20	32	111			
Bhiwani	14	23	085			23	85			
Narnaul	39	16	561	3	310					13 Kg. 251 Gms. (Destroyed)
Sirsa	47	34	580			34	580			

Gurgaon	1	1	900	1	900					
Faridabad	26	2	505			2	505			
Rohtak	140	74	170			74	170			
Sonepat	5	13	000	13						
Total	521	384	727	113	275	193	701	16		900 60 Kg. 851 gms.
(ii) District-wise Number of Opium Smuggling case registered during the year, 1981										
Ambala	29	57	195	44	695	12	500			
Kurukshetra	4	4	200	4	200					
Karnal	35	90	200	31	100	57	100	2		
Jind	14	45	670	23	650					22-020 (Sent to G.M. Opium Factory Gaziabad)

Hissar	282	86	539	6	955	79	584			
Bhiwani	3	7	750			7	750			
Narnaul	50	18	055	17	399					656 Gms. (destroyed)
Sirsa	33	30	768	4	700	26	068			
Gurgaon	1	3	400							3. Kg. 400 Gms. Recovered Opium (Destroyed)
Faridabad	39	23	218			23	218			
Rohtak	98	82	577			82	577			
Sonepat	16	175	000	175	000					
Total	604	624	572	307	699	288	797	2		000 25 Kg. 076 Gms.

(iii) District-wise Number of Opium Smuggling case registered during the year, 1982

Ambala	25	56	515	52	765	3	750			
Kurukshetra	8	8	200	8	200					
Karnal	21	34	540	6	700	22	240	5	600	
Jind	12	26	655	10	640					16 Kg. 015 Gms. (Sent to G.M. Opium Factory Gaziabad)
Hissar	354	201	195	26	830	174	365			
Bhiwani	3	3	365			3	365			
Narnaul	45	7	365	1	465					5 Kg. 900 Gms. (destroyed)
Sirsa	81	42	986	7	800	35	186			
Gurgaon	3	2	010	2	010					

Faridabad	17	20	569			20	569			
Rohtak	100	53	218		020	53	198			
Sonepat	19	12	500	12	500					
Total	688	469	118	128	930	312	673	5	600	21 Kg. 915 Gms.
(iv) District-wise Number of Opium Smuggling case registered during the year, 1983										
Ambala	21	56	525	40	025	16	500			
Kurukshetra	17	40	250	35	750			4	500	
Karnal	13	20	750	6		8	750	6		
Jind	11	26	960	26	960					
Hissar	421	124	427	54	702	69	725			
Bhiwani	9	24	300			24	300			
Narnaul	39	5	585	3	720					1 Kg. 865 Gms. (destroyed)

Sirsa	106	80	590	41	110	39	480			
Gurgaon	6	3	600	3	600					
Faridabad	24	22	925			22	925			
Rohtak	107	66	798	5	838	60	960			
Sonepat	28	14		14						
Total	802	486	710	231	705	242	640	10	500	1 Kg. 865 Gms.
(v) District-wise Number of Opium Smuggling case registered during the period from 1-1-84 to 15-8-84										
Ambala	8	12	150	12	150					
Kurukshetra	10	25	230	25	230					
Karnal	12	30	550	26	550	4				
Jind	12	55	750	51	80	4	670			
Hissar	178	125	175	82	440	42	735			

Bhiwani	14	60	25	55	840	4	185			
Narnaul	36	12	235	4	635					7 Kg. 600 Gms. (destroyed)
Sirsa	91	83	25	80	880	2	145			
Gurgaon										
Faridabad	19	6	101			6	101			
Rohtak	98	82	129	10	860	71	269			
Sonepat	6		500		500					
Total	484	492	870	350	165	135	105			7 Kg. 600 Gms.

Sale of Guns/ Pistols out of Chief Minister / Government Quota

151. Shrimati Chandravati: Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) whether any guns or pistols were sold from out of the discretionary quota of Chief Minister/ State Government during the years 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, and 1983-84;

(b) if so, the price, type and number of such weapons together with the names and addresses of the purchasers, the price and the prevailing market price thereof separately; and

(c) the number of such persons, if any, out of those referred to in part (b) above as purchased more than one weapon from out of the Government/chief Minister quota together with the names and addresses of those persons who sold the said weapons after getting them from the discretionary quota separately?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal):

(a) Yes.

(b) A list (Annexure A) in respect of weapons so allotted during the relevant period indicating their price, type, number of such weapons and addresses of the purchasers is attached herewith. As regards the question of 'prevailing market prices' of the weapons, it is clarified that Evaluation Committee fixes the price of the weapons from time to time in consultation with the local dealer, who is also a member of the Evaluation Committee, keeping in view the condition of the weapons and the prevailing market price at the time of holding of the meeting.

(c) A list (Annexure B) in this respect is attached. As regards selling of said weapons it is mentioned that while allotting weapons to the applicants Govt. imposes a condition that the allotted con not sell or transfer the said weapons to another person before five years of allotment, if the allotted sells the weapon even after five years the Govt. have the first right to purchase it. If the Govt. refuses to purchase it, the allotted can sell it to any other person. No such case of selling of weapons has come to the notice of the Govt. so far.

ANNEXURE-A

S.No.	Name and full addresses of the allotted	Description of weapon allotted	Price received from allotted prevailing market price as assessed by the Evaluation Committee (Rs. /-)	No. & dated of allotment letter issued by the Government
1	L.M. Goyal, I.A.S., Deputy Commissioner, Ambala.	32 Bore Revi. Butt No. 214 body No. B 80032 make Weblay Scott	700	3/33/78-2134-79-4H-II dated 12-4-79.
2	Jaimal Singh S/o Sh. Molu Ram, VPO Chautala Distt. Sirsa.	12 Bore DBBL Gun Butt No. 121 body No. 78098 make I.O.F.	800	3/56/78-2035-79-4H-II dated 24-4-79.

3	Sh. Mohinder Singh Lather, M.P. Lok Sabha, Karnal.	12 Bore DBBL Butt No. 6897 body No. 3367 make Belgium	800	3/43/78-2171-79-4H-II dated 13-4-79.
4	Sh. Ranbir Singh S/o Sh. Daulat Ram, V. Ramsara The. Fazilka Distt. Ferozepur.	Rovol. 38 bore Butt No. 209 Body No. 971427 make S.N.W.	450	3/56/78-2035-79-4H-II dated 25-4-79.
5	Sh. Jaipal Singh V. Badshahpur Machhari Disstt. Sonepat.	Pistol 32 bore butt No. 117 body No. 125496 make U.S.A.	500	3/56/78-2035-79-4H-II dated 21-4-79.
6	Sh. Birender Singh, M.L.A., Jind.	12 bore DBBL gun Butt No. 190 body No. 11743 make Spain	1600	3/5/79-2879-4H-II dated 24-5-79.
7	Sh. Bhim Sain Gunman to C.M.	Revi. 32 bore Butt No. 213	500	3/3/79-4H-II dated 31-5-79.

		Body No. 7685 make Weblay Scott.		
8	Sh. V.P. Johar, I.A.S., Financial Commissioner Haryana, Chandigarh.	12 bore DBBL gun Butt No. 202 Body No. 13189/1489 make Germany	300	3/9/79-4H-II dated 21-7-79.
9	Sh. Siri Chand Kashyap S/o Sh. Shiffa Mal of Meham Road Gohana Distt. Sonepat.	12 bore DBBL gun Butt No. 122 Body No. 8118 make India	500	3/19/79-4H-II dated 3-8-79.
10	Sh. Sher Singh Revenue Minister Haryana.	12 bore DBBL gun butt No. 201 Body No. 4721 make U.S.A.	600	3/24/79-5960-4H-II dated 19-9-79.
11	Sh. Ishwar Singh	Rev. 38 bore	500	3/2/79-4871-

	M.L.A. V.P.O. Jadaula The. Kaithal Distt. Kurukshetra.	Butt No. 223 Body No. 18504 make Wheblay Scot		4H-II dated 30-8-79.
12	Sh. Manohar Lal S/o Sh. Raju Ram V.P.O. Kajla The. & Distt. Hissar.	12 bore SBBL gun Butt No. 7476 Body No. 7476 make F.A.B. make English	600	3/27/79-6048-4H-II dated 27-4-79.
13	Sh. Mohmad Yuns A.S.I. (C.I.D. Haryana) Chandigarh.	38 bore Rev. Butt No. 224 Body No. 1944 make Dara made	300	3/17/79-6396-4H-II dated 28-9-79.
14	Master Jogi Ram, M.L.A., Chandigarh.	Rev. 32 Bore Butt No. 231 Body No. 224784 make U.S.A.	1000	3/23/79-6175-4H-II dated 24-9-79.
15	Sh. Om Parkash	12 bore SBBL	500	3/27/79-6046-

	S/o Sh. Arjan Lal V.P.O. Kurdi The. & Distt. Hissar.	gun Butt No.8659 Body No. 2597 make Belgium		4H-II dated 27-9-79.
16	Sh. Ramji Lal S/o Sh. Sewa Ram VPO Kurdi The. & Distt. Hissar.	Rifle 250/300 bore Butt No. 256 Body No. 13008 make U.S.A.	400	3/27/79-6059-4H-II dated 27-9-79.
17	Sh. Uday Singh Dalal M.L.A., VPO Mandothi Distt. Rohtak.	Rev. 38 bore Butt No. 247 Body No. 6419 make London	500	3/15/79-7553-4H-II dated 10-79.
18	Sh. Sardar Khan Dy. Home Minister Haryana, Chandigarh.	Rev. 38 Bore Butt No. 232 Body No. 491497 make U.S.A.	600	3/17/79-4951-4H-II dated 26-10-79.
19	Sh. Kansi Ramm, Jamadar Food &	12 bore SBBL gun Butt No. 129	300	3/2/80-500-4H-II dated 23-1-80.

	Supplies Minister, Haryana Chandigarh.	Body No. 1523-59 make India		
20	Sh. Malik Daya Pal S/o Malik Narshing Dass Sarpanch, Nasirpur, Ambala City.	Rev. 32 bore Butt No. 206 Body No. 4497 make Pakistan	400	3/3/80-1120-4H-II dated 11-2-80.
21	Sh. Sakarula Khan, M.L.A.	Rev. 32 bore Butt No. 208 Body No. 19805 make U.S.A.	200	3/3/80-1143-4H-II dated 11-2-80.
22	Sh. Hanuman Bishoni Suraj Theatre Sirsa.	Rev. 455 bore Butt No. 189 Body No. A-6878 make English.	500	3/4/80-1139-4H-II dated 12-2-80.
23	Sh. Surja Ram, S/o Sh. Brij Lal	Pistol 320 bore Butt No. 236	425	3/4/80-1139-4H-II dated 11-2-

	VPO Alwalvas The. Fatehbad Distt. Hissar.	Body No. 12002284 make Foreign		80.
24	Sh. Pir Chand M.L.A. Chairman HAFED Chandigarh	Rev. 32 bore Butt No. 256 Body No. Nil make Weblay Scott	600	3/7/80-1657-4H-II dated 27-2-80.
25	Sh. Hat Ram S/o Sh. Bhima Ram VPO Mohamadpur Rohi Teh. Fatehbad Distt. Hissar.	12 bore DBBL gun Butt No. 227 Body No. 83763 make IOF	800	3/3/80-1148-4HG-II dated 12-2-80.
26	Sh. J.P. Bishnoi, Polt Secy. To C.M. Haryana	Rev. 455 Bore Butt No. 1068 Body No. 4043 make U.S.A.	150	3/8/80-2141-4H-II dated 10-3-80.
27	Sh. Sital Singh,	12 bore SBBL	325	3/17/79-2142-

	S.I. Police C.I.D. Haryana, Chandigarh.	gun Butt No. 4 Body No. 3420/5420 make India		80-4H-II dated 10-3-80.
28	Sh. Rajesh Kumar Sharma S/o Sh. Bagwat Dayal Residence of Saha Rewari Distt. Bhiwani.	Pistol 7.65 MM Butt No. 230 Body No. 3282 make Italian	1500	3/11/80-4H-II dated3-4-80.
29	Sh. S.R. Chopra Under Secy. To Govt. Haryana C.M. Cell.	12 bore SBBL gun Butt No. 183 Body No. 535956 make U.S.A.	200	3/2/78-2902-4H-II dated 9-4-80.
30	Sh. K.S. Bhoria, I.A.S. Addl. Holder of Project Director R.D.A. Sirsa.	12 Bore SBBL gun Butt No. 130 Body No. 42101 make N.S.A. India	300	Do

31	Sh. Ram Saran Dewadi Peon Hr. Civil Sectt.	SBBL gun Butt No. 195 Body No. 43 make Desi	40	3/2/78-2902-4H-II dated 9-4-80.
32	Sh. Vinod Kumar, Chief Engg. Irri. Haryana, Chandigarh.	12 Bore SBBL gun Butt No. 179 Body No. 7767 make India	200	Do
33	Sh. J.P.L. Srivastava, Deputy Conservator officer Forest, Bhiwani.	12 bore SBBL gun Butt No. 192 Body No. 3980 make Spain	700	3/2/78-2902-4H-II dated 9-4-80.
34	Sh. R.S. Malik I.A.S., D.S. to Govt. Haryana, Chandigarh.	12 bore SBBL gun Butt No. 132 Body No. 27159 make Weblay Scott	700	Do
35	Sh. Mani Ram S/o Sh. Sahi Ram Harijan VPO	12 bore SBBL gun Butt No. 91 body No. 13157	300	3/6/80-3811-4H-II dated 18-4-80.

	Adampur Distt. Hissar	make India		
36	Sh. Subhash S/o Sh. Siri Ram V. Khajuri Jatti, The. Fatehbad Distt. Hissar.	Rifle 22 bore Butt No. 6344 Body No. 58601 make Germany	200	3/15/80/3332-4H-II dated 15-4-80.
37	Sh. Pirthi Singh S/o Bir Singh V. Nagthala Distt. Hissar.	Rev. 455 bore Butt No. 10306 Body No. 74231 make London	150	3/13/80-5787-4H-II dated 28-4-80.
38	Cap. Gurdev Singh S.D.E., P.W.D. Haryana.	Rifle 303 Bore Butt No. 10871 Body No. 5577 make Ishapur	250	3/2/78-5722-4H-II dated 5-5-80.
39	Sh. Sagar Chand Sharma, D.S.P. Vigilance Electricity Board	12 bore SBBL gun Butt No. 54/69 Body No. 3348/53232	300	3/19/80-5564-80-4H-II dated 6-5-80.

	Haryana.	make U.S.A.		
40	Shri Shyam Lal Shastri Near Head Post Office Jind.	Rev. 30 bore Butt No. 283 Body No. 713089 make U.S.A.	2000	3/37/78-562-80-4H-II dated 9-5-80.
41	Sh. Baru Ram S/o Sh. Nathu Ram The. Safidon Distt. Jind Vill Rijhana.	Rev. 32 bore Butt No. 288 Body No. F.A.B. 288 make Dara made	1000	3/36/80-6738-4H-II dated 10-6-80.
42	Sh. S.P.S. Rathore I.P.S., S.S.P. Ambala.	Pistol 38 Bore Butt No. 292 Body No. 2924 make Germany	1200	3/38/80-6786-4H-II dated 11-6-80.
43	Sh. Ram Pal Singh Public Works Minister Haryana, Chandigarh.	12 Bore DBBL gun Butt No. 248 Body No. 51931 make Germany	1000	3/40/79-6791-4H-II dated 11-6-80.

44	Sh. Banarasi Dass I.F.S. Deputy Conservator Committee. Chandigarh.	12 bore DBBL gun Butt No. 124 body No. 23372 make I.O.F.	1200	3/2/78-5472-4H-II dated 5-6-80.
45	Sh. Shyama Ram Kataria S/o Sh. Inder Ram Kataria V & P.O. Sohana The. & Distt. Ambala.	Rev. 38 bore Butt No. 291 Body No. E.S.C. 320 make English	700	3/39/80-6903-4H-II dated 12-6-80.
46	Bull Singh S/o Sh. Poker Mal R/o Suraj Theatre Sirsa.	Rev. 32 Bore Butt No. 427 Body No. A-55044 make Weblay Scott	3500	3/40/80-7479-4H-II dated 14-7-80.
47	Sh. Om Parkash S/o Sh. Sohan Lal VPO Adampur The	Rev. 32 Bore Butt No. 426 Body No. A-5250	500	Do

	& Distt. Hissar.	make Pakistan		
48	Dura Ram S/o Sh. Manphool Singh V. Mohmudpur Distt. Hissar.	Pistol 45 Bore Butt No. 198 Body No. 308417 make U.S.A.	600	3/42/80-7656-4H-II dated 9-7-80.
49	Charanjit Singh 51 D.L.F. Colony Gurgaon.	Rev. 32 bore Butt No. 286 Body No. 158 Weblay Scott	800	3/41/80-7268-4H-II dated 4-7-80.
50	Sh. R.S. Chohan, H.C.S. Officer on Special duty to C.M. Haryana.	Rev. 38 bore Butt No. 442 Body No. 601 make English	300	3/48/80-7980-4H-II dated 14-7-80.
51	Sh. Vijay Pal Singh Dy. Speaker Haryana Vidhan Sabha Chandigarh.	Rev. 38 bore Butt No. 307 Body No. 42922/4632 make U.S.A.	1500	3/46/80-8557-4H-II dated 28-7-80.

52	Dr. Mohinder Kumar Bajan S/o Sh. Vir Bhan Naval Theatre Panipat Karnal.	Pistol 38 bore Butt No. 10818 Body No. 7000 make Germany	600	3/44/80-8199-4H-II dated 28-7-80.
53	R.S. Gupta Distt. & Session Judge Karnal.	20 bore DBBL gun Butt No. 257 Body No. 3544-E make U.S.A.	1000	3/29/80-8595-4H-II dated 28-7-80.
54	Sh. Ram Dhari Balmiki Ex- M.L.A. Vill. Kathura The. Gohana Distt. Sonepat.	250-300 bore Rifle Butt No. 6524 Body No. 99961 make Germany	300	3/28/79-8200-80-4H-II dated 12-8-80.
55	Sh. Prit Singh H.C.S. S.D.O. (C) Jagadhari Distt. Ambala.	Revolver 38 bore Butt No. 282 body No. 829078 make U.S.A.	1200	3/25/80-9958-4H-II dated 8-9-80.
56	Sh. Diwakar	Rev. 38 bore butt	1000	3/45/80-8083-

	Partap Singh H.N. 217 Sector 15-A Faridabad.	No. 308 Body No. 190851 make U.S.A.		4H-II dated 8-9-80.
57	Sh. Rathi Ram S/o Sh. Singh Ram V & P.O. Seedpur Karnal.	12 bore SBBL butt No. 186 body No. 3545 make Foreign	150	3/55/80-9819-4H-II dated 4-9-80.
58	Sh. Kartar Singh Takkar S/o Gobind Ram Executive Member S.G.P.C. Ambala.	Rifle 30 bore butt No. 1/15 body No. 899967 make Lain and Lord	550	3/61/80-10671-4H-II dated 29-9-80.
59	Sh. R.D. Singh D.S.P./Naraingarh.	12 bore SBBL gun butt No. 185 body No. 983031 make U.S.A.	200	3/68/80-11083-4H-II dated 7-10-80.
60	Sh. Pusha Ram M.L.A. C/o Ch. Daya Nand Garg	Rev. 38 bore Butt No. 441 body No. 327428	600	3/63/80-10822-4H-II dated 10-10-80.

	Mohala Choudhrian Narnaul	make U.S.A.		
61	Sh. Sheo Karan S/o Sh. Jalu Ram R/o Khajuri Jatti The. Fatehabad Distt. Hissar.	Rifle 303 bore Butt No. 62/70 body No. 62/70 make English	800	3/2/78-11848-80-4H-II dated 29-10-80.
62	Sh. Shiv Shakti, H.No. 2500 Sec. 19-C Chandigarh.	16 bore DBBL gun butt No. 59-66 body No. 134034 make Bringum	150	3/14/80-11814-4H-II dated 27-10-80.
63	Sh. Achint Ram S/o Sh. Badri Parshad V. Nimdhi The. Fatehabad Distt. Hissar.	Rev. 38 bore butt No. 284 body No. 1948 make London & Bringum	1000	3/96/80-9645-4H-II dated 2710-80.
64	S.S. Rahi H.No.	Rev. 455 bore	100	3/64/80-12466-

	173, Sect. 22-A Chandigarh.	butt No. 28-29 body No. 2457/476 make Bringum		4H-II dated 14-10-80.
65	Thakur Randhir Singh Advocate Mal Road Karnal.	Pistol 380 bore butt No. 473 body No. 139455 make Wablay Scott	2500	3/68/80-11782-4H-II dated 27/10/80.
66	Sh. Mani Ram Mal S.I. Police Retd. V. & P.O. Chikanwas Distt. Hissar.	Rev. 38 bore butt No. 188 body No. FAB 188 make Dara made	50	3/45/80-8857-4H-II dated 28-10-80.
67	Sh. B.S. Lathar Chairman Haryana Public Service Commission. Chandigarh.	Rev. 38 bore butt No. 440 body No. 56264 make U.S.A.	800	3/79/80-12333-4H-II dated 18-11-80.
68	Sh. Devi Lal S/o	Rev. 455 bore	100	3/77/80-12463-

	Sh. Manshukh Ram Dhani Mohabatpur Hissar.	butt No. 48-68 body No. GN-316 make English		4H-II dated 14-11-80.
69	Sh. Sher Singh S/o Sh. Ranjit Singh V. Mahalsara Distt. Hissar.	Rev. 38 bore Butt No. 475 body No. 05212 make English.	2000	3/72/80-12465-4H-II dated 14-11-80.
70	Sh. Ram Munesar Singh Jamadar to Governor Haryana, Chandigarh.	12 bore SBBL gun butt No. 106 Body No. 2823 make India	200	3/80/80-12376-4H-II dated 24-11-80.
71	Sh. Rameshwar Dass S/o Siri Ram Bishnoi Vill. Badopal The. Fatehbad, Hissar.	Rev. 38 bore butt No. 12-70 body No. 19152 make Desi	50	3/35/80-3668-4H-II dated 13-11-80.
72	Sh. Ranbir Singh	Rev. 38 bore butt	1200	3/76/80-11906-

	Jaglan S/o Sh. Molar Ram C/o Ram Kishan H.NO. 262 W.4 Kanungo Mohalla Jind.	No. 309 body No. 47208 make U.S.A.		4H-II dated 12-11-80.
73	Sh. Krishan Kumar S/o Sh. Mani Ram V. Mahalsara P.O. Assarvan Hissar.	Revl. 455 bore butt No. 34-68 body No. 3858 make S&W	500	3/64/80-12466-4H-II dated 14-11-80.
74	Sh. Nachhatar Singh S/o Sh. Dharam Singh Executive Officer Marketing Committee Hissar.	Revl. 455 bore butt No. 444 body No. 444 make English	500	3/60/80-12472-4H-II dated 28-11-80.
75	Sh. Ram Sarup S/o Sewa Ram V. & P.O. Arya Nagar The. Distt. Hissar.	Revl. 38 bore Butt No. 471 Body No. 1945/83 make	450	3/71/80-12730-4H-II dated 27-11-80.

		Dara Made		
76	Sh. Narsingh Dass S/o Asha Ram V. & P.O. Mohammad pur Rohi The. Fatehabad Distt. Hissar.	Revl. 450 bore butt No. 10/886 Body No. 35263 make R.B. Roda	100	3/81/80-12679-4H-II dated 3-12-80.
77	Sh. Sant Lal S/o Asha Ram Vill. & P.O. Mohammad Pur Rohi The. Fatehabad Distt. Hissar	Rev. 455 bore butt No. 49-151 body No. GN 105 make English.	100	Do
78	Sh. Atma Ram S/o Sh. Bhagrawat V. Khazuri Jatti The. Fatehabad Hissar.	12 bore DBBL gun butt No. 295 body No. 92322 make English	650	3/14/80-12901-4H-II dated 4-12-80.
79	Sh. Suresh Pal V. Passiala P.O.	Revl. 32 bore butt No. 433	350	3/47/80-13499-4H-II dated 11-

	Nagala Distt. Ambala.	body No. 433 make Dara Made		12-80.
80	Sh. Ram Kumar S/o Sh. Nanak V. & P.O. Gurshal Distt. Hissar.	Pistol 32 bore butt No. 235 body No. 11009705 make Foreign	480	3/31/80--4H-II dated 17-12-80.
81	Sh. Manphool S/o Sh. Kheraj C/o S.I. Jatinder Kumar Dwarka Parshad Shop No. 127 Fatehabad Hissar.	Rev. 450 bore Butt No. 10878 Body No. 10878 make English	150	3/81/80-12671-4H-II dated 3-12-80.
82	Sh. R.P Rao Dy. Princi0pal Secretary to C.M. Haryana Chandigarh.	Rev. 38 bore Butt No. 233 body No. 325209 make U.S.A.	550	3/9/80-1307-4H-II dated 28-11-80.
83	Sh. Subhash	12 bore SBBL	175	3/78/81-13966-

	Manju V. & P.O. Chidher Distt. Hissar	gun butt No. 32/70 body No. 32/70 make Desi		4H-II dated 28-11-80.
84	Sh. Jai Pal Singh C.NO. 1/463 Police Escort, Guard CM Haryana Chandigarh.	12 bore SBBL gun butt No. 528/72 body No. 11071 make Desi	300	3/83/80--4H-II dated 10-12-80.
85	Sh. A.K.S. Chauhan V. & P.O. Behta Distt. Ambala.	Pistol 9 MM butt No. 474 body No. 5600 make Germany	200	3/81/80-13551-4H-II dated 16-12-80.
86	Sh. Ramesh Sehgal IPS DIG/Rly and Traffic Haryana Chandigarh.	12 bore DBBL gun butt No. 250 body No. 7671 make London	900	3/70/80-11255-4H-II dated 22-12-80.
87	Sh. Surja Ram S/o Sohan Lal VPO. Mahmudpur Rohi	Revl. 32 bore butt No. 290 body No. 23234	400	3/86/80--4H-II dated 22-12-80.

	Distt. Hissar.	make Desi		
88	Sh. Gurbachan Singh Security Hav. Haryana Civil Secretariat Chandigarh.	12 bore DBBL gun butt No. 260 body No. 42812 make I.O.F.	900	3/5/80-12217-4H-II dated 24-12-80.
89	Sh. Rajinder Singh M.L.A., Ballabgarh Faridabad.	Revl. 32 bore butt No. 434 body No. 434 make Dara Made	1000	3/64/80-4H-II dated 19-12-80.
90	Lt. Col. J.P.S. Yadav Hqrs. 90 Corps. Arty B.D.S. C/o 56 A.P.O.	12 bore SBBL gun Butt No. 203 Body No. 3057 make India	300	3/2/78-8040-80-4H-II dated9-1-80.
91	Sh. S.D. Bhambri I.A.S. Chief Secy. To Govt. Haryana, Chandigarh.	12 bore DBBL gun Butt No. 458 body No. 115692 make Bringum	1200	3/2/78-13917-4H-II dated 30-12-80.

92	Sh. Balu Ram Manju V.P.O. Chindher Distt. Hissar.	12 bore SBBL gun butt No. 253 body No. 22406 make India	450	3/2/81-197-4H-II dated 7-1-81.
93	Sh. Atma Ram S/o Sh. Balu Ram VPO. Chindher Distt. Hissar.	12 bore SBBL gun butt No. 266 Body No. 1826/1966 make India	300	3/59/80-10695-4H-II dated 18-1-81.
94	Sh. Jagdish Chander S/o Mani Ram V.P.O. Adampur Distt. Hissar.	12 bore SBBL gun Butt No. 273 body No. 2762/71 make India	350	3/7/81-536-4H-II dated 21-1-81.
95	Sh. Gopi Chand S/o Sh. Udmi Ram V. Salimpur Distt. Hissar.	Revl. 455 bore butt No. 470 Body No. 340604 make English	800	3/99/80-14181-4H-II dated 21-1-81.
96	Sh. Hoshiar Singh	12 bore SBBL	175	3/83/80-13877-

	Police Inspector Security Officer to C.M. Haryana, Chandigarh.	gun butt No. 255 body No. 50975 make Weblay Scott		4H-II dated 13-11-81.
97	Sh. Chandan Singh Driver Haryana, Civil Sectt. Chandigarh.	12 bore DBBL gun butt No. 296 body No. 2655-70 make India	400	3/9/80-13094-4H-II dated 20-1-81.
98	Sh. Raja Ram S/o Badri Parshad V. Kharkheri Distt. Hissar.	Revl. 38 bore butt No. 423 body No. OC1736 make English	1500	3/37/80-538-80-4H-II dated 21-1-81.
99	Sh. Kundan Singh Inspector H.A.P. 1st Bn Ambala.	Revl. 38 bore butt No. 10305 body No. 1808 Dara made	25	3/39/80-13986-4H-II dated 27-1-81.
100	Sh. Puran Singh Gate-Keeper Punjab Civil Sectt.	12 bore DBBL gun Butt No. 297 Body No. 4969	500	3/9/80-13391-4H-II dated 21-1-81.

	Chandigarh.	make India		
101	Sh. Gajraj Bahadur Nagar Food & Supplies Minister Haryana, Chandigarh.	38 bore Revl. Butt No. 424 Body No.UC-57/4365 make English.	1800	3/37/80-6762-4H-II dated 28-1-81.
102	Sh. Ram Singh Advocate S/o Ganpat Rai VPO. Siswal Distt. Hissar.	Revl. 455 bore Butt No. 443 body No. F.A.B. 443 make English	550	3/100/80-13558-4H-II dated 22-1-81.
103	Sh. Gya Lal S/o Dharam Singh M.L.A State Agr. Marketing Board Hr. S.C.O. No. 1040-41 Chandigarh.	12 bore DBBL gun butt No. 249 body No. 10107 make Itlay	1000	3/30/80-5571-80-4H-II dated 28-1-81.
104	Sh. Som Nath	12 bore SBBL	500	3/13/81-528-

	Kandara V.P.O. Malha Quarry Distt. Ambala.	gun butt No. 263 body No. 486 make India		4H-II dated 5-2-81.
105	Sh. Attar Singh S/o Suraj Bhan VPO. Assaudha Distt. Rohtak.	12 bore SBBL gun butt No. 262 body No. 12747 make India	200	3/85/80-534-81-4H-II dated 21-1-81.
106	Sh. Hazari S/o Gulaba V. Alawalwas P.O. Lali Distt. Hissar.	12 bore DBBL gun Butt No. 453 Body No. 51718 make I.O.F.	700	3/58/80-9647-4H-II dated 28-1-81.
107	Sh. Hardwari S/o Khiana Ram V. Alawalawas P.O. Lali Distt. Hissar.	12 bore DBBL gun butt No. 258 Body No. 665 make India	600	3/58/80-9647-4H-II dated 28-1-81.
108	Sh. Ramphal Gunman C.M. Haryana, Chandigarh.	12 bore SBBL gun butt No. 269 body No. 15369 make India	350	3/83/80-533-81-4H-II dated 21-1-81.

109	Sh. Kehar Singh Driver C.M. Escort Haryana, Chandigarh.	12 bore SBBL gun butt No. 261 body No. 912-62 make India	500	3/83/80-535-81-4H-II dated 21-1-81.
110	Sh. Sardar Khan Dy. Home Minister Haryana, Chandigarh	12 bore DBBL gun Butt No. 293 body No. 12094 make Span	1000	3/32/79-13267-4H-II dated 24-1-81.
111	Sh. Bharat Singh S/o Beri Ram VPO. Bagla, Distt. Hissar.	12 bore DBBL gun butt No. 258 body No. 6344 make India	1000	3/41/80-7832-4H-II dated 28-1-81.
112	Sh. Ram Narain S/o Chhota Ram V. Hanspur, Teh. Fatehabad (Hissar)	Rifle 22 bore butt No. 303 body No. 203 make U.S.A.	250	3/8/81-504-4H-II dated 28-1-81.
113	Sh. Shiv Raj Bahadur Nagar Rambagh Tigaon	12 bore SBBL gun butt No. 268 body No. 195	350	3/37/80-6750-4H-II dated 28-1-81.

	Road Ballabgarh Faridabad	make India		
114	Sh. Birbal S/o Chandu Khicher VPO. Sadalpur, Distt. Hissar	Revl. 450 bore Butt No. 225 body No. 127 make English	200	3/100/80-13559-4H-II dated 27-1-81.
115	Sh. Subhash S/o Sohan Lal near High School Mandi Adampur	Revl. 450 bore butt No. 234 body No. FAB-234 make English	200	3/100/80-4H-II dated 27-1-81.
116	Capt. S.S. Kadian No. 1 circular Road Karnal	12 bore DBBL gun butt No. 126 body No. 4721 make foreign	500	3/2/78-993-81-4H-II dated 2-3-81.
117	Sh. Sardara Singh S/o Risal Singh V. Sundarpur, The. Kalka Ambala	12 bore SBBL gun butt No. 299 body No. 1413-68 make India	300	3/20/81-1631-4H-II dated 5-3-81.

118	Sh. Dwarka Parshad S/o Manphool Singh VPO. Mahamudpur Rohi, Hissar.	Revl. 32 bore Butt No. 435 body No. 435 FAB make Dera made	350	3/57/80-13736-4H-II dated 22-1-81.
119	Const. Ram Singh No. 132/PTC Madhuban, Karnal	12 bore SBBL gun butt No. 270 body No. 11360 make India	350	3/23/81-1603-4H-II dated 11-3-81.
120	Sh. Pritam Singh S/o Atma Singh H.NO. 3372 Sect.22-B-Chandigarh	12 bore SBBL gun butt No. 300 body No. 6763 make India	250	3/25/81-1883-4H-II dated 13-3-81.
121	Sh. Omparkash S/o Krishan Chand Gunman Finance Minister Haryana,	12 bore SBBL gun butt No. 274 body No. 36819 make India	300	3/24/81-1553-4H-II dated 11-3-81.

	Chandigarh			
122	Sh. Shamsher Singh S/o Sh. Bulaki Ram VPO. Kirehan, The. Fatehabad, Hissar.	12 bore SBBL gun Butt No. 272 body No. 1766/463628 make W.W. Graner	1400	3/39/81-2509-4H-II dated 10-4-81.
123	Sh. Ram Kishan S.I. FAB Police Lines, Ambala	12 bore SBBL gun butt No. 265 body No. 210/67/68 make India	100	3/51/81-2582-4H-II dated 26-4-81.
124	Sh. Gurdial Singh Retd. S.I.H. NO. 2633 Sect. 27-C Chandigarh	12 bore SBBL gun butt No. 252 body No. 1359/67 make India	175	3/55/81-2959-4H-II dated 8-5-81.
125	Sh. Joginder Singh S/o Sh. Atma	Rifle 303 bore Butt No. 305	100	3/19/81-3138-4H-II dated 20-5-

	Singh H.no. 3372 Sect. 22-D Chd.	body No. K-21-322/1684 make Pathani		81.
126	Maj. Mani Ram Punia VPO. Kabrail, Distt. Hissar.	Rifle No. 503 bore Butt No. 10668 body No. 5566 make Ishapur	250	3/2/78-1984-80-4H-II dated 2-3-81.
127	Sh. Ami Singh H.C. Driver S.S.P, Ambala City	12 bore SBBL gun butt No. 10958 body No. 387 make Walter lock	25	3/62/81-2887-4H-II dated 21-5-81.
128	Sh. Zulifi Ram gate messenger Haryana Civil Secretariat	12 bore SBBL gun butt No. 251 body No. 324 make India	125	3/53/81-2651-4H-II dated 28-4-81.
129	Sh. Bir Singh, A.S.I. No. 604/A	12 bore SBBL gun butt No.	75	3/65/81-2683-4H-II dated 21-5-

	S.S.P Office, Ambala City	168/186 body No. 3263 make Deshi		81.
130	Sh. S.P.S. Rathore, S.S.P., Karnal	Rifle No. 303 bore Butt No. 37/67 body No. 37/67 make B.S.A.	350	3/35/81-231-4H-II dated 9-6-81.
131	Sh. Kesho Ram Assistan Health Br. Haryana Civil Sectt. Chandigarh.	12 bore SBBL gun butt No. 3 body No 7110 make India	200	3/70/81-3303-4H-II dated 1-6-81.
132	Sh. Raj Narain Yadav H.NO. 252-A Rly. Colony Kalka, Ambala	12 bore SBBL gun Butt No. 275 Body No. K-2718 make India	200	3/68/81-3275-4H-II dated 1-6-81.
133	Sh. Shiv Taj Bahadur Nagar Adv. Rambagh	Revl. 32 bore butt No. 313 body No. 673	1000	3/82/80-3719-4H-II dated 22-6-81.

	Tigaon Road Ballabgarh, Distt. Faridabad	make Pakistan		
134	Sh. Gian Singh S/o Bachan Singh H. No. 2088 Sec. 28-C Chandigarh.	12 bore SBBL gun butt No. 254 body No. 183/10KG 245 make India	175	3/69/81-3304-4H-II dated 29-5-81.
135	Sh. Suresh Kumar Mudgil Lambardar V. Hakdarpur, Distt. Gurgaon	12 bore SBBL gun butt No. 264 body No. 2618-59 make India	200	3/64/81-2728-4H-II dated 21-5-81.
136	Sh. Pritam Singh No. 192 C.M. Escort Kothi No. 1 Sector 3 Chandigarh	12 bore SBBL gun Butt No. 271 body No. 908 make India	300	3/28/81-1604-4H-II dated 11-3-81.
137	Sh. Shanker S/o Sh. Ram Lal R/o	Rifle 394 bore Butt No.	200	3/80/81-5311-4H-II dated 29-7-

	Talwandi Rana, Distt. Hissar	1/6/1969 body No. 2225 make English		81.
138	Sh. Balbir Singh S/o Bhajan Lal V. Talwandi Rana P.O. Talwani Rana, Distt. Hissar	Rifle 295 boe butt No. 1/12 body No. 18/591 make London	150	3/81/81-5316-4H-II dated 28-7-81.
139	Sh. Ramchander S/o Sh. Shanker Lal VPO. Sishwal Distt. Hissar	Revl. 38 bore Butt No. 439 body No. 1956/555 make London	1500	3/80/80-5043-81-4H-II dated 10-7-81.
140	Sh. Hav. Ramkishan VPO. Kalri Jagir P.S. Indri Distt. Karnal	12 bore SBBL gun butt No. 134 body No. 2349 make N.S.A.	250	3/82/78-993-81-4H-II dated 3-7-81.
141	Sh. Mohan Lal S/o Sh. Mange Ram	12 bore SBBL gun butt No. 276	200	3/36/81-7429-4H-II dated 3-10-

	C/o Chief Minister Haryana Kothi No. 1 Sec. 3 Chandigarh	Body No. 270 make India		81.
142	Sh. Roop Chand H.C. No. 80 Police Lines, Ambala City	12 bore SBBL gun butt No. 108 Body No. 24159 make India	150	3/90/81-6119-4H-II dated 23-10-81.
143	Sh. Lalit Mohan Bhalla Surt Cinema Sirsa Haryana	30 bore Pistol Butt No. 222 body No. 1202250 make foreign	600	3/103/81-6119-4H-II dated 23-10-81.
144	Sh. Om Parkash S/o Sh. Ram Partap Khicher VPO. Magali Distt. Hissar	Rifle No. 303 bore butt No. 10865 body No. 5784 make Ishapur	250	3/106/81-7866-4H-II dated 25-11-81.
145	Sh. Suraj Parkash	12 bore SBBL	75	3/110/81-8697-

	S.I. Police Line Quarter No. 19-D, Ambala City	gun butt No. 187 body No. 8580/5720 make Balgium		4H-II dated 16-12-81.
146	Sh. Mange Ram Gupta Local Minister Haryana	12 bore DBBL gun butt No. 191 body No. 67892 make I.O.F.	1600	3/108/81-7949-4H-II dated 16-12-81.
147	Sh. R.S. Yadav, I.P.S., D.I.G. Ambala Range, Ambala Cantt.	Pistol 7.65 MM butt No. 229 body No. 150/604 make U.S.A.	550	3/28/81-8164-4H-II dated 11-1-82.
148	Sh. Siri Ram S/o Sh. Mange Ram VPO. Talwandi Rana Distt. Hissar.	30 bore Rifle butt No. 7111 body No. 881577 make Lyoing in Lyoin	100	3/98/81-8164-4H-II dated 23-12-81.
149	Sh. Hurmat Khan	12 bore DBBL	75	3/101/81-7080-

	S/o Sh. Ilahibux V. Chanderi P.O. Nuh Distt. Gurgaon	gun butt No. 217 body No. 9867 make Walter Lock		4H-II dated 3-12-81.
150	Sh. K.S. Nayar Divisional and State Co-ordinator for Haryana India Oil Corporation (Marketing) 145/146 Sec. 8-C Madhya Marg Chandigarh	25 bore Pistol Butt No. 438 body No. 8652 make English	800	3/53/81-601-82-4H-II dated 22-1-82.
151	Sh. Om Parkash S/o Sh. Ram Rakh V. Talwandi Badhshapur P.O. Talwandi Rukha, Hissar.	303 bore rifle butt No. 304 body No. 1821 make Pathani	100	3/76/81-8212-4H-II dated 28-1-82.

152	Sh. Jhandu Ram S/o Ganpat Ram VPO. Bagla The. & Distt. Hissar	12 bore DBBL gun butt No. 294 body No. 1670 make India	600	3/97/80-7748-81-4H-II dated 3-2-82.
153	Sh. H.R.K. Talwar I.P.S. Director General of Police & B.P.R. & D.B/1088 Gurgaon Road Barracks New Delhi	12 bore SBBL gun butt No. 247 body No. 2545 make U.S.A.	1000	3/37/81-752-82-4H-II dated 2-3-82.
154	Sh. Sahi Ram Manju S/o Sh. Jethu Ram P.L.D. Bank Fatehabad VPO. Chindher Distt. Hissar	12 bore SBBL gun butt No. 218 body No. 122391 make India	75	3/83/70-1428-82-4H-II dated 5-3-82.
155	Sh. Bhagwan Singh H.C. No. 26 Office	12 bore SBBL gun butt No. 215 body No. FAB	250	3/8/82-1552-4H-II dated 15-4-

	D.S.P./F.S.O. Home Minister Haryana Chandigarh	215 make Deshi		82.
156	Sh. Prem Kumar Dhawan H.No. 116 Sec. 19-B Chandigarh	12 bore gun but No. 267 body No. 3428 make India	450	3/100/81-2183-82-4H-II dated 7-4-82.
157	Sh. Krishan Lal S/o Sh. Bhajan Lal VPO. Talwandi Rana Sec. 3 Hissar	12 bore SBBL gun butt No. 165 body No. 3319 make Deshi	50	3/82/81-1390-82-4H-II dated 21-4-82.
158	Sh. Rajinder Singh S/o Sh. Raghbir Singh H. No. 175 S.P. Office Ambala	DBML gun butt No. 70 body No. 641 make English	100	3/19/82-2324-4H-II dated 2-6-82.
159	Sh. Raje Ram S/o Sh. Sohan Lal VPO. Mohmadpur	12 bore SBBL gun butt No. 184 body No. 27935	65	3/76/81-1284-82-4H-II dated 5-5-82.

	Rohi Teh. Fatehabad Distt. Hissar	make India		
160	Sh. Jagdish Chander Manju Adv. VPO. Sawangpur Mandi Adampur Distt. Hissar	Revi. 32 Bore Butt No. 311 Body No. 57819 make Dera Made	300	3/25/82-5522-82-4H-II dated 8-9-82.
161	Sh. Manohar Singh S.I. C.I.D. Haryana Chandigarh.	DBML gun butt No. 316 body No. F.A.B. 316 make Deshi	50	3/18/82-2171-4H-II dated 28-5-82.
162	Sh. Monphool Singh S/o Sh. Khai Raj VPO. Mohamadpur Rohi The. Fatehabad Distt. Hissar	12 bore SBBL gun butt No. 219 body No. 1657 make India	50	3/5/82-7470-4H-II dated 28-10-82.

163	Sh. Ram Kumar S/o Sh. Sahi Ram Fatehabad Distt. Hissar	12 bore SBBL gun butt No. 204 body No. F.A.B. 204 make Deshi	50	3/1/82-7471-4H-II dated 2-11-82.
164	Sh. Chandan Singh Driver Haryana Civil Sectt. Chandigarh	DBML Gun butt No. 317 body No. 148 make Deshi	50	3/37/82-146-83-4H-II dated 18-1-83.
165	Sh. Lachhaman Dass Arora, State Home Minister Haryana, Chandigarh	Pistol 7.65 MM butt No. 523 body No. 663575 make Span	1000	3/18/83-4755-4H-II dated 28-6-83.
166	Sh. Kalyan Singh Housing & Jail Minister Hayana, Chandigarh	12 bore DBBL gun butt No. 506 body No. 3458 make U.S.A.	2000	3/18/83-4755-4H-II dated 28-6-83.
167	Sh. Rajinder Singh Food & Supply	Rifle 315 bore Butt No. 514	700	3/18/83-3738--4H-II dated 28-6-

	Minister Haryana	body No. 5906 make I.O.F.		83.
168	Sh. Brij Mohan Excise & Taxation Minister Haryana	Pistol 9 MM butt No. 497 body No. 72631 make Lama	1500	3/18/83-4755-4H-II dated 28-6-83.
169	Sh. Rishi Gupta S/o Sh. R.N. Gupta H.NO. 770 Kevel Ganj Rohtak	Pistol 25 bore butt No. 498 body No. 707198 make Span	750	3/25/83-5202-4H-II dated 19-7-83.
170	Sh. Mangal Sain M.L.A. H. No. 962 W. No. 20 Ram Sukh Dass Colony Rohtak	Pistol 7.65 MM butt No. 547 body No. 324249 make Star Ebar Espana Spain	700	3/30/83-5645-4H-II dated 27-7-83.
171	Sh. V.N. Negi I.P.S. S.P. Hissar	Revl. 38 Bore butt No. 535 body No. 905939 make I.O.F.	1000	3/14/83-5253-4H-II dated 25-7-83.

172	Sh. Feteh Chand Vij M.L.A. Panipat	12 bore DBBL gun Butt No. 504 body No. 575339 make I.O.F.	1500	3/18/83-5648-4H-II dated 1-8-83.
173	Sh. T.D. Jogpal I.A.S. Managing Director Haryana Chandigarh	12 bore SBBL gun butt No. 425 Body No. 1819-67 make India	500	3/20/80--4H-II dated 27-7-83.
174	Sh. B.S. Nalwa Brig. S/o Sh. Sant Singh Commonder I.G. Artellary Bde. C/o 56 A.P.O.	12 bore DBBL gun butt No. 298 body No. 112894 make English	400	3/20/80-4H-II dated 27-7-83.
175	Sh. Raj Singh Hooda I.F.S. Divisional Forest Officer, Ambala Forest Division Ambala	12 bore SBBL gun butt No. 454 body No. 1345 make India	400	Do

176	Sh. S.S. Dalal I.F.S. Chief Conservetor Forest Chandigarh	Revl. 32 bore butt No. 287 Body No. 1955 Make Dera Made	400	Do
177	Sh. Surinder Kumar S/o Sh. Ram Dass Dhamija R.O. Dhari Shah Pharmacy Ambala Cantt.	12 bore DBBL gun butt No. 503 body No. 94391 make I.O.F.	1500	3/24/83-5047-4H-II dated 29-7-83.
178	Sh. Budh Ram I.P.S. Deputy Inspector General Of Police Gurgaon Range	12 bore DBBL gun butt No. 429 body No. 1116 make India	800	3/20/82-4H-II dated 27-7-83.
179	Sh. Manohar Lal Suneja S/o Sh. Ladha Ram H.No. 691 W. No. 3	Revl. 38 bore Butt No. 484 body No. 554017 make U.S.A.	3000	3/4/82-3685-83-4H-II dated 19-8-83.

	Panipat			
180	Brig. B.S. Lamba Commandant C/o 56 A.P.O.	12 bore SBBL gun butt No. 381 body No. 7843 make Span	600	3/20/80-4H-II dated 27-7-83.
181	Sh. Jogi Ram M.L.A. S/o Sh. Data Ram VPO. Khark Pandwan Teh. Narwana Distt. Jind	Revl. 32 bore Butt No. 544 body No. FAB 544 make Pakistan	650	3/20/83-5839-4H-II dated 22-8-83.
182	Sh. Ishwar Singh M.L.A. Kaul P.S. Pundri The. Kaithal Distt. Kurukshetra	Revl. 38 Bore Butt No. 526 body No. 08353 make U.S.A.	2500	3/25/82-5074-83-4H-II dated 19-8-83.
183	Sh. M.S. Bhatnagar Director General Of Police	Pistol 9 MM butt No. 436 body No. T-4680 make	2500	3/20/80-4H-II dated 23-8-83.

	Haryana	English		
184	Sh. R.N. Parasher S/o Sh. Ram Saran Dass Deputy Secy. Home Haryana, Chandigarh	Pistol 25 bore butt No. 472 body No. FAB 472 make London	1000	3/43/83-6666-4H-II dated 19-9-83.
185	Sh. Shiv Bran Jamadar/Chief Secretary Haryana	12 bore SBBL gun butt No. 485 body No. 37835 make U.S.A.	400	3/41/82-6801-83-4H-II dated 13-10-83.
186	Sh. K.G. Verma Managing Director Haryana State Small Industry and Export Corporation Chandigarh	12 bore DBBL gun butt No. 430 body No. 0626 make I.O.F.	1500	3/64/83-6489-4H-II dated 1-12-83.
187	Sh. Mani Ram Harijan S/o Sh.	12 bore SBBL gun butt No. 488	200	3/51/83-7536-4H-II dated 28-

	Lichhu Ram Vill. Dhangar Distt. Hissar.	body No. F.A.B. 488 make Deshi		11-83.
188	Sh. Ram Kumar S/o Ballu Ram V. Chindhar P.S. Fatehabad Distt. Hissar	12 bore SBBL gun butt No. 478 body No. 484 make Deshi	100	3/11/84-4H-II dated 17-2-84.
189	Sh. Neki Ram S/o Sh. Pat Ram R/o Chindher P.S. Fatehabad Distt. Hissar	12 bore SBBL gun butt No. 490 body No. K. 16147 make N.S.A.	200	3/10/84-4H-II dated 17-2-84.
190	Sh. Raje Ram S/o Sh. Sohan Lal VPO. Mohammadpur Rohi P.S. Fetehabad Distt.	Rifle DBBL 500 bore butt No. 64/69 body No. 6183 make R.D. Roda	1000	3/53/83-4H-II dated 27-2-84.

	Hissar.			
191	Sh. Dharam Vir Gaba S/o Sh. Pannu Ram Gaba M.L.A. 489 New Colony Gurgaon	12 bore DBBL butt No. 505 Body No. 67407 make I.O.F.	1200	3/59/83-4H-II dated 2-3-84.
192	Sh. Hanuman S/o Sh. Misri Ram Vill. Jhalmia P.O. Khas Teh. Fetehabad Distt. Hissar	Revl. 455 bore butt No. 499 body No. FAB 499 make English	500	3/39/83-591-4H-II dated 13-3-84.
193	Sh. K.C. Sharma I.A.S., D.C. Kurukshetra	12 bore SBBL gun butt No. 302 body No. 282 make India	200	3/62/83-1856-4H-II dated 16-3-84.
194	Sh. Sultan Singh S/o Sh. Arma Ram Manju VPO. Khazauri Jatti	Rifle 30 bore butt No. 522 body No. 3558656 make	500	3/5/84-2255-4H-II dated 28-3-84.

	Teh. Fetehabad Distt. Hissar	English		
195	Sh. Manphool Singh M.L.A. S/o Shri Chandi Ram Resident Of Parladpur Khalila The. Panipat Distt. Karnal	Rifle Thomson 38/44 bore butt No. 487 Body No. 775 make Itlay	1200	3/14/84-1450-4H-II dated 27-2-84.
196	Sh. Puran Mal Bhagwaria S/o Sh. Chuni Lal H.No. 276 Model Town Karnal	Pistol 7.65 MM butt No. 437 body No. 613789 Make English	2500	3/1/84-2339-4H-II dated 3-4-84.
197	Smt. Satwanti W/o Sh. D.N. Sharma M.L.A. Rajond Distt. Jind	12 Bore DBBL gun butt No. 529 body No. 7512 Walter Lock	12500	3/31/83-5513-84-4H-II dated 5-4-84.
198	Sh. Raj Kumar	12 bore DBBL	800	3/22/84-2074-

	I.P.S. S/o Sh. Raghbir Singh S.P. Kurukshetra	gun butt No. 508 body No. 42596 make I.O.F.		4H-II dated 10-5-84.
199	Sh. O.S. Kaushik S/o Sh. Suraj Parkash Deputy State H.S.I.D.C. Chandigarh	12 bore SBBL gun butt No. 491 body No. 13945 make N.S.A.	300	3/45/84-3802-4H-II dated 31-5-84.
200	Sh. A.D. Malik I.A.S., H. No. 738 Sec. 7 Chandigarh	12 bore DBBL gun Butt No. 457 body No. 7173 make Bringhum	300	3/44/84-3863-4H-II dated 20-6-84.
201	Sh. Bahadur Singh M.L.A. VPO. Bajekan Teh. & Distt. Sirsa	Revl. 38 bore butt No. 501 body No. FAB 501 make Dera made	600	3/39/83-2960-4H-II dated 21-6-84.
202	Sh. S.K. Ashri Sub Divisional Officer	Rifle 22 bore butt No. 521	500	3/70/83-8866-4H-II dated 8-6-

	Canal Hissar	body No. 3086 make Bringhum		84.
203	Sh. Dalbir Singh Minister Of State for Energy COAL India New Delhi	12 bore DBBL GUN Butt No. 431 body No. FAB 431 make English	1000	3/28/84-2478-4H-II dated 28-5-84.
204	Sh. Jagdish Joon Assistant Haryana, Civil Secretariat Chandigarh	12 bore SBBL gun butt No. 592 body No. 16041 make N.S.A.	400	3/40/84-4091-4H-II dated 21-6-84.
205	Smt. Balwant Kaur W/o Sh. P.P. Singh Sahani 53 Mani Majra Chandigarh	12 bore SBBL gun Butt No. 511 Body No. K 1336 make India	500	3/20/84-4749-4H-II dated 15-6-84.
206	Sh. O.P. Bhardwaj I.A.S. Director Higher Education Haryana,	Revl. 32 bore butt No. 65 body No. F.A. B-65 make Dera made	900	3/42/84-4185-4H-II dated 2-8-84.

	Chandigarh.			

ANNEXURE 'B'

Sr. No.	Name and full addresses of the Allottee	Description of Weapon allotted	Price received from allotee prevailing market price as assessed by the evaluation Committee	No. and date of allotment letter issued by the Government
1	Sh. Sardar Khan Dy. Home Minister Haryana, Chandigarh	1. Revolver 38 bore Butt No. 232 body No. 491449 Make U.S.A.	600	3/17/79-4951-4H-II dated 26-10-79.
		2. 12 bore DBBL gun butt No. 293 body No. 12094 make Spain	1000	3/32/79-13267-4H-II dated 24-1-81.

2	Sh. S.P.S. Rathore I.P.S. S.S.P. Ambala	1. Pistol 38 bore butt No. 292 body No. 2924 make Germany	1200	3/38/80-6786-4H-II dated 11-6-80.
		2. Rifle No. 303 Butt No. 37/67 Body No. 37/67 make B.S.A.	250	3/35/81-2314-4H-II dated 9-6-81.
3	Sh. Manphool Singh S/o Kheraj C/o S.I.J.I Jitender Kumar Dwarka Prashad Shop No. 127 Fathebad Distt. Hissar.	1. Revl. 450 Bore Butt No. 10875 body No. 11009705 make foreign	150	3/81/80-12671-4H-II dated 3-12-80.
		2. 12 Bore SBBL gun Butt No. 219 body No. 1657 Make India	50	3/5/82-2171-4H-II dated 28-10-82.
4	Sh. Raje Ram S/o Sh. Sohan Lal VPO. Mohmadpur Rohi Teh. Fatehabad Distt.	1. 12 bore SBBL gun butt No. 184 body No. 27935	65	3/8/81-1284-82-4H-II dated 5-5-82.

	Hissar	make India		
		2. Rifle DBBL 500 Bore butt No. 6469 body No. 6183 make R.D. Roda	1000	3/53/83-4H-II dated 27-2-84.

Cases Pending In the Courts of Financial Commissioners in the State

152. Shri Kitab Singh: Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) the number of Financial Commissioners in the State together with the number of cases lying Pending in their courts as on 7-8-1984 separately; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the number of Financial Commissioners so as to ensure speedy disposal of cases pending in their respective courts?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) छः (6) 1 दिनांक 7.8.1984 तक उनकी अदालतों में लम्बित केसिज की संख्या उनके सम्मुख अलग अलग द ाई गई हैं :–

	पद	लम्बित केसिज की संख्या
(1)	मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा	भून्य
(2)	वित्तायुक्त, राजस्व	133
(3)	वित्तायुक्त, स्वास्थ्य	भून्य

(4)	वित्तायुक्त, सहकारिता	547
(5)	वित्तायुक्त, कृशि	70
(6)	वित्तायुक्त, उद्योग	42
(ख)	नहीं ।	

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

(1) चौधरी देवी लाल द्वारा

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेने ान के द्वारा अर्ज करना चाहूंगा कि ये ..... राज नहीं चला सकते। ये तो यहां पर तो बैठे हैं। ये गांवों में अकेले नहीं जा सकते। (ाोर)

श्री अध्यक्षः डम्मी वर्ड रिकार्ड पर न आए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चौधरी साहब, जितनी मीटिंगें मैंने पिछले दो महीनों में की हैं उतनी तो आपने एक साल में भी नहीं की होंगी और मैंने जो मीटिंगे की हैं उनका हिसाब लगा कर देख लो कि किसने ज्यादा गांवों में मीटिंगें की हैं। (ाोर)

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, आपको पता है कि पंजाब में तो कोई गवर्नमैंट है नहीं। (ाोर)

अगर कोई ..... गवर्नमैंट देखनी है तो वह दिल्ली में बैठी है। ले आओ सरदार दरबारा सिंह को। इस प्रकार ..... ये राज करना चाहते हैं जम्मू क मीर में गुलाम मोहम्मद भााह तो सैंटर का गुलमा हो सकता है लेकिन भोख अबदुल्ला का लड़का गुलाम होकर नहीं चल सकता। यही हालत

राजस्थान में हैं। पहले तो वहां पर एक फटीक को मुख्य मंत्री बना दिया जिसकी बिरादरी के राजस्थान के अंदर सिर्फ 157 घर हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर चूंकि जाटों, राजपूतों और मीणों का बहुमत है। इसलिए उनकी बिरादरी का सी0एम0 होना चाहिए। अब वहां पर माथुर साहब को बैठा दिया है जो कायस्थ जाति से संबंध रखते हैं। मैं कायस्टा, बि ानोई या फटिकों के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि वहां पर वह राज चला रहे हैं जिनका कोई बहुमत नहीं है। सारे राजस्थान की जनसंख्या 2 करोड 25 लाख है और इसमें माथुर साहब की बिरादरी के कैवल 149 घर हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां पर भी ..... बैठा रखा है। हमारे यहां सारे हरियाणा में बि ानोइयों की तादाद केवल 27 हजार के करीब है। बाकी सिख, अहीर, सैनी और गुजर जातियां हैं। जिस जाति का हरियाणा में बहुमत है उसको भी यहां पर नहीं बैठा रखा। यहां पर जो नमूने बैठा रखे हैं, वे सब के सामने हैं इसी 20 तारीख को चौधरी भजन लाल जी नरवाना गए थे। बाद में मैंने भी नरवाना के दो तीन गांवों में जलसा किया था। चौधरी भाम ोर सिंह जी के जलसे में लोगों की संख्या हजारों में थी। जब मैं वहां पर गया हुआ था तो एक अखबार का मुझे एक फोटो दिखाया गया जिसमें भजन लाल जी बटन दबा रहे हैं और सुरजेवाला जी, नेहरा जी और वीरेन्द्र सिंह जी तालियां बजा रहे हैं। (ाोर) मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन लोगों का बहुमत हो उनकी सरकार हो। अगर अकालियों का बहुमत हो

तो अकालियों की सरकार हो। दरबारा सिंह को भेज दो या बूटा सिंह को भेज दो, वही सरकार चला सकते हैं और कोई ग नहीं यह बडी गलत बात है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिनका बहुमत हो उनकी ही सरकार बननी चाहिए चाहे आन्ध्र प्रदे ा हो, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा हो। आन्ध्र प्रदे ा में भास्कर राव को चीफ मिनिस्टर बना कर और उसकी चमडी में भूसा भर कर ढोल बना सकते हैं और चोधरी भजन लाल बेचारा ढोल पीट सकता है और भजन कर सकता है लेकिन देवी लाल उस देवी का दया का पात्र नहीं हो सकता। यदि पंजाब के अंदर कोई गवर्नमैंट हो तो मसला हल हो सकता है। वहां पर कोई गवर्नमैंट न होने के कारण और नहर टूटने के कारण हरियाणा को 200 करोड रूपये का नुकसान हो गया है। इसके गवर्नर में हिम्मत होती तो वहीं की जनता पर मुआवजा डालते और तावान डालते जिन्होंने नहर को तोडा है।

श्री अध्यक्षः अभी तो अकाली कह रहे हैं कि हमने पानी बिल्कुल नहीं जाने देना और फिर नहर तोडेंगे। उसके बाद भी आप अकालियों को स्पोर्ट कर रहे हो ?

चौधरी देवी लालः वे तो अकाली हैं लेकिन सरकार तो इनकी है। आपकी सरकार के प्रधान मंत्री ने एलान किया था कि एस0वाई0एल0 नहर दो साल के अंदर अंदर बन जायेगी लेकिन आज अढाई साल के करीब हो गए हैं नहर नहीं बनी है। इस नहर के समझौते पर तीनों चीफ मिनिस्टरों के साईन हैं। अभी भी वहां

पर 8 क्रेनें और 10 बुलडोजर खडे हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। इस नहर की खुदाई के मामले में आप गलत बयान कर रहे हैं। आप यह भी गलत बयानी कर रहे हैं कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलती है। भले मानस सुरजेवाला जी बिजली गई कहां ? यदि अपने यहां पर बारि ा न होती तो जीरी की फसल तबाह हो जाती। आप सारी बिजली कारखानों को दे रहे हैं मेरा कहना यह है कि अपनी स्टेट को बचाओ और इस भाखडा मेन लाईन का इंतजाम करो ताकि आइंदा यह नहर न टूटने पाये। इस बारे में मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि आपको एक भाखडा प्रोटैक ान फोर्स खडी करनी चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

(2) मुख्य मंत्री द्वारा

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं ऐसी कोई बात कहना नही चाहूंगा जिससे कोई बदमजगी फैले। मैंने चौधरी देवी लाल जी को अच्छी प्रकार सुना है। इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके बारे में मैं जो कुछ कहुंगा कि वह रिजन्ज के साथ ही कहूंगा। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में वोट का राज है। (ाोर) अध्यक्ष महोदय, आदमी बहुमत से मुख्य मंत्री बनता है। मैं भी यहां पर बहुमत से ही बैठा हूं। यदि हमारे पास बहुमत न होता तो हम यहां पर कैसे बैठ सकते थे ? हम उधर बैठते और ये अपोजी ान वाले भई इधर बैठते। इनका

एम0एल0एज0 के बारे में यह कहना कि ये खरीदे हुए हैं कितनी तोहीन की बात है। (ाोर) आप लोगों को मेरी भी बात स ुननी चाहिए। जब ये बोल रहे थे तो हमने भी सुना है। हम बीच में बिल्कुल नहीं बोले। अब आप भी हमारी बात को जरा ध्यान से सुनें। इन्होंने यहां पर इलजाम लगाया कि वहां पर फलां जाति का बहुमत है और वहां पर फलां जाति का बहुमत है। यह बात ठीक है कि सारी जातियां मिल कर राज चला सकती हैं। मैं इन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि कोई भी एक जाति अकेले राज नहीं चला सकती। लेकिन जिस तरह का वातावरण ये मेरे भाई बनाते हैं और एक ही बिरादरी का नारा लगाते हैं उस से राज नहीं चला करता है। इन्होंने यहां पर बि ानोइयों और दूसरी जातियों का जिक्र अच्छी तरह से कर दिया। मेरे हल्के में सिर्फ 6 हजार बि ानोईयों के वोट हैं और 35 हजार वोट चौधरी देवी लाल की जाति के जाट वोट हैं। ये मेरे मुकाबले में 1977 में खडे हुए थे। उस समय मैंने इनको साढे ग्यारह हजार वोटों से हराया था। ये सामने बैठे हैं, बे ाक इनसे पूछ लें। (ाोर) मेरे हल्के में जाट और बि ानोई में कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैं सब जाति के भाइयों को एक समान समझता हूं।

चौधरी देवी लालः आपने तो तावडू के चुनाव में फोर्स भी इस्तेमाल कर ली लेकिन फिर भी हार गए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः कृपया आप मेरी बात सुनने की कृपा करें। आपने जो यह बात कही कि मैं यहां पर बैठा हूं। इस

बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता के चुने हुए नुमायन्दों ने चुन करके मुझे यहां बैठा रखा है। मैं किसी का ठौसा हुआ नहीं हूं। यदि किसी का ऊपर से ठौंसा हुआ होता तो आप कह सकते हैं। आपके हटाने से तो भजन लाल हट नहीं सकता। आपके बाजू कई दफा आजमा कर देख रखे हैं। आगे के लिए जाहं भी मर्जी हो आजमा कर देख लेना। अभी सोनीपत में भी आपकी बाजू आजमा कर देख ली। आपको दुबारा फिर बता दूंगा जहां पर भी आप खडे हांगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान को सिद्धांत की बात करनी चाहिए और असूल की बात करनी चाहिए। बगैर मतलब के यह कहना कि फलां जगह फलां गवर्नमैंट बैठा दी अच्छा नहीं लगता। जहां तक जम्मू का मीर का ताल्लुक है उन्होंने बाकायदा अपना बहुमत सिद्ध करके दिखा दिया है। हमने भी एक महीने से पहले ही असैम्बली के अंदर अपना बहुमत दिखाया था जो अब भी आपके सामने है। आप को कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहनी चाहिए। मुनासिब बातें ही कहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आजकल प्रजातंत्र का जो कुछ तरीका है उसके हिसाब से आज की सरकार बाकायदा चल रही है। लेकिन इनको तकलीफ एक ही है कि यह गद्दी किसी तरह से हमें मिले। एक दफा जो आदर्मी कुर्सी पर बैठ जाता है उसके दिमाग में कुर्सी की ही ललक रहती है। स्पीकर साहब, हर बीमारी का इलाज हो सकता है। लेकिन कुर्सी के काटे का कोई इलाज नहीं है। चौधरी देवी लाल जी कुर्सी के ही काटे हुए हैं। अब इनका मैं क्या इलाज कर सकता हूं।

(3) सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधर भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेने ान। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी ने यहां पर बोलते हुए जहां पर और बहुत सारी बातें कहीं वहीं पर यह भी बात कही कि जब मैं नरवाना के 3–4 गांवों में गया तो इनके जलसे में हजारों आदमी थे और मेरे जलसे में सिर्फ दो सौ या तीन सौ ही आदमी थे। इस बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा और इनके नालेज की और इनकी इन्फर्मे ान की दाद देना चाहूंगा। स्पीकर साहब, जिन दिनों का ये जिक्र कर रहे हैं उन दिनों मैं यहां पर वैसे भी नहीं था। मैं तो सोवियत यूनियन गया हुआ था और सीधे 29 तारीख को हवाई जहाज से दिल्ली उतरा और सीधा चंडीगढ आ गया क्योंकि भाखडा नहर में पानी छोडना था। आपने कहा कि आप दो तीन गांवों में गये थे। आपने यह भी कहा कि मेरे जलसों में दो सौ आदमी थे। यह बात बिल्कुल गलत है। मैंने बिल्कुल कोई जलसा ही नहीं किया। रही तीसरी बात कि ये तीनों गांवों में गये थे। इन्होंने लोगों से पूछा कि सुनाओ भाई क्या आपको बिजली मिलती है ? लोग कहने लगे कि रात दिन मिलती है। (व्यवधान) फिर इन्होंने कहा कि बरसात की वजह से मिलती होगी, पहले तो नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी पहले भी खूब मिलता था और अब भी खूब मिल रहा है।

फिर इन्होंने अपने आदमियों को कहा कि तुम्हारे काम में कुछ गडबड है क्योंकि लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। इनकी यह हालत है और यहां कहते हैं कि मेरे जलसे में आदमी नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अगली बात तालियां बजाने वाली कही। असल बात यह है कि मुख्य मंत्री जी ने 220 के0वी0 के एक सब स्टे ान का उदघाटन नरवाना में किया था। जब उदघाटन हुआ तो हम ताली बजा रहे थे हम तो अब भी बजा रहे हैं क्योंकि उस सब स्टे ान के बनने से न सिर्फ नरवाना को बल्कि कैथल, टोहाना, फतेहाबाद यानी 200 किलोमीटर के इलाके को थर्मल प्लांट और भाखडा से जोड दिया गया। अब इस इलाके में सब को पूरी और स्टेबल बिजली मिलती है। स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल ने हमे ाा जात पात के पच्चड की राजनीति की है और हरियाण को बेडा गर्क कर दिया। सिवाये फिरकापरस्ती के सिवाये जात बिरादरी के कभी किसी अच्छे काम में दिलचस्पी नहीं ली और जाटों को टोटली मिसलीड किया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की नहर दो दफा टूटी है लेकिन इस सिलसिल में चौधरी देवी लाल का एक दफा भी बयान नहीं आया इन्होंने एक दफा भी इस बात को कंडैम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, ये अकालियों के साथ आज से नहीं, बल्कि भाुरू से मिले हुए हैं। अकालियों के आनन्दपुर साहब के रैजोल्यू ान जो दे ा से अलहदा होने का एक प्रस्ताव है, ये समर्थन करते हैं। 1977 में इन्होंने अकालियों से मिलकर सरकार बनाई थी। इन्होंने अकालियों को प्रैस्टीज दी, इज्जत दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि दे ा के टुकडे होने लगे थे, बडी मु कल

से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दे ा को टुकडे होने से बचाया और इस बात का बडा सख्त ऐक ान लिया। ये हरियाणा के हितों के भी विरोधी हैं और इस दे ा के हितों के भी विरोधी हैं। ये अकालियों का समर्थन करते हैं और अपनी निजी राजनीति के लिए छोटी स्वार्थपूर्ण राजनीति के लिए दे ा द्रोहियों का समर्थन करते हैं। जहां तक यह कहने का सवाल है कि हम श्रीमती इंदिरा गांधी का दम नहीं भरते, ये खुद चोरी छुपे इन्दिरा गांधी जी से मिलते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भाामिल होने के लिए। हमको इन सब बातों का पता है, ये यहां पर क्या डींग मार सकते हें ? यहां आकर खाहमखाह असैम्बली में भोले भाले लोगों को मिसलीड करते रहे। दरअसल सिवाये व्यक्तिगत राजनीति के और कोई राजनीति इन्होंने आज तक नहीं खेली जिसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा पीछे रह गया। परमात्मा न करे, अगर इनको फिर मौका मिल गया तो ये हरियाणा को और पीछे ले जायेंगे। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

(4) चौधरी देवी लाल द्वारा

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, मैंने भाखडा नहर का जिक्र किया था। (व्यवधान)

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): स्पीकर साहब, इनसे पहले मुझे कहने का मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं आपके बाद में टाईम दूंगा। पहले चौधरी देवी लाल जी बोलेंगे।

चौधरी देवी लालः स्पीकर सहब, मैं भाखडा नहर का जिक्र कर रहा था। पंजाब में आज कोई गवर्नमैंट नहीं है। (व्यवधान) भाखडा मेन लाईन को दो दफा तोडा गया। एस0वाई0एल0 को बनाने के लिए सैंटर और तीनों स्टेटों की रजाबंदी से खुदाई भुरू होने का फैसला हुआ था। फैसला यह हुआ था कि एस0वाई0एल0 दो साल के अंदर अंदर खुद जाएगी। आज दो साल अढाई महीने गुजर चुके हैं। इसका फाउंडे ान स्टोन प्राइम मिनिस्टर ने रखा था लेकिन वह काम अभी तक अधूरा पडा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यह ..... सरकार कुछ नहीं कर सकती। पंजाब में सरदार दरबारा सिंह को ले आओ, वह तो सैंट्र गवर्नमैंट के इ ाारे के मुताबिक चलेगा। दरबारा सिंह तो सैंटर का दरबारी बन सकता है लेकिन बादल वर्शा कर के भी ठंडक नहीं पहुंचा सकता बल्कि बिजली बन कर तुम्हारे ऊपर कड़केगा। (व्यवधान) आप मेरी बात को जरा सुन लो। मैं हाउस में कहता हूं, खुल्लमखुल्ला कहता हूं और लोगों को भी कहता हूं कि डैमोक्रेसी के अंदर ..... सरकार बना करके किसी को प्राईम मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो वह बन नहीं सकता। दरबारा सिंह तो दरबारी बन सकता है लेकिन बादल नहीं यह तो बिजली बन कर तुम पर कडकेगा। इसी तरह से गुलाम मुहम्मद भााह तो गुलाम हो सकता है लेकिन

भोख मुहम्मद अब्दुल्ला का लड़का फारूख अब्दुल्ला तुम्हारा गुलाम नहीं हो सकता। अकालियों पर तो आप इल्जाम लगाते हैं कि वे खालिस्तान बनाना चाहते हैं और फारूख के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वह पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है लेकिन रामाराव जो तीन इंच लम्बा तिलक निकालता है, भगवे कपडे पहनता है, उसकी सरकार को आपने क्यों बदला ? आज सारी सत्ता सैंटर में है। मैं यह कहता हूं कि जब तक हरियाणा में हमारे हाथ में सत्ता न होगी तक तक भाखडा से पानी नहीं आयेगा। स्पीकर साहब, मुझे कहते हैं कि मैं कुर्सी के पीछे पडा हुआ हूं। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं भावी मुख्य मंत्री हूं। तुम इलैक ान लड़ने के लिए तगड़े रहो। इलैक ान आने वाला है, साफ न पीट दूं तो मुझे कहना। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि भाखडा नहर की प्रोटै ान होनी चाहिए। अगर इसको प्रोटैक ान सैंट्रल गवर्नमैंअ न कर सकी, हरियाणा और पंजाब की सरकारें न कर सकी तो हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदे ा तबाह हो जायेंगे। आप सैंटर के भरोसे पर न रहें। स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत कहना चाहता हूं कि भाखडा प्रोटैक ान फोर्स खडी की जाए। जिस जिस एरिया से यह नहर गुजरती है वहां पर फोर्स लगाई जाए। जितना दर्द हमें अपने खेत और पानी का है, उतना दर्द पंजाब वालों को नहीं है। इसलिए जब तक प्रोटैक ान फोर्स नहीं लगाई जाएगी तब तक इसी प्रोटैक ान नहीं हो सकती। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं अंग्रेजों के वक्त से लडता रहा हूं। ये अंग्रेजी राज्य के गुलाम हुआ करते थे। मेरे साथी चौधरी भजन लाल ने

कहा कि मुझे (देवी लाल) को पदमश्री का खिताब मिलना चाहिए। मैं तो सिकंदर और सर छोटू राम से लडता रहा हूं। इस के बाद गोपीचन्द भार्गव से मेरी लडाई हुई फिर सच्चर साहब से लडाई हुई। इसी तरह सरदार प्रताप सिंह कैरों से लडा हूं। मैं तो राज से बाहर निकला हूं, बाहर से राज में कभी नहीं आया। स्पीकर साहब, यहां पर भगवत दयाल की सरकार पर इल्जाम लगाया गया। कहा गया कि 200 रूपये लिए गए। चौधरी बंसी लाल की तरफ ई ाारा करते हुए झूठा इल्जाम लगाया गया। वह तो उस वक्त इस मामले में हमारे साथ थे। असल बात यह थी कि उस वक्त स्पीकर का चुनाव होना था। हम जा रहे थे तभी चौधरी बंसी लाल जी आये। हमने उन्हें कहा कि हमने आज यह फैसला लिया है। उन्हों कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि हमें कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा हां, यह हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि वे सोच लेंगे। मैंने कहा, कि तुम ठहरो, हम अभी चलते हैं। वे जब आते थे तो मेरे पास ही ठहरा करते थे।.....
.....

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी देवल लालः स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि राज करने वाली पार्टी में, अपने आपको मिनिस्टर बनाने के पर्पज से, मैं कभी भाामिल नहीं हुआ। वह पार्टी मैंने कभी अडौप्ट नहीं की। मैं श्री प्रताप सिंह कैरों से लडा, राज छोड कर लडा। जितने दिन चौधरी बंसी लाल रहा, मैं राज छोड कर उनसे लडता रहा।

भगवत दयाल से जब मेरी लडाई हुई, मैं सरकार से बाहर आ गया। भाायद आपको यह भी पता हो कि 1977 में हम तीन चार आदमी भजन लाल जी, उस वक्त के फाईनैंस मिनिस्टर श्री मूल चन्द जैन और लाला बलवन्त राय तायल, श्री मोरार जी देसाई के पास बैठे थे। देसाई जी ने मुझे कहा, इनको भी पूछ लेना, कि इनको भी अकोमोडेट करो। मैंने कहा कि मैं तो सब को अकोमोडेट करके चल रहा हूं, लेकन क्या मैं स्मगलर को ले लूं ? मैंने मोरार जी के रोबरू कहा कि मैं इन्हें नहीं चाहता। स्पीकर साहब जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया कि कुर्सी का काटा है, इस के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। सर सिकन्दर, सर छोटू राम, गोपीचन्द भार्गव, भीम सिं सच्चर और सरदार प्रताप सिंह कैरों से मैंने लडाई लडी। उसके बाद श्री रामकृश्ण जी मुख्य मंत्री बनें जब वे मुख्य मंत्री बने तो मैंने देख लिया कि पंजाब के हिन्दू का नम्बर आ गया लेकिन हरियाणा का नम्बर नहीं आया। हरियाणा का वे सिर मूंडते थे और राज आप किया करते थे। इसके बाद हमने अकालियों से मिल कर एक जगह बैठ कर फैसला किया कि पंजाबी सूबा बनाया जाए क्योंकि वे भी दुःखी थे और हम भी दुःखी थे। इसके बाद पंजाबी सूबे के लिए लडाई हुई और हरियाणा और पंजाबी सूबा बना। यह फैसला हमने ही किया था। आज भी हम कहते हैं कि सरकार इस मसले को लम्बा करना चाह रही है। अगर सरकार इस मसले को सुलझाना चाहती है तो जिन्होंने हरियाणा और पंजाबी सूबा बनाने के लिए लडाई लडी थी उनको आपस में बैठा लो और सारा मसला हल हो जायेगा। ये

सिर्फ वोट लेना चाहते हैं लेकिन वोट इनको मिलनी नहीं। स्पीकर साहब, ऐसे आदमी अगर आगे आएंगे तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगर राजीव गांधी न हुआ तो पहले राहुल, फिर केतु का नम्बर आ जाएगा। इन राहु केतु के लिए थोडे ही हमने लडाई लडी है। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चौधरी देवी लाल जी ने बोलते हुए बहुत डैरोगेटरी भाब्द इस्तेमाल किए हैं। वे कार्यवाही से ऐक्सपंज होने चाहिएं।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, इनहोंने जो दे ा द्रोही का भाब्द चौधरी देवी लाल जी के लिए इस्तेमाल किया है वह भी ऐक्सपंज होना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अगर कोई गलत भाब्द इस्तेमाल हुआ होगा तो उसे भी ऐक्सपंज किया जाएगा।

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, अगर इसी तरह से कार्यवाही में से कही गई बातों को निकाला जाना है तो यहां आने कोई फायदा है ? इसलिए तो मैं हाउस में आने का कोई फायदा नहीं समझता। (विघ्न) मुझे तो ये दे ा द्रोही कह दें लेकिन मैंने जो बात कही है उसे यदि ऐक्सपंज करवा दिया जाए तो इंसाफ

की बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो दे ा के लिए लडते लडते इस स्टेज पर पहुंचा हूं।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि ये दे ा द्रोही भाक्तियों की मदद करते हैं।

डा0 भीम सिंह दहियाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, सुरजेवाला जी ने जो ा में आकर कुछ बातें कहीं जो बिल्कुल गलत हैं। इन्होंने कहा कि अकाली दल दे ा द्रोही है। स्पीकर साहब, अकाली दल एक रिकोग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टी है। भारत सरकार भी इस बात को मानती है क्योंकि उन्होंने कुछेक आर्गेनाइजे ांज को बैन किया है इस पार्टी को नहीं। इसलिए मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि एक रिकोग्नाइज्ड पोलिटीकल पार्टी के बारे में ये ऐसे भाब्द न कहें। उन भाब्दों को ये वापस ले लें। अगर ये उन भाब्दों को वापस नहीं लेते तो आप उन्हें ऐक्सपंज कर दीजिए।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अकाली दल के बारे में मैंने जो कहा है वह ठीक कहा है तथा उसे वापस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। (विघ्न)

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, पंजाब के मसले के बारे में मैंने ट्रिपार्टाइट मीटिंग में कहा था कि यह कुर्सी की लडाई है। अगर आप कुर्सी पर धन्ना सिंह गुल ान जैसे आदमी को बैठाओगे, जिसके साथ अपने हल्के में 9 पंचायतों में से एक

पंचायत भी नहीं है तो बात नही बनेगी। आप राज उनको दो जिनके साथ जनता है। फारूख के साथ जनता है, एन0टी0 रामाराव के साथ जनता है, बादल के साथ जनता है और मेरे साथ जनता है। (विघ्न) इसलिए मैं अपने आपको कभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं कहता। मैं तो भावी मुख्य मंत्री हूं। आप तगडे होकर रहें।

(5) श्री मंगल सैन द्वारा

श्री मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेने ान, सर। स्पीकर साहब, आनन्दपुर साहब के रैजोल्यू ान की हम बहुत सख्त मुखालफत करते हैं, उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद बहुत ही नाखु ागवार बातें, अच्छी न लगने वाली बातें यहां पर हुई हैं। यह मैं मानता हूं कि उन सब बातों में हमारा हिस्स नहीं है, हम भागीदार नहीं हैं लेकिन उनकी वकालत करना भी जमहूरियत को न समझने वाली बात है। का मीर में इन्होंने फारूख अब्दुल्ला की सरकार को हटा कर गुलाम मोहम्मद भााह की सरकार बनवाई है लेकिन मैं चौधरी भजन लाल जी को उस दिन की याद दिलाना चाहता हूं जब ये हमारे पीछे पीछे हरियाणा राज भवन में वीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती जी के पास गए थे। हमने उनसे प्रार्थना की थी कि हमारा बहुमत है इसलिए हमारी सरकार बननी चाहिए लेकिन

उन्होंने कहा था कि इस बात का फैसला सदन में होगा। आज उसी श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार केन्द्र में हैं जिसकी सरकार उस समय केन्द्र में थी। चौधरी भजन लाल जी आप ही बताएं कि जगमोहन जी वाला फार्मूला उस समय क्यों ऐप्लाई नहीं किया गया ? क्या इस दे ा में एक ही बात का फैसला करने के लिए दो मापदंड होंगे, दो यार्ड स्टिक्स होंगे ? अगर यह बात है तो इससे बडा जम्हूरियत का मजाक कोई नहीं हो सकता। ऐसी गलत बात की वकालत करके कम से कम इंटेलैक्चुअल्ज के साथ धोखा तो न करें। फिर आप देखें कि एक मुख्य मंत्री को अरैस्ट करवाना कहां का इंसाफ है ? अगर भजन लाल जी को इसी तरह अरैस्ट करवा दिया जाए तो क्या यह अच्छी बात होगी ? मुख्य मंत्री रहते हुए किसी को अरैस्ट नहीं करना चाहिए। रामाराव जी तो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए अपने स्पोर्टर विधायकों को लेकर राजभवन में गए थे लेकिन रामलाल महोदन ने उनकी बात सुनने की बजाए उनको गिरफ्तार करवा कर थाने में भेज दिया और भास्कर राव जी को मुख्य मंत्री बना दिया। कितने ज्यादा कांस्टिच्यु ानल सीरियसनैस की यह बात है लेकिन इसके बाद क्या तमा ाा हुआ उसे जरा आप सुनिए। इन्हें भी भाायद उस बात से लज्जा आती होगी। हमारी प्रधान मंत्री महोदया लोकसभा में कहती हैं कि उन्हें पता नहीं लगा कि हैदराबाद के राजभवन में क्या हुआ। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जम्हूरियत के मुंह पर यह एक चपत है। इतना ही नहीं, उन लोगों के मुंह पर भी यह एक चपत है जो जम्हूरियत के नाम पर राज

करते हैं। स्पीकर साहब, हमारी प्रधान मंत्री अगर इतनी बे खबर रहती हैं, इग्नोरेंट रहती हैं, इन्फर्मे ान से इस हरत पोस्टिड रहती हैं फिर तो हमें अपनी राय बदलनी पड़ेगी। ऐसा प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान की 72 करोड जनता की रक्षा कैसे करेगा ? (विघ्न)

स्पीकर साहब, इस सदन में अकालियों की काफी चर्चा हुई। आप मुझे माफ करेंगें क्योंकि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। यह बात तो साफ हो गई है कि अकालियों का जो आनन्दपुर साहब का प्रस्ताव है उसका सभी विरोध करते हैं। लेकिन सुरजेवाला जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। वह बात इन्हें याद नहीं क्योंकि ये उस वक्त सी0पी0आई0 में थे, कांग्रेस में नहीं थे। सन 1957 में अकालियों ने कांग्रेस के साथ मिल कर चुनाव लडा था। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं ज्यादा न कहते हुए यही अर्ज करना चाहता हूं कि भाखडा नहर को टूटने से बचाने के लिए समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। अगर जरूरत हो तो प्रोटैक ान फोर्स खडी की जाए। इस तरह की फोर्स हरियाणा सरकार भी भेज सकती है ताकि हमारी लाईफ लाईन न टूटे। इतनी बात कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

(6) ि ाक्षा राज्य मंत्री द्वारा

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): स्पीकर साहब, मैं भी पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। चौधरी देवी लाल

जी ने अपनी स्पीच में अभी यह बात कही कि जगदी ा नेहरा तालियां बजा रहे थे। दरअसल इनको ज्ञान नहीं कि उस मीटिंग में मैं नहीं था। उसमें तो सी0एम0 साहब और सुरजेवाला जी थे। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तालियां बजाना कोई गुनाह नहीं है। (विघ्न)

स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी यहां तो प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं लेकिन इनकी 7–8 दिन पहली की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अपने हल्के में घूम रहे थे। मेरा भी वहां का प्रोग्राम था। इन्होंने लोगों से कहा कि जगदी ा नेहरा जब यहां आए तो उसके डले मारो और उसे गांव में न घुसने दो। इसके बावजूद मैं इनके हल्के में गया। बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी। (विघ्न) स्पीकर साहब, प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले चौधरी देवी लाल जी सिरसा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। रोड़ी हल्के से ये कुछ साल पहले 18 हजार वोटों से जीते थे लेकिन 1982 में मैं इनके नुमायंदे को 12 हजार वोटों से हराकर आया हूं। स्पीकर साहब, इनका काम हमे ाा लडने का रहा है। क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है कि ये सरदार प्रताप सिंह कैरों, राम कृश्ण और पंडित भगवत दयाल आदि से लडते रहे हैं ये कहते हैं कि ये भावी मुख्य मंत्री हैं। यह बात तो ये 1962 में करने लग गए थे लेकिन यह मौका इनके हाथ ऐमरजैंसी की वजह से 15 साल बाद सन 1977 में आया। इस वक्त इनकी उमर 80 साल की हो गई है और अब ऐसा लगता है

कि इनका मुख्य मंत्री बनने का मौका आज से 30 साल बाद यानी 110 साल की उम्र में आएगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, गांव में पोलिटिकल पार्टीज के लोग जाते ही रहते हैं।

11.00 बजे।

हम कभी यह बात नहीं कहते कि विरोधी लोग आयें तो उनकी बात न सुनो लेकिन चौधरी देवी लाल जी हर मीटिंग में कहते हैं कि वे लोग आयें तो उन्हें डले मारो। तावडू हल्के में भी ये यही बात कहते रहे और मेरी जीप पर पत्थर भी पड़े हैं। यह बात इनके लिए कोई भाोभा नहीं देती। ये बहुत पुराने आदमी हैं और इन्हें सोच समझ कर कुछ कहना चाहिए।

(7) सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री द्वारा

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मैं भी पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। क्योंकि चौधरी देवी लाल जी ने यहां बोलते हुए मेरा भी तालियां बजाने वालों में नाम लिया है। यहां पर जितनी लम्बी चौड़ी बातें हुई हैं, उनके बारे में मुझे बडा भारी अफसोस है क्योंकि चौधरी देवी लाल जैसे सीनियर मैम्बर ने वे बातें कहीं हैं। इन्होंने यहां हाउस में कहा कि मैं चौधरी छोटू राम से भी अंग्रेजों के जमाने में लडाई लडता रहा हूं लेकिन लोगों के सामने बाहर जाकर इनका यह कहने का साहस नहीं होता है। बडे अफसोस के साथ कहना

पडता है कि जब इन्होंने सोनीपत में पार्लियामैंट का इलैक ान लडा तो उस समय छोटूराम की बुराई नहीं की। पोलिटिक्स में भी अपरचिुनिज्म की कोई हद होती है। इन्हों एक इ तहार निकाला। एक तरफ अपना फोटो लगाया और दूसरी तरफ चौधरी छोटू राम जी का फोटो लगाया। उसके नीचे लिखा हुआ था कि अगर चौधरी छोटूराम जी का स्वप्न साकार करना है तो चौधरी देवी लाल को कामयाब बनाओ। इतना अपरचुनिस्ट पोलिटि ियन तो भाायद ही हरियाणा में कोई होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी स्टैंड ले तो पूरा लें। अगर वे चौधरी छोटू राम जी को बुरा समझते हैं तो लोगों में जाकर उनका विरोध करें। इलैक ान में वोट लेने के लिए तो उनका नाम लेते हैं। लेकिन यहां उनके विरूद्ध बातें करते हैं। ये पहले चौधरी चरण सिंह के तलवे चाटते रहे। जब उन्होंने धिक्कार दिया तो चौधरी छोटू राम का नाम लेना भाुरू कर दिया। इनकी चालीस साल की राजनीति जाति पाति की रही है। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि ये चौधरी छोटू राम जी को काले झण्डे क्यों दिखाते रहे ? चौधरी देवी लाज जी बहुत बडे जमींदार थे इनके पास हजारों एकड़ जमीन थी। ये उन फ्यूडल और पूंजीपति लोगों के साथ मिल कर अपनी जमींनों को बचाने के लिए ऐसा करते रहे। ये राजा नरेन्द्र नाथ जैसे लोगों से मिल कर चौधरी छोटू राम जी को काले झण्डे दिखाते रहे और आज के दिन ये किसानों के नेता कहलाना चाहते हैं। मुझे बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि चौधरी देवी लाल जी श्री भजन लाल की सरकार को तोडने के लिए लोगों से कहते रहे कि

ट्रक लेकर आओ, झण्डे लगा कर आओ और दूसरी तरफ जो किसानों के नेता होने का दावा करते हैं वही यह समझते हैं कि जो नहर को तोडा गया है वह ठीक किया है क्योंकि अकालियों की सरकार नहीं बनाई गई। जो आदमी ऐसी बात करे वह फिर हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है ?

स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे हल्के में दो जगहों पर जलसे किये। हमारे हलकों में क्यों जलसे करते हैं ? अगर वे इतने पापुलर हैं तो सिरसा में जायें और वहां जलसे करके दिखायें। रोहतक और जीन्द में जाकर जलसे क्यों करते हैं ? वहां के लोगों से पैसा क्यों ऐंठते हैं और क्यों लोगों को गलतफहमी का ि ाकार बनाते हैं ? अध्यक्ष महोदय, चौधरी भाम ोर सिंह जी यह बात कहें या न कहें लेकिन मैं उन्हें यह जरूर कहूंगा कि वे राश्ट्र विरोधी नहीं है तो उनके नजदीक जरूर लगते हैं। स्पीकर साहब इस का हमारे पास प्रमाण है क्योंकि वे फारूख अब्दुल्ला जैसे आदमी का साथ देना चाहते हैं। स्पीकर साहब जब श्री नगर में क्रिकिट का मैच हो रहा था तो फारूख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वहां पर मौजूद थे और मैच देख रहे थे। उनकी मौजूदगी में सैंकडों आदमी पाकिस्तान के झण्डे लेकर आये और पाकिस्तान के नारे लगाते रहे और हिन्दुस्तान के खिलाडियों को यह कहा कि "Indian dogs go back" जिस हिन्दुस्तानी के दिल में दे ा से प्रेम है ऐसी बात को सुन कर उसका खून खोल जाता है

लेकिन ये आदमी उनका समर्थन करते हैं। बडे अफसोस की बात है।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि चौधरी देवी लाल जी राश्ट्र विरोधी हैं लेकिन दो साल तक गोल्डन टैम्पल में हथियार आते रहे और प्रधान मंत्री सोती रही। अब आप बतायें कौन राश्ट्र विरोधी है ?

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठिए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं केवल एक बात कह कर अपनी स्पीच खत्म करता हूं। आज दे ा में हालात ये नहीं है कि दे ा में प्रजातंत्र की जडें कितनी मजबूत हैं या नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि यह दे ा नहीं रहेगा अगर चौधरी देवी लाल जी जैसे लोग दे ा के टुकडे करने वालों का समर्थन करते रहे। इस दे ा में प्रजातंत्र नहीं बनेगा। जो आदमी पाकिस्तान से और विदे ियों की भाक्ति से मिल कर दे ा के टुकडे करना चाहते हैं ये लोग उनका साथ दे रहे हैं। यहां पर ये कहते हैं का मीर में ज्यादती की है। हिन्दुस्तान की जनता जानती है कि दे ा के टुकडे करने वाले कौन हैं ? अगर हिन्दुस्तान को हमें एक रखना है तो जनता इन लोगों का साथ नहीं देगी जो दे ा को तोडने वाली भाक्तियों के साथ मिले हुए हैं।

(8) मुख्य मंत्री द्वारा

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी ने बोलते हुए मेरे बारे में कहा कि मैं ऐसे आदमी को वजीर कैसे बना दूं और उन्होंने यह भी कहा कि यह बात इन्होंने मोरार जी को श्री मूल चन्द जैन और बलवन्त राय तायल के सामने कही थी। (विघ्न) मैं केवल दो मिनट लूंगा क्योंकि इन्हौंने मेरे बारे में पर्सनल बात कही है। (विघ्न) लीडर आफ दि हाउस को अधिकार है कि जब चाहे वह अपनी मर्जी से इन्टरविन कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल ने और मंगल सैन जी ने नहर के बोर में बात कही। उनकी बात में बडा भारी वजन है। दो बार यह नहर टूटी है। हम चाहते हैं कि तीसरी बार नहर न टूटे। इस बारे में हमें इंतजाम करना चाहिए। हम गर्वनर पंजाब को भी मिले हैं और लिख कर भी भेजा है कि इस नहर की चौकसी की जाये। उधर हमने भारत सरकार को भी कहा है कि तीसरी बार नहर न टूट जाये। हमने यह भी कहा है कि यदि वहां के अधिकारियों और ऐडमिनिस्ट्रे ान के व ा की बात नहीं है तो इसका कंट्रोल हरियाणा सरकार को दे दिया जाये। हम इसे संभाल लेंगे। बाकायदा पूरा इंतजाम उन्होंने कर लिया है और नहर को दुबारा से टूटने नहीं देंगे। यह बात तो भाखडा नहर के बारे में थी।

चौधरी देवी लाल जी ने मेरे बारे में कुछ बातें यहां हाउस में कहीं हैं। जब चौधरी देवी लाल को मुख्य मंत्री बनाया गया उस समय मैं भी भाामिल था। 76 एम0एल0एज0 ने एक मत से इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था। प्रजातंत्र में हर आदमी को पोलिटिक्स में लडने का अधिकार है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इन्होंने यहां कहा कि मैंने यह कहा था कि मैं चौधरी भजन लाल को कैसे मिनिस्टरी में ले लूं ? मैं आपके जरिए हाउस को बताना चाहता हूं कि बाबू जगजीवन राम जी जिन्दा हैं और सदन के मैम्बर भी जिन्दा हैं उन्हें सारी बातों का पता है। चौधरी देवी लाल जी, बाबू जगजीवन राम जी के पास गये कि मैं भजन लाल जी को मिनिस्टरी में लेना चाहता हूं वरना मेरा राज नहीं चलेगा। वे जिन्दा हैं, मरे नहीं हैं, उनसे पता कर लें कि यह बात हुई थी या नहीं।

चौधरी देवी लालः मैंने यह कहा था कि मैं इस स्मगलर को अपनी मिनिस्टरी में कैसे ले लूं ? श्री मोरार जी देसाई इस बात के गवाह हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः किसी को स्मगर कहना या चोर कह देना आसान बात है लेकिन चौधरी देवी लाल जैसा आदमी स्मगलर कहे तो ठीक नहीं लगता क्योंकि उनका अपना बेटा श्री ओम प्रका ा घड़ियों की स्मगलिंग में पकडा गया था। आप ही बतायें कि ऐसे आदमी का भी कोई इख्लाक होता है जो आदमी अपने बेटे के पकड़े जाने के बाद यह कहे कि यह मेरा बेटा नहीं

है ? क्या ये लोग जनता के सामने मुंह दिखाने लायक हैं ? इन्हैं भार्म आनी चाहिए। ये कहते हैं कि यह मेरा मेटा नहीं है। यदि ये कह देते कि यह गैलड़ हैं, बाहर से आया है तब तो हम इनकी बात को मानते। (विघ्न) आपने उसके पकड़े जाने के बाद यह बात कही थी।

चौधरी देवी लालः मैंने यह कहा था कि तेरे को घर में नहीं बड़ने दूंगा। मैंने यह नहीं कहा कि मेरा लडका नहीं है।

चौधरी भजन लालः पहले सारे का सारा राज श्री ओम प्रका ा जी चलाते थे। अध्यक्ष महोदय, गैर जिम्मेदाराना और गलत बात हाउस में नहीं कहनी दाहिए। जो इन्होंने कहा इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि अपने बेटे को बेटा मानने के लिए तैयार नहीं।

चौधरी देवी लालः आप गलत बयानी कर रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। (ाोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, जो आदमी हाउस में यह कहे कि अकालियों की सरकार बननी चाहिए, इससे ज्यादा गिरावट की बात क्या कोई हो सकती है। अकाली हरियाणा का पानी रोकें और उन्हीं की ये ताईद करें। इन्होंने यहां यह भी कहा कि दो साल हो गये नहर क्यों नहीं बनी ? नहर को बनने से कौन रोकता है ? अकाली उस नहर को बनने से रोकते हैं। यह कहते हैं कि उनकी सरकार बननी चाहिए। यह हरियाणा के हितों

की रक्षा कैसे करेंगे। फिर यह कहते हैं कि साहब, मैं तो हरियाणा का भावी मुख्य मंत्री हूं। मैंने सच्चर को बदला, मैंने पंडित भगवत दयाल को बदला, मैंने कैरों को बदला मैंने बंसी लाल को भी बदला ..... (व्यवधान व भाोर)

चौधरी देवी लालः मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने हमे ाा रूलिंग पार्टी के विरूद्ध लडाई लडी है। लडाके के बाद मैं कभी गवर्नमैंट में नही गया हूं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह कहते हैं कि मैंने लडाई लडी है और मैंने इन इन को बदला है। फिर तो चौधरी देवी लाल, मेरा और आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। इन सब को बदलने वालों को मैंने बदल रखा है। (व्यवधान व भाोर) ..... मैंने तो इन सब को गिराने वाले पहलवान को चित्त किया है। एक बार नहीं, दो तीन बार गिराया है। एक बार आदमपुर में, दूसरी बार जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था और तीसरी बार इसी असैम्बली में (व्यवधान व भाोर)

चौधरी देवी लालः मेरे खिलाफ फिर प्रिविलेज इ ा का फैसला करके मुझे निकालते क्यों नहीं हो ? निकालो मुझे। जींद और फतेहाबाद के बाई इलैक ान करवा कर देख लो। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लालः मैं आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि आप पुराने आदमी हैं। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः मैं मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि आज काफी बातें हो चुकी हैं। अब यहीं पर बात समाप्त करें (व्यवधान व भाोर) We now proceed with the next item.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरे पास लिखा हुआ आपके सैक्रेटेरियेट की तरफ से मेरे उस कालिग अटैं ान मो ान के बारे में आया है जो मैंने रूल 73 के तहत फार्मेसी कालेज के बारे में दिया था। मैं उसके मुताल्लिक कुछ आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, मैं एक बहुत ही काम की बात कहूंगा। सारा हाउस ही नहीं आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि भाखडा नहर अब तीसरी दफा नहीं टूटनी चाहिये। दो बार तो तोड दी गयी लेकिन चौधरी भजन लाल जी, सारा हरियाणा आपके साथ है, जो मदद चाहिये, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तीसरी दफा यह नहर नहीं टूटनी चाहिये। इसकि लिए जिस किसी किस्म की मदद आप मांगे, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के लोगों ने पहले बहुत कडवा घूंट पिया है। उनके खेतों में पानी नहीं गया है। इस मामले में सारा हरियाणा चौधरी भजन लाल के साथ है, मेरा कहना यह है कि अब तीसरी बार यह नहर टूटनी नहीं चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंहः सर, मैंने एक मो ान आपकी सेवा में दिया था। मेरे पास आपके सैक्रेटेरियेट से जो कुछ लिखा हुआ आया है, वह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। लिखा हुआ है कि –

"I am directed to inform you that the Calling Attention Notice No. 3 on the subject cited above has been disallowed by the Hon'ble Speakeer on the following grounds :-

1. It is not a matter of recent occurrence nor it is of urgent nature.

2. That the matter involves day to day administration of a private institution and does not fall within the primary responsibility of the State Government.

3. It relates to more than one issue.

4. That the matter is not of definite character."

सर, मैं आपसे यह गुजारि ा करना चाहता हूं कि आप मेरा काल अटैं ान मो ान अपने सामने रखी लीजिये और इन ग्राउंडज को मैं अलग अलग से डिस्कस करना चाहूंगा। पहली ग्राउंड यह लिखी है कि मैटर रीसैंट अकरैंस का नहीं है। स्पीकर साहब, आज भी कालेजिज में और फार्मेसी कालेजिज में हरयिाणा प्रान्त के अंदर ऐडमि ान के नाम पर लूट चल रही है।

Mr. Speaker: You are a senior Member. You very well know that once a ruling has been given, that cannot be

discussed on the floor of the House. It at all you are aggrieved, you can see me in my Chamber.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं इस बारे में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा नजर आता है। .... (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आप इस बारे में मेरे से चैम्बर में आकरी बात कर लें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः सर, मैं तो आज भी आपसे बात करके आया हूं।

श्री अध्यक्षः आप आ जाना, फिर बात कर लेंगे।

श्री मंगल सैनः मैंनें आज सुबह ही आपकी सेवा में एक मो ान भेजा है। हरियाणा के विधान सभा के 31 मैम्बरों ने गवर्नर साहब को एक मैमोरैंडम दिया। उस बेसिज पर मैंने एक काल अटैं ान मो ान आपको सबमिट किया है कि किस तरह से गवर्नमैंट एडवर्टाइजमैंअ के लीवर को इस्तेमाल करके प्रैस को प्रै ाराईज कर रही है। एक प्रैस के स्पै ाल कौरेसपौंडैंट ने इनकी माईनज के बारे में इन क्नवीनीयैंट बातें लिखी हैं, एम्बैंसिंग बातें लिखी हैं और सच्ची बातें लिखी हैं और इनको एक्सपोज किया है। स्पीकर साहब, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। (व्यवधान व भाोर) ..... स्पीकर साहब, इसको एडमिट किया जाये।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आल इंडिया लैवल का यह पेपर है। पता नहीं गिल्ड के चेयरमैन कैसे इनके दबाव में आ गये और उस कौरसपौंडैंट को बदल दिया गया। स्पीकर साहब, बहुत सी बातें कन्सर्न रखती है।

इसके अलावा कल सरदार लछमन सिंह जी का मामला भी उठाया गया था। आपने अभी तक उसका जवाब भी नहीं दिया। स्पीकर साहब, मेरे कागज कुछ मिसप्लेस हो गये थे लेकिन अब मैं उस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। (व्यवधान व भाोर) एक धौज गांव है। जिला फरीदाबाद में यह गांव है। यहां की एक औरत प्रेमवती को हाथ पांव बांध कर मार दिया गया। मुल्जिम पकडे गये हैं लेंकिन कुछ लोग प्रै ाराईज करके उस मामले को रफा दफका करवाने की कोि ा ा कर रहे हैं। स्पीकर साहब, वह गांव बडा ही नोटोरियीस गांव है। वहां पर लोग पहले गऊक ाी के मामले में भी पकडे गए थे। क्या इस मामले में आप कुछ रो ानी डालेंगें ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, डाक्टर साहब को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। इन्होंने अखबार का हवाला देकर सरकार पर इल्जाम लगाया कि प्रै ार डलवा कर एक प्रैस कोरैसपौंडैंट को बदल दिया गया। स्पीकर साहब, यह बडा ही सीरियस मामला हैं ये बाकायदा उससे इस किस्म की खबरें

लिखवाते रहें हैं। वह आर0एस0एस0 का मैम्बर है। इसीलिये ये उसको स्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये उसे गलत बाते लिखवाते रहे हैं। ये जो उसकी स्पोर्ट कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वह अखबार नवीस कितना इम्पार्ि ायिल होगा। (व्यवधान व भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमने आपके सामने यह मामला रेज किया कि हमने आपकी सेवा में काल अटैं ान मो ान दे रखा है। आपने यह हुक्म दे दिया कि उसको मैं एग्जामिन कर रहा हूं। क्या मुख्य मंत्री जी को इस समय यह कहने का अधिकार है कि जो कुछ हमने लिखकर दिया है, वह गलत है। अगर ऐसी बात है फिर तो हमारे 31 आदमियों को जिनके उसके ऊपर दस्तखत हैं, को बोलने का आपको मौका देना होगा। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं आपकी इस बारे में रूलिंग चाहूंगा कि क्या कोई मैम्बर आपकी सेवा में काल अटैं ान मो ान देकर आपके इतना कहने के बावजूद कि मैं उस पर अभी विचार कर रहा हूं। वह सारी बातें जो उस मो ान में लिखी हैं कह सकता है या नहीं कह सकता है ?

श्री अध्यक्षः नहीं कह सकता है। जितने भी मो ांज हैं उनके मुताल्लिक मैं पन्द्रह मिनट के बाद बताता हूं।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

हरियाणा में बाजरे की फसल को हुए भारी नुकसान सम्बंधी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री राम बिलास भार्मा की ओर से हरियाणा में बाजरे की फसल को ''कीड़ा'' तथा ''भुंडिया'' बीमारी से हुए भारी नुकसान के बारे में एक काल अटैं ान मिली है। मैं इसे ऐडमिट करता हूं। श्री राम बिलास भार्मा अपना मो ान पढ दें। उसके बाद मंत्री महोदय यदि स्टेटमैंट देना चाहें तो दे दें।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री राम बिलास भार्माः उपाध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्शण प्रस्ताव के माध्यम से मैं एक तात्कालिक एवं जनहित के मामले पर बहस करना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में बाजरे की फसल को स्थानीय भाशा में कीड़ा तथा भुंडिया नाम से पुकारी जाने वाली बीमारी से भारी नुकसान हुआ है। यह कीडा फसल को जड से काट देता है और अंततः फसल सूख जाती है। इस बीमारी से हो रही भारी क्षति जो कि राज्य के लिए भी एक भारी नुकसान है, से किसान अत्यंत चिन्तित हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस विशय बारे अपने पक्ष प्रस्तुत करें तथा राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए पग उठायें।

वक्तव्य –

मुख्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, "कीड़ा" अथवा "भुण्डिया" जिसे तकनीकी भाशा में "सफेद लट" कहते हैं। एक विना ाकारी कीडा है जिसका प्रकोप मुख्यतः महेन्द्रगढ़, भिवानी, गुड़गांवा जिलों और रोहतक व हिसार के कुछ भागों में है। यह कीडा ना केवल बाजरा बल्कि खरीफ की लगभग सभी फसलों पर विचरता है। खरीफ 1980 में किये गये सर्वे से यह ज्ञात हुा कि सफेट लट से खरीफ फसलों को लगभग 20 प्रति ात से 30 प्रति ात हानि हुई तथा प्रभावित क्षेत्र का कुल रकबा 2.96 लाख हैक्टेयर था।

फसलों को इस कीट की वयस्क भुण्डिया तथा लट दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। भुण्डिया साधारणतः मौनसून की पहली वर्शा के उपरांत भााम को 7–8 बजे मिटटी के बाहर निकलती है और आसपास के वृक्षों पर बैठ जाती है। वृक्षों के पत्तों को खाने के प चात यह भुण्डियां प्रजनन करती हैं तथा प्रातः से पूर्व ही मिटटी के अंदर वापिस चली जाती हैं। मादा भुण्डिया मिटटी में लगभग 10 सैंटीमीटर की गहराई पर 2 से 4 दिन में अण्डे देती है। जिनमें से 7 से 14 दिन प चात लारवा निकलता है जो बाद में लट का रूप धारण कर लेता है। यह लट पौधे की जडों को खाना भुरू कर देती है और अन्ततः पौधा सूख जाता है। चूंकि

सफेट लट मिटटी के अंदर रहने वाला कीडा है इसलिए रासायनिक विधियों द्वारा इस पर नियंतत्रण पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। साथ ही इस कार्य के लिए प्रयोग होने वाली विभिन्न कीटना ाक दवाईयांत्र काफी महंगी पडती हैं। अतः इस कीट पर समुचित रूप से नियंत्रण मैकेनिकल व रासायनिक तरीकों द्वारा ही किया जा सकता है। कृशि विभाग द्वारा सदैव ही किसानों को यह हिदायत दी जाती है कि वह इस कीट का उन्मूलन भौतिक विधियों द्वारा सामुदायिक स्तर पर करें, जिसके अन्तर्गत भुण्डियों को मौनसून की पहली वर्शा के प चात रात्रि के समय एकत्रित करना तथा नश्ट करना होता है। इस प्रकार का एक अभियान 1981–82 में जिला ग्रामीण विकास एजैंसी, महेन्द्रगढ़ के सहयोग से अधिक प्रभावित गांवों में चलाया गया था और भौतिक उन्मूलन के लिए आव यक सामग्री कृशि विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन इस अभियान के परिणाम अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहे, क्योंकि अभियान के दौरान किसानों का पूर्ण सहयोग नहीं मिला। वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान भी इस प्रकार का एक अभियान चलाया गया था और किसानों को भुण्डियां एकत्र करने के लिए बतौर प्रोत्साहन 15 रूपये प्रति किलो (भुण्डियां) की दर से धनरा ि ा दी गई थी। यह अभियान महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी तथा नारनौल तहसील के 5–5 गांवों में चलाया गया था। यह अभियान काफी सफल रहा क्योंकि विद्यार्थियों एवं खेतिहर मजदूरों ने काफी रूचि दिखाई जिसके परिणामस्वरूप लगभग 22 क्विंटल भुण्डियां

एकत्रित करके नश्ट की गई। कृशि विभाग अगली खरीफ फसल के दौरान और बड़े स्तर पर ऐसा अभियान चलायेंगा।

चूंकि इस कीडे का रासायनिक विधि से उन्मूलन काफी महंगा पडता है, इसलिए कृशि विभाग ने 20 लाख रूपये की लागत की एक केन्द्रीय संचालित स्कीम तैयार करके भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी है। इस स्कीम के अन्तर्गत भौतिक एवं रासायनिक विधियों से इस कीट के उन्मूलन पर आने वाले खर्चे पर 100 प्रति ात सबसिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने इस स्कीम हो लागू करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है। तथा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह इस स्कीम की स्वीकृति भीघ्र दे।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पश्ट है कि इस समस्या बारे राज्य सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है और समय समय पर इस कीडे के उन्मूलन के लिए पग उठाये गये हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि बीस प्रति ात से ज्यादा फसल खराब हुई है। डिप्टी स्पीकर महोदय, पहले सूखे के कारण किसान ने बाजरे की फसल को जैसे तैसे कुछ बचाय और उस बाकी बची हुई फसल का बीस प्रति ात भुंडियां खा गईं। जिस प्रकार से हिसार और सिरसा के किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने 51 करोड रूपया मांगा है क्या उसी तरह महेन्द्रगढ़ और भिवानी के

किसानों की सहायता करने का विचार रखती है और अगर विचार रखती है तो क्या सरकार उनको भी मुआवजा देने का कोई प्रोवीजन करेगी ?

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें मुआवजा देने की कोई बात नहीं है। जब कभी भी फसल खराब होती है तो सरकार गिरदावरी करवाती है और गिरदावरी हो जाने पर मालिया और आबियाना माफ किया जाता है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासनी हुए)** अध्यक्ष महोदय, आप जातने हैं कि हर फसल में थोडा बहुत नुकसान तो होता ही है अगर किसान को पूरी फसल मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। किसान जब फसल बोता है तो उसे भी पता होता है कि पन्द्रह बीस प्रति ात फसल तो खराब होगी ही चाहे वह सूखे के कारण हो या बारि ा ज्यादा होने के कारण हो या कीडा लग जाए। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से किसान की पूरी मदद की जाती है। इसके लिए हम स्पै ाल गिरदावरी करवाएंगे और अगर वाकई गिरदावरी से यह पता लगा कि नुकसान ज्यादा है तो उनका आबियाना और मालिया माफ करेंगे।

Sh. Ram Bilas Sharma: Sir, the Chief Minister has given a statement that-

". ..... A survey conducted during Kharif, 1980 revealed that damage due to White Grub on various Kharif crops was about 20% to 30% and it was estimated that a total

area of about 2.96 lakh hectares was affected by this pest in the above mentioned districts.

तीस प्रति ात नुक्सान जब आपने माना है तो स्पै ाल गिरदावरी की कहां जरूरत रह गई ? अध्यक्ष महोदय, इन दोनों जिलों में साठ प्रति ात फसल खराब हुई है। तीस प्रति ात तो बरसात न होने के कारण और तीस प्रति ात कीडे की वजह से खराब हुई है। सरकार का भी यह अंदाजा है कि साठ प्रति ात फसल खराब हुई है। स्पीकर साहब, वहां पर इरीगे ान का कोई साधन नहीं है। जिस प्रकार से सिरसा और हिसार के लिये 51 करोड रूपया मांगा है उसी प्रकार इन दोनों डिस्ट्रिक्टस के लिए भी आप रूपया मांग लें।

चौधरी भजन लालः मैंने पहलें ही कहा है कि इस कीड़े को नश्ट करने के लिए भारत सरकार को एक स्कीम भेजी है और भारत सरकार इसमें सहायता करेगी। इसके अलावा बीस या तीस प्रति ात फसल इस साल खराब नहीं हुई बल्कि वह 1980 में हुई थी। स्पीकर साहब, हमने कल ही स्पे ानल गिरदावरी के आदे ा दे दिए हैं और नुकसान चाहे बरसात न होने की वजह से हुआ है और चाहे कीड़े की वजह से हुआ है ज्यों ही स्पै ाल गिरदावरी की रिपोर्ट आ जाएगी किसान की सहायता की जाएगी।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

ध्यानाकर्शण/नियम84/मूल प्रस्तावों पर लिए गए निर्णय संबंधी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मैंने कल वायदा किया था कि जितने भी ऐडजर्नमैंट मो ांज, काल अटैं ान मो ांज, सबस्टांटिव मो ान और रूल 84 के तहत मो ांज के नोटिसिज आए हैं उनके बारे में जो निर्णय लिया गया है वह आज मैं आपको बताऊंगा। अब तैं उनके बारे में आपको डिटेल बताता हूं–

The first calling attention notice is from Sh. Fateh Chand Vij regarding closure of handlooms industry in the State due to the rise of yarn rates more than double. That has been disallowed.

The second motion is of Sh. Verender Singh and Sh. Sampat Singh regarding disorder at Haryana Agricultural University Complex, Hissar. That has also been disallowed.

The third one is also from Sh. Verender Singh and Sh. Sampat Singh regarding scandal amounting to lakhs of rupees in Pharmacy Colleges of State. This has also been disallowed.

श्री वीरेन्द्र सिंहः आपने मुझे चैम्बर में मिलने के लिए कहा था।

श्री अध्यक्षः आप आ जाना।

The fourth motion relates to Sh. Ram Bilas Sharma regarding bad effect on the 'Kharif' crops due to drought

throughout Haryana. That was admitted for 3rd September 1984 and has also been discussed.

The fifteh one is also from Sh. Ram Bilas Sharma regarding heavy damage of the crop of Bajra in South East areas of Haryana by the disease in the local dialect 'Kira' and 'Bhundia'. This motion has already been admitted and discussed.

The next motion regarding less production in industries due to the cut of electricity in the State everyday is from Sh. Mangal Sein. This has been disallowed.

The seventh one is of Sh. Kanwal Singh regarding huge loss to the crops in the entire State particularly in the districts of Sirsa and Hissar due to stoppage of water in Bhakra. This motion has been admitted for 5th September 1984.

Next motion of Sh. Mangal Sein regardign collection of lakhs of rupees by Sai Baba Pharmacy and Maharishi Pharmacy at Taraori, Distt. Karnal. This has been disallowed.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, फारमेसी वाले के साथ साथ यह भी था कि हरियाणा भर में डिफरैंट सबजैक्टस के दाखिले के लिए कैपिटेशन फी ली जा रही है। वह तो बहुत जरूरी मामला है। अगर हम इसके लिये भी गवर्नमैंट का अटैंशन काल अपौन नहीं कर सकते तो आप ही देख लीजिये।

श्री अध्यक्षः चौधरी वीरेन्द्र सिंह और आप दोनों ही मेरे चैम्बर में आ जाना।

श्री मंगल सैनः ठीक है जी।

Mr. Speaker: Next motion regarding allotment of Govt. land to Sh. Lal Chand Garg and his son on fixed rate is from Smtt. Chandravati. This has also been disallowed.

Next motion regarding the supply of bad seed to farmeres by the Govt. is also from Smt. Chandravati. This matter has already been discussed in the House and this has been disallowed.

Next motions regarding breach in the Bhakra are in the names of Smt. Chandravat and Sh. Hira Nand Arya. This has been admitted as a call attention motion for 5-9-1984.

Next motion regarding non availability of commodities of general consumption is from Sh. Hira Nand Arya for which the comments form the Govt. have been called for.

Next motion is regarding shortage of electricity etc. which is also from Sh. Hira Nand Arya. This has been disallowed.

Next motion is regarding grant of one advance increment to Govt. employees for family planning. This motion is of Sh. Mangal Sein. This has also been disallowed.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह मो ान स्टरलाइजे ान के बारे मैं है। इन्होंने आर्डर निकाला है कि 1980 के पहले जो स्टरलाइजे ान हुए हैं उसके लिए एडवांस इंक्रीमैंट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद वालों को दिया जायेगा। 1980 से

पहले लोगों के जबरदस्ती आप्रे ान किए गए थे, उन लोगो का क्या कूसर है जो उनको एडवांस इंक्रीमैंट नहीं दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्षः उसके बारे में मैंने रीजंज लिख कर भेजे हैं। Every employee of each class can represent to the Govt. and if he is discriminated against, then he can also go to the Court of Law.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, क्या यहां पर ग्रिवैंसिज रिड्रैस नहीं हो सकते ?

श्री अध्यक्षः यह एक क्लास का सवाल है इसमें असैम्बली का मामला नहीं बनता। I am sorry.

Next motion under Rule 84 regarding damage of crops due to droughts is from Sh. Hira Nand Arya. This was converted into call attention motion nad bracketed with that of Sh. Ram Bilas Sharma. Its reply was also given yesterday.

Next motion is from Sh. Mangal Sein regarding great resentment amongst the studnets community in particular and public in general on account of admission in M.D. University, Rohtak and T.I.T. Bhiwani. I have called for the comments from the Government by 6th September 1984.

Next motion is regarding the election of Haryan Nurses Registration Council, which is also from Sh. Mangal Sein. for this the comments from the Government have been called by 4th September 1984.

Next motion is regarding great resentment amogst poor farmers and labourers on account of sales tax on tractors and animal drvien vehicles etc. This is also from Sh. Mangal Sein. This has been disallowed.

Next motion is regarding transfer of municipal land, Panipat, which is from Sarvshri Om Parkash (Beri) and Tayyab Hussain. This has also been disallowed.

Another motion is from Sh. Mangal Sein regarding mines of Faridabad and Gurgaon Districts. This has been disallowed.

Next motion is from Sh. Kulbir Singh Malik regarding the matching grant of Rs. 5000 for the construction of Community Hall at Jind. The comments from the Government have been called for by 5th of September.

Another motion if from Smt. Chandravati regarding the transfer of municipal land at Panipat. This has been disallowed.

Next motion is from Sh. Mangal Sein in connection with the function of Sh. Rajiv Gandhi at Gurgaon. This has been disallowed.

श्री मंगल सैनः मैंने राजीव गांधी का फंक ान नहीं कहा। मैं तो यह कहता हूं कि उनके लिए स्टेट गवर्नमैंट जनसे करवाती है। वे कोई केबिनिट मिनिस्टर थोडा हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आपकी पार्टी भी तो अटल बिहारी वाजपेई के जलसे करवाती है। हम भी पार्टी की तरफ से करवाते हैं। फिर वे एम0पी0 भी हैं।

श्री मंगल सैन: अगर एम0पी0 का अधिकार है तो क्या आप हरियाणा के एम0पी0 मनी राम बागड़ी के भी जलसे करवाएंगे ?

चौधरी भजन लाल: उनसे भी करवाएंगें।

Mr. Speaker: The next motion if from Sh. Mangal Sein regarding publication of some books. Comments of the Government have been called for by 6th September 1984.

The next is a motion under Rule 84 given notice of by Sarvshri Verender Singh and Sampat Singh regarding breach in Bhakra Canal, which has been converted into Call Attention Motion and has been admitted for 5th September.

Now I give details about the substantive motions. The first substantive motion under Rule 78 if from Smt. Chandravati and Sh. Hira Nand Arya regarding breach in Bhakra Canal. This has been converted into call attention motion and admitted for 5th September 1984.

Another substantive motion is also from Smt. Chandravati and Sh. Hira Nand Arya regarding the supply of defective seed of “Bajra”. That has been disallowed.

The next substantive motion is from Sh. Hira Nand Arya regarding old age pension to farmers, labourers after attaining the age of 60 years. This has been disallowed.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, यह तो बहुत जरूरी है। अब परिस्थितियों बदल गई हैं। आपकी उमर भी होने वाली है इसलिये आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्षः मुझे तो अरग आप अभी से दिला दें तो ठीक है। (हंसी)

Now I come to motion under Rule 84.

The first motion under Rle 84 is from Sarvshri Verender Singh sna Sampat Sing regarding breach of water supply from Bhakra Main Line to Haryana. This has been converted into call attention motion and admitted for 5th September 1984.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, काल अटैं ान मो ान में कनवर्ट करने से क्या परपज हल होगा। पहले हम इस बारेम में ऐडजर्नमैंट मो ान देना चाहते थे लेकिन बाद में रूल 84 के तहत लेकर आए ताकि इस पर डिस्क ान हो जाए और गवर्नमैंट अपना जवाब दे ले।

Mr. Speaker: I assure you that I will give one full hour for this purpose अगर 7—8 मैम्बर एक एक या दो मिनट के लिए भी सवाल पूछेंगे तो भी एक घंटा लग जाएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सवालों से क्या बनता है ?

Mr. Speaker: That is more probing. आपकी मिनिस्अर से क्रौस क्वै चन पूछेंगे जिससे आपको और ज्यादा इन्फर्मे ान मिलेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं सवाल पूछूंगा तो यह प्रोव करवाएंगे। एक व र्ान आया कि उग्रवादियों ने नहर तोड़ दी, दूसरा व र्ान यह आया कि क्रप्ट आफिसर्ज ने पैसा कमाने के लिए तोड़ी और तीसर व र्ान यह आया कि गवर्नमैंट की नैगलीजैंस से नहर टूट गई। ये ऐसे फैक्टस हैं।

श्री अध्यक्षः मतलब तो वही है कि आप जो कुछ कहेंगे उसका जवाब ये देंगे in one way or the other यह काल अटैं ान मो ान ही बनता है इसलिये मैंने इसे काल अटैं ान मो ान में कनवर्ट किया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः आप इसको रूल 84 के तहत ऐडमिट कर लीजिये ताकि इस पर डेढ दो घंटे डिस्क ान हो जाए।

श्री अध्यक्षः जी नहीं।

The next motion is from Sh. Mangal Sein regarding aspects of Haryana in White Paper published by the Government of India in July, 1984. This has been disallowed.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपने इसे डिस अलाउ कर दिया। इससे बड़ा इम्पोर्टैंट सबजैक्ट और क्या हो सकता है कि व्हाइट पेपर पब्लि ा हुआ है और उसमें हरियाणा का जिक्र हुआ है। हरियाणा के फ्यूचर के बारे में प्रै ार आया है और कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है।

श्री अध्यक्षः क्या आपके पास इसे डिस अलाउ करने के रीजन पहुंचे हैं या नहीं ?

श्री मंगल सैनः मेरे पास नहीं पहुंचे।

Mr. Speaker: Then I read the reasons due to which this motion has been disallowed. These are-

1. "The White Paper has not been laid on the Table of the House. Therefore, the Hon. Member cannot raise and seek demand for its discussion.

2. The State Legislature has got no right to discuss the matter which falls in the jurisdiction of Central Government.

3. The Army action took place in Punjab and the Haryana Government has not control to discuss it in this House".

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, रूल 84 के तहत तीन बातों पर डिस्क ान हो सकती है। स्टेटमैंट पर, सिचुए ान पर और रिपोर्ट पर। स्पीकर साहब, हम सिचुए ान पर डिस्क ान करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः मैंने सिर्फ अपना ही दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि सारे सैक्रेटेरिएट ने पूरे रूल्ज को स्क्रूटेनाइज करके पूरी मेहनत करके अपनी राय दी है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ...। आप कहें तो मैं रूल 84 को पढ़ दूं।

श्री अध्यक्षः मैंने पढ़ लिया है।

श्री मंगल सैनः आपने कहा है कि व्हाइट पेपर यहां टेबल पर ले नहीं हुआ लेकिन हरियाणा उसमें फिग्गर हुआ है। फिर भी आप कह रहे हैं कि इस पर डिस्क ान नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, जिस वक्त व्हाइट पेपर के सारे कागज टेबल पर रखे जाएंगे उस वक्त ही फैसला किया जा सकता है।।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, वे सारे कागज स्टेट गवर्नमैंट के पास आए हैं।

Mr. Speaker: I do not know about it.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हरियाणा भी दे ा का हिस्सा है और व्हाइट पेपर में हरियाणा का भी जिक्र किया है।

Mr. Speaker: Doctor Sahib, Haryana does not figure in the White Paper.

Sh. Mangal Sein: Speaker, Sir, Haryana's mention is very much there. I can show the newspaper. गवर्नमैंट कैसे कह सकती है कि व्हाइट पेपर की कापी इनके पास नहीं आई।

श्री अध्यक्षः अगर आपको कोई भाक रह जाए तो आप मेरे चैम्बर में आ जानां

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप कितना भाक दूर करेंगे। इस पर रूल 84 के तहत डिस्क ान हो सकती है।

श्री अध्यक्षः ठीक है डाक्टर साहब, मैं इसे री–कंसीडर करूंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आपने फरमाया कि रूल 84 के तहत जो मो ांज दी हैं अनको आपके सैक्रेटेरिएट ने भी एग्जामिन किया है और आपने भी काफी मेहनत की है। लेकिन स्पीकर साहब, आप इस बात से मुतफिक होंगे कि भाखडा मेन लाइन के ब्रीच के बारे में रूल 84 के तहत जो मो ान है उस पर डिस्क ान अलाऊ होनी चाहिए क्योंकि भाखडा मेन लाइन हमारे प्रदे ा की लाइफ लाइन है, इसलिये इसको पब्लिक इन्ट्रैस्ट में डिस्कस किया जाए।

श्री अध्यक्षः चौधर साहब, केवल हरियाणा की पब्लिक का ही नहीं बल्कि हरियाणा के एक एक बच्चे का इन्ट्रैस्ट भाखडा मेन लाइन कैनाल के साथ जुडा हुआ है। मैं इस बात से एग्री करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः यदि आप रूल 84 के तहत भाखडा मेन लाइन के बारे में डिस्क ान अलाऊ नहीं करेंगे तो इस हाउस का क्या फायदा है ? हम पब्लिक के सामने इस सरकार की गलतियों को नहीं कह सकते। इसलिये आप रूल 84 के तहत जो मो ान दिया है उस पर डिस्क ान के लिए अलाऊ करें।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, इस बारे में जो काल अटैं ान मो ांज आई हुई हैं जब वे डिस्कस हों तो उस समय आप कोई क्वै चन पूछ सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, उस समय हम इस सरकार की गलतियों को अच्छी तरह से पब्लिक के सामने नहीं ला सकते। लेकिन हम रूल 84 के तहत डिस्क ान के दौरान अपनी सारी बातें पब्लिक के सामने कह सकते हैं और सरकार की गलतियों के बारे में अच्छी तरह से कह सकते हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं एक सबमि ान करना चाहता हूं कि यदि आप रूल 84 के तहत जो मो ांज दी हुई हैं उनको काल अटैं ान मो ान में कन्वर्ट करके डिस्क ान अलाऊ करते हैं तो हमारे बोलने के लिए बहुत लिमिटिड स्कोप रह जाते हैं और यदि वे मो ांज रूल 84 के तहत ही डिस्कस की जाएं तो डिस्क ान के लिए बहुत ज्यादा स्कापे हैं और हम डिटेल में अपनी बात कह सकते हैं और सरकार भी उन बातों का डिटेल में जवाब दे सकती है।

श्री अध्यक्षः उस काल अटैं ान मो ान पर क्वै चन पूछने के लिए आपको पूरा एक घंटे का टाईम दूंगा जिसमें आठ दस मैम्बर साहेबान बोल सकेंगे और उसका जवाब भी सरकार की तरफ से आ जाएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, एक घंटे में हम अपनी पूरी बात नहीं कह सकते और न ही कोई सवाल अच्छी तरह से पूछ सकते हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चौधरी साहब, जैसा स्पीकर साहब ने कहा कि काल अटैं ान मो ान पर सवाल पूछने के लिए पूरा एक घंटे का टाईम दिया जाएगा वह समय बहुत रहेगा और 9–10 मैम्बर सवाल भी पूछ सकेंगे और हम उनका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्षः नैकस्ट मो ान श्रीमती चन्द्रावती का है which is regarding allotment of land to Sh. lal Chand Gar, a business magnet, वह मैंने डिस अलाऊ कर दिया है।

अगला मो ान श्री हीरा नन्द आर्य का है which is regarding old age pension to farmers etc. after attaining the age of 60 years. यह मैंने डिस अलाऊ कर दिया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, वह मो ान मैंने रूल 84 के तहत दिया थां

श्री अध्यक्षः इसमें रूल 84 के तहत डिस्क ान के लिए मो ान कैसे बनता है ?

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, आज समाज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसलिए इनको 60 साल की ऐज के बाद पैं ान मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस पर दोबारा विचार कर लैं तो कोई गलत बात नहीं होगी।

Mr. Speaker: No. That has been decided.

Next two motions are also from Sh. Hira Nand Arya regarding drought in the sandy and giving compensation therefor to the farmers and also remission of loans of of the farmers. पहला मो ान डिस अलाऊ हो चुका है और दूसरे का कल कला अटैं ान मो ान में कनवर्ट करके जवाब आ चुका है।

इससे अगला मो ान डा0 मंगल सैन का है which if regarding policty of the Government for giving advertisements to the periodicals and daily newspapers. यह मैंने डिस अलाऊ कर दिया है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, रूल 84 में लिखा है –

"-A Motion that the policy or situtaion or statement or any matter by taken into consideration, shall not be put to the vote of the Assembly..... "

So Sir, I wanted to discuss कि पीरियोडिकल्ज को और डैली न्यूज पेपर्ज को एडवर्टाइजमैंट देने की गवर्नमैंट की क्या पोलिसी है।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, जिन प्वायंटस पर मैंने उसको डिस अलाऊ किया है वह मैं आपको बता देता हूं। वे हैं –

"(i) That the subject matter of the notice if vague and ambiguos and it is not clear from the notice that whose policy the Hon'ble members wants to discuss;

(ii) That the words "perdiodicals" and "daily newspapers" are not specific."

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये जितने पीरियोडीकल्ज को और न्यूज पेपर्ज को ऐडवर्टाईजमैंट देते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है और क्या पालिसी है ? इससे बढ़ करके स्पैसीफिक और डेफिनिट बात और क्या हो सकती है ? यह कैसे वेग हैं और कैसे एमबिगुअस हैं ? आपको सैक्रेटेरिएट कोई न कोई बहाना लगा कर ऐसे मामलों को कत्ल करना चाहता है जिससे मैम्बर्ज को अच्छी बात कहने का मौका न मिल सके। इसमें वेग बात क्या है ? मैंने डैफिनिटली पूछा है कि पीरियोडीकल्ज को और डेली न्यूज पेपर्ज को ऐडवर्टाईजमैंट देने की क्या पोलिसी है ?

Mr. Speker: Doctor Sahib, I will reconsider it.

Next motion is also from Dr. Mangal Sein regarding the polity of the State Government for giving financial aid to

Maharishi Dayanand University. This motion has been admitted for 7th September 1984.

Now I take up Adjournment Motions.

The first adjournment motion if from Smt. Chandravati and Sh. Hira Nand Arya, which is regarding breach of water supply from Bhakra Main Line to Haryana which has been disallowed.

The next motion is from Smt. Chandravati and Ch. Om Parkash regarding carrying un authorised passengers in flight on 14th August 1984. This his also been disallowed.

The next motion is from Sh. Sahab Singh Saini, which is regarding irregular supply of electricity, non supply of canal water, non replacement of burnt transformers and compensation to the farmeners. This motion has been convereted into call attentioni motion and admitted for 5th September 1984.

Then comes the motion of Dr. Mangal Sein, which is regarding talks with the Cental Government regarding Chandigarh, Abohar, Fazilka and distribution of water relating to Haryana and the matters in the knowledge of the Hon'ble Chief Minister. This has also beeni disallowed.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, क्या यह भी इम्पोर्टैंट नहीं है ?

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, इस बारे में पहले भी डिस्क ान हो चुकी है। इसमें कोई रीसैंट आकरैंस वाली बात नहीं है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, यह तो एक कंटीन्यूअस प्रोसैस है और इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

Mr. Speaker: Doctor Sahib, this matter has already been discussed so many times.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, जब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं होगा तब तक यह सरकार सिचुए ान चेंज करती रहती है। इनको हाउस को कांफीडैंस में लेना चाहिए। इन्होंने पहले भी हाउस में कई बार यह कहा है कि हमने अपोजी ान को कांफीडैंस में लिया है। कल भी सी0एम0 साहब यह कह रहे थे कि इन्होंने हाउस को कांफीडैंस में लिया है।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, बार बार रैपीटी ान से क्या फायदा होगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आगे नान आफि ियल डे आ रहा है और इस बारे में रैजोल्यू ान भी है उस पर डिस्क ान के दौरान ये सारी बातें कह सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जो हिन्दी मिलाप पेर है उसके ऐडिटर तथा मालिक हम समझते हैं कांग्रेस विचारधारा के

हैं। आज के हिन्दी मिलाप पेपर ने अपनी हैड लाइनों में लिखा है :—

"अकालियों से वार्ता जारीः हल के नए संकेत मिले, सैनिक कार्यवाही आतंकवाद के विरूद्ध थी। श्रीमती गांधी। निजी रोश व खेद भावना को राश्ट्र एकता पर हावी नहीं होने देना चाहिए अकाली नेतृत्व अग्रवादियों से भयभीत था, तभी कोई समझौता न हो सका।"

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला आज सुबह बड़े जो ा में थे और एक बहुत लम्बा चौड़ा लैक्चर दे गए और उन्होंने अकालियों को दे ाद्रोही बता दिया। उन्होंने यह कहा कि अकाली पार्टी दे ाद्रोही पार्टी है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि वे दे ाद्रोही पार्टी है तो उसको बैन क्यों नहीं कर दिया ? लेकिन अब भी अकालियों से वार्ता जारी है। क्या उसमें एस0वाई0एल0 और चण्डीगढ़, अबोहर फाजिल्का तथा दूसरी टैरीटरीज के मसले भाामिल नहीं हैं ? आज की खबर में ये सारी बातें भाामिल हैं। यदि यह रीसैंट अकरैंस नहीं है तो और क्या है ? मैं गुजारि ा करना चाहता हूं कि ये सारे मामले जैसे चण्डीगढ़, अबोहर फाजिल्का और एस0वाईएल0 फिर नए सिरे से उभर कर सामने आ रहे हैं। मुझे इस सरकार पर कतई तौर पर भरोसा नहीं है कि यह लोगों के हितौं की रक्षा कर सकेगी। यह सरकार अपनी गद्दी बचाने के लिए लोगौं को गुमराह कर रही है। इसलिये स्पीकर

साहब, मेरी गुजारि ा है कि हमें इस सारे मामले के बारे में बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्षः आगे नान आफिि ायल डे आ रहा है। उस दिन एस0वाई0एल0 का जो रैजोल्यू ान आया हुआ है उस पर डिस्क ान होगी। वह सारा दिन उस रैजोल्यू ान पर डिस्क ान के लिय है उस दिन आप जितना चाहें बोल लेना। (विघ्न) आप उस दिन चण्डीगढ, फाजिल्का अबोहर और एस0वाईएल0 के मामलों के बारे में बोल लेना। वह सारा दिन आपको बोलने के लिए मिलेगा।

Sh. Mangal Sein: Sir, I want to draw your kind attention to rule 66 at page 43 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, which reads as under :-

"Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker;"

All the things are done here with the kind consent of the Speaker. There are three elements provided in these provisions.

Mr. Speaker: I have read this rule not once, twice or thrice but so many times.

Sh. Mangal Sein: Sir, my humble submission is that I, being the members of this August House, be allowed to make out my point.

स्पीकर साहब, यह मैटर पब्लिक कंसर्न का है। अभी पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर महोदयन ने फरमा दिया और हमें याद कराया है कि नौन आफिि ायल डे इसके लिए रखा हुआ है। यह बात बता कर इन्होंने अच्छी ही बात की है। जो प्रोवीजन मैंने पढ़ा है, इसका मतलब यह है सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर डिस्क ान होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आजादी के बाद जहां तक मुझे ख्याल है मेरे दो ऐडजर्नमैंट मो ान एडमिट हुए हैं। इस बात पर मैं गर्व नहीं करना चाहता। पहला मो ान तो 1966 में फलड के बारे में था और दूसरा मो ज्ञन 1970 में ट्रिब्यून अखबार पर जब चौधरी बंसी लाल जी ने बेचने और छापने पर पाबंदी लगाई थी के संबंध में था। कई मामले बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे मामलों को हाउस की कार्यवाही घंटे दो घंटे रोक कर डिस्कस किया जाता है। यदि इस मामले को भी आज ही डिस्कस कर लिया जाये तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इस मामले के अंदर सारी स्टेट का इंट्रैस्ट है। यदि आप डिस्क ान की इजाजत दे देते हैं तो इनको भी य ा मिलेगा, आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। हमें इसलिये मिलेगा कि हमने पब्लिक की आवाज को यहां पर उठाया। इसलिए इस बारे में मेरी आपसे दुबारा फरियाद है कि आप इस पर पुनः विचार कर लें और हमें बोलनें का मौका दें।

श्री अध्यक्षः पांचवा ऐडजर्नमैंअ मो ान श्री साहब सिंह सैनी की तरफ से श्री कृश्ण आयुर्वैदिक कालेज कुरूक्षेत्र के बारे में है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हमारी फरियाद का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, वह बनता नहीं है। आप भी जानते हैं कि फर्स्ट क्राइटेरिया अरजैंट पब्लिक इम्पौर्टैंस का होता है। यह मामला कई सालों से चल रहा है। आप इस बारे में मेरे से चैम्बर में बात कर लेना।

श्री वीरेन्द्र सिंहः भारत सरकार के होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है। (ाोर) आप कह रहे हैं कि चैम्बर में बात कर लें?

Mr. Speaker: I am sorry, I have decided it.

The next adjournment motion which is regarding postponement of admission in Sh. Krishan Ayurvedic College, Kurukshetra, is also disallowed.

चौधरी साहब सिंह सैनीः सर मैंने यह ऐडजर्नमैंट मो ान रूल 67(1) के तहत दी है। इसमें लिखा है। :–

"Notice of an adjournment motion shall be given in writing not less than one and a half hours the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made to each of the following ....."

यह मो ान मैंने कल सै ान के दौरान ही दी थी। मेरे द्वारा कल मो ान दिए जाने के बाद भी रात तक मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सैक्रेटरी साहब ने तो रिजैक्ट कर दिया। आप इस पर पुनः सोच लें।

श्री अध्यक्षः आपने यह मो ान सै ान के दौरान दिया है जबकि ऐसा कोई मो ान सै ान भ्रारू होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले दिया जाना चाहिए।

चौधरी साहब सिंह सैनीः सै ान के दौरान इसलिए सोच कर दिया था कि कल के लिए यानि आज के लिए लग जाएगा। स्पीकर साहब, यह बहुत इम्पोर्टैंट मैटर है क्योंकि इस समय स्टुडैंटस बहुत परे ाान हो रहे हैं।

श्री अध्यक्षः क्या आपने रूल 67 पढ़ा है ? इसके अन्दर तो यह लिखा है–

"Notice of an adjournment motion shall be given in writing not less than one and a half hours before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made to each of the following..... "

चौधरी साहब सिंह सैनीः अभी मैंने आपको बताया है कि यह इसलिए सोच कर दिया था कि कल यह पुट होगा। आप इसे फिर से कंसीडर कर लें।

श्री अध्यक्षः ठीक है। मैं इसे दुबारा कंसीडर कर लूंगा।

श्रीमती बसन्ती देवीः स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैंशन मोशन देना था लेकिन वह इसलिये नहीं दिया क्योंकि आपने उसे डिस अलाऊ कर देना था। मैं आपकी इजाजत से बगैर काल अटैंशन दिए हुए ही अपनी बात कहना चाहती हूं। वर्श 1960 के अंदर एक सैनिक स्कूल हरियाणा के लिए झज्जर में खोले जाने के लिए मंजूर हुआ था। अब एक और स्कूल झज्जर के लिए ही मंजूर हुआ था लैकिन पता लगा है कि उसे अब राजस्थान के बोर्डर पर पालीकोठला में खोलना चाहते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि झज्जर के अंदर 40 हजार के करीब एक्स सर्विसमैन रहते हैं जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं। मैं सी0एम0 साहब से जानना चाहती हूं कि क्या वहां पर इस सैनिक स्कूल को खोल दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्षः सी0 एम0 साहब, इस पर विचार कर लेंगे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैंशन मोशन रोहतक यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर के घर पर जो झगड़ा हुआ है उसके बारे में भी है। इस बारे में आज के अखबार में भी लिखा है– कल रात लगभग साढ़े नौ बजे महर्शि दयानन्द वि ववविद्यालय के कुलपति की कोठी पर दो गुटों में मारपीट हो गई। स्पीकर साहब, आगे अखबार में लिखा हुआ है कि वहां पर क्या क्या घटना हुई है। जब इस तरह के हालात हो रहे हों तो

उन पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, आप मेरी मो ान को मंजूर कीजिए।

श्री अध्यक्षः इसे मैं देख लूंगा।

श्री मंगल सैन वहा ंपर ऐडमि ान के मामले में बहुत घपला हो रहा है। वहां पर मारपीट की गई है। आप इसे ऐडमिट कर लीजिए।

श्री अध्यक्षः मैं इसे देख लूंगा। There will be no further discussion on this point. If, howerver any hon. Member feels aggrieved, he can see me in my Chamber.

वर्श 1984–85 के सप्लीमैंटरी एस्टीमैंटस (पहली कि त)

पर चर्चा तथा मतदान

(1) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित अनुमानों पर चर्चा

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः अब वर्श 1984–85 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस (पहली कि त) पर डिस्क ान होगी।

पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाईम बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभसी डिमांडज एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी और उन पर जनरल

डिस्क ान होगी। आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर बोल सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। डिस्क ान के बाद डिमांडज हाउस की वोट के लिए पुट की जाएगी।

Then a supplementary sum not exceeding Rs. 15700000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges, that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1985 in respect of Demand No. 11- Urban Development.

Then a supplementary sum not exceeding Rs. 3016000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges, that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1985 in respect of Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation

Then a supplementary sum not exceeding Rs. 750000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges, that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1985 in respect of Demand No. 17- Agriculture.

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमैंटरी डिमांडज हाउस के सामने रखी गई है उनकी ये हाउस से मंजूरी चाहते हैं। मुद्दें तो इसमें 3–4 ही हैं लेकिन ये हमसे सप्लीमैंटरी डिमांडज के जरिए करोड़ों रूपये की मंजूरी मांग रहे हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 रोडज के बारे में इस किसाब के पेज 3 पर लिखा गया है। कोई ई ा कुमार भुटानी ठेकेदार है। उसका ऐक्सीडैंट

हो गया था। इन्होंने उसका मुआवजा नहीं दिया। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया परिणामस्वरूप इन्हें उसकी पत्नी को लगभग 3 लाख रूपया देना पड़ा। इसी प्रकार से एक चौकीदार को इन्होंने रिटायर कर दिया था। रिटायर होने पर वह चौकीदार कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने उसी के हक में फैसला दिया और उसका पैसा इनको देना पड़ा। इसी तरह से इन्हें श्रीमती विद्या देवी, विधवा श्री चन्दन सिंह को भी उसके बच्चे के ऐक्सीडैंट में मृत्यु हो जाने के कारण 17215 रूपये मुआवजा देना पड़ा। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)**

12.00 बजे।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपके नोटिस में भी बहुत सारे ऐसे केसिज होंगे जिनको ये मुआवजा ठीक प्रकार से नहीं देते। ये गरीब किसानों से सस्ते भाव पर जमीन ले लेते हैं वे अपनी जमीन का पूरा मुआवजा लेने के लिए कोर्ट के धक्के खाते फिरते हैं। अदालतों में जाने के बाद उनको डिक्री मिल जाती है और फिर सरकार अपने फण्ड से पैसा निकाल कर उनको देती है। इसके बाद उस पैसे की मंजूरी हाउस से ले लेती है। अभी तो काफी अर्सा बाकी है क्योंकि सितम्बर का महीना ही भ्रारू हुआ है। अभी तो इन्होंनें चुनावों में वायदों की झड़ी लगानी है और कई जगह पत्थर लगाये जायेंगे। इसके अलावा सभाएं होंगी और अनाप भानाप बातें होंगी। जो पत्थर लगाया जायेगा वह 6 साल तक आंधी तूफान और बारि ा में यूं ही बेकार में खड़ा रहेगा। हां,

गधों की थोड़ी मौज हो जायगी। खाज ठीक करने के लिए वे अपने जिस्म को रगड़ लेंगे। चौधरी भजन लाल जी तो ऐसे हैं कि अगर कोई 18 चीजें मांगते हैं तो ये 24 चीजें आगाह कर देते हैं। मैं वजीरे खजाना से कहना चाहता हूं कि पी0डब्ल्यू0 डिपार्टमैंअ को चैक करने के लिये, इसको सुपरवाइज करने के एिल कोई इफैक्टिव कदम उठायें। पी0डब्ल्यू0डी0 जितना पैसा खर्च करता है उसका 70 परसैंट रूपया ठेकेदारों, ओवरसीयरों और बड़े अध्किारियों की जेबों में जाता है। मु कल से 30 परसैंट सामान लगता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने रोहतक में बड़े जारे भाोर से काम किया। इस सप्लीमैंटरी एस्टीमैंटस में आगे अर्बन डिवैल्पमैंट की मद है। इस मद के अंदर 5 करोड रूपये की सैंक ान अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हाल यह है कि सडकें बनती बाद में हैं लेकिन टूट पहले जाती हैं। एक बरसात आई और सड़क टूट गई। मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो ठेकेदार ये सड़कें बनाते हैं, अगर उनकी सड़क पहली बरसात में ही टूट जाए तो उन पर पैनल्टी लगाएं। ठीक है, वे आपके आगे पीछे फिरते होंगे, सिफारि ाी लोग हैं, बड़े होि ायार हैं, लेकिन इन पर रोक लगाएं और जनता के गाढ़े पसीने का पैसा यूं ही बरबाद न होने दीजिए। जो गरीब आदमी हैं उसको भाुरू में पैसा दे दो ताकि वह पैसा लेने के लिए अदालतों में धक्के न खाता फिरे। डिप्टी स्पीकर साहब, रोहतक भाहर के लिए इन्होंनें एक करोड रूपये का प्रावधान किया है और 4 करोड़ 17 लाख रूपये की एक स्कीम

सैंक ान की है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस स्कीम के लिए अगस्त 1983 से कोरेसपौंडैंस हो रही थी लेकिन मई 1984 को सैंक ान दी गई। इस वक्त बरसात सिर पर आ गई है। बरसात से पहले काम होना चाहिए था। आप सिविल रोड जा कर देख लें, रेलवे रोड देख लें, कई सडकें ऐसी हैं जिन्होंने एक भी बरसात बरदार त नहीं की। पहली बारि ा हुई और टूट गई। अब इस के जवाब में ये यह कह दैंगे कि साहब हमने काम कर दिया, अब क्या करें, टूट गई। अब करना तो इन्होंने है लेकिन एग्जीक्यूट करने वाले गडबड करते हैं। पिछली बार दो इंजीनियरों को सस्पैंड किया था लेकिन वह हाई कोर्ट में बहाल हो गये। मैं वित्त मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वे इस बात का पता कर लें कि कहीं इनका सरकारी वकील तो इनके साथ नहीं मिल जाता ? यह मुमकिन हो सकता है क्योंकि ऐडवोकेट जनरल साहब बडे गम्भीर आदमी हैं। चूंकि वे हाउस के मैम्बर हैं, इसलिए मैं बिना संकोच कह सकता हूं। कोर्ट में कभी वे पे ा हो जाते हैं कीी अपने बेटो को पेम ा कर देते हैं। फाइनैंस डिपार्टमैंट इनके लेखे जोखे को देखे कि उनके बेटे की कितनी आमदनी है। कहीं ऐसा न हो कि ये लोग कानून के ि ाकंजे से बच कर चले जायें और इनका पीछा करने में कोई कमी रह जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, रोहतक भाहर बहुत पुराना भाहर है। इस भाहर के बाबू भयाल लाल, पंडित श्री राम भार्मा, नेकी राम, लछमन दास वगैरा कई महापुरूश हैं जिन्होंने दे ा को आजाद करवाने में बडा भारी योगदान दिया। सर छोटू राम जो दे ा के भर के म ाहूर आदमी

हैं, इनका निवास स्थानी भी इसी भाहर में था। इस सदन में उनके पोते मंत्री पद पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्षः डा0 साहब, यह सप्लीमैंटरी एस्टीमैटस हैं। आप बहुत लम्बा बोलनें लगे हैं। (व्यवधान) इस पर बोलने का बहुत थोडा स्कोप है, आप लिमिट में बोलिए।

श्री मंगल सैनः अगर आप कहते हैं तो मैं बोलना बंद कर देता हूं। यह बात कहने की तो गुंजाइ ा ही नहीं है। यह सप्लीमैंटरी एस्टीमैंटस है, I know it very well. I am quite relevant and to the point. I am talking about page 8 of th Supplementary Estimates (First Instalment) 1984-85. जो बात मैं कह रहा हूं उसको रैंफ्रैंस सप्लीमैंअरी एस्टीमैटस के पेज नं0 8 पर है। एक करोड रूपया रोहतक भाहर की डिवैल्पमैंट के लिए दिया गया है। अगर मैं किसी बात को रिपीट करता हूं तो आप बे ाक टोक दीजिए। अगर मैं कहीं पर कड़ी तोडूं या काई दूसरा सिलसिला भाुरू करूं तो आप कह सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी ही समझ का आदमी हूं। हां डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि हमारा भाहर बहुत पुराना है और बहुत अच्छे लोग वहां पर रहते रहे हैं। आबादी निरन्तर बढ़ रही है और लोग सैट हो रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए केवल दो वाटर वर्कस हैं। दो लाख की आबादी है और इन दो वाटर वर्कस से पीने का पानी पूरा नहीं हो सकता। यहां पर पीने के पानी की समस्या है और जब वर्शा आ जाए तो पानी निकालने की समस्या है। सीवरेज का बहुत बुरा

हाल है, पता नहीं किस किस ठेकेदार ने सीवरेज का काम किया है। सारे भाहर का बुरा हाल कर रखा है। इस काम के लिए जो रूपया दिया है, वह बहुत अच्छा है, अगर इस पैसे का राईटली यूटिलाइजे ान हो जाता है तो कुछ न कुछ सुधार हो सकता है लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप अर्बन एरिये के अंदर एन्वायरनमैंअ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यह रूपया बहुत थोडा है। इस वक्त नगरपालिकाओं की ऐसी द ाा है, कि वे भाहरों को सुधार ही नहीं सकती। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे समझ नहीं आती कि नगरपालिकाओं का प्रबन्ध नगर पिताओं के जिम्मे क्यों नहीं लगाते ? क्यों नहीं सरकार चुने हुए मैम्बरों के जिम्मे लगाती ? हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री इलाहाबाद नगरपालिका के सदस्य थे। पौड़ी दर पौड़ी चढते हुए वे हिन्दुस्तान के वजीरेआजम बने, उनकी बिटिया बनी और अब उनके बैटे की तैयारी हो रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि नगरपालिका डैमोक्रेसी का ट्रेनिंग ग्राउंड है। नगरपालिका का प्रबन्ध नगरपिताओं के जिम्मे लगाने में क्या संकोच है ? डिप्टी स्प0ीकर साहब, जनता अना नुमाइंदा चुन कर नहीं लगा सकती। ऐडमिनिस्ट्रेटर ठोके हुए हैं। हमारा एक नुमाइंदा भला काम कर रहा था लेकिन वह महामंत्री बन गया, वे रोहतक के रनहे वाले हैं और कल रेडियों पर उनकी चर्चा हो रही थी। डिपटी स्पीकर साहब, मैं पर्सनल बातों में जाने से संकोच करता हूं, लेकिन ये खुद कह रहे थे कि वे निकम्मा आदमी ले आये हैं। अब चुनाव हो जाए तो पीछा छूट जाए।

लेकिन अगर फिर ये किसी घसीटू को ही ले आयें तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। एक घसीटू को हटाओ और दूसरपे को लगाओ, इसका कोई फायदा नहीं, बात वहीं की वहीं रह जाती है। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, हरिजन कल्याण निगम ने मैटाडोर, आउटो रिक ाा, फोर व्हीलर खरीदने के लिए सरकार ने रोहतक भाहर के हरिजनों को स्पै ाल असिस्टैंस दी है, लेकिन रोहतक भाहर में मै।ने कोई हरिजन भाई नहीं देखा जिसने यह सहायता लेकर थ्री व्हीलर लिया हो। हां, इनकी संख्या दो सौ, पौने दो सौ जरूर हो गई है लेकिन हरिजन भाई मैंने कोई नहीं देखा जिसके पास थ्री व्हीलर हो। मुझे 25 हजार की असिस्टैंस देने का पता लगा है। जिसको सहायता दी है, वह इन्हीं की पार्टी का आदमी है। अगर मैं नाम लेकर कह दूं तो इनकी पार्टी के आदमी कह देंगे कि साहब, ये ऐसी बातों पर आते हैं। वह आदमी तो जग जाहिर है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगली बात हाउसिंग प्रौब्लम की है। इस काम के लिए हुड्डा तो बना हुआ है लेकिन वह पंगु कर दिया गया है। देहली आप त ारीफ ले जाएं। वहां से बड़खल लेक नहोने के लिए त ारीफ ले जाएं रास्तें में आप देंखे कि बडे बडै ऐडवर्टाइजमैंअ के बोर्ड लगे हुए हैं। पता नीं कंसल या कौन कौन से बडे बडे कंसर्न्ज हैं जिनको लाईसैंस दे रखे हैं। दुनिया भर की मैगजींज में उनके ऐडवर्टाइजमैंटस छपते हैं। गरीब आदमियों को वे मकान नहीं लेने देते। इन्होंने तो कौलोनाइजर्ज की जेबों में हुड्डा को बेचकर रख दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, अप्रैल के आखिरी दिनों में मैं

वि ोश कार्यवश सै ान में नहीं आ सका था। उन्हीं दिनों यहां पर एक प्रस्ताव पास कर दिया गया कि स्पैशल ने ानल डिवैल्पमैंट एरिया बनाया जाएगा और उसका सारा कंट्रोल सैंटर से होगा। उसके बारे में ज्यादा न कहते हुए मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि रोहतक वालौं को उनके हकों से वंचित न रखा जाए।

चौधरी रो ान लाल आर्य (छछरौली): उपाध्यक्ष महोदय, अर्बन डिवैल्पमैंट के बारे में जो डिमांड नं0 11 है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि भाहरों की नगरपालिकाओं को जो पैसा दिया जाता है उसका सदुपयोग होता है या दुरूपयोग इसकी भी किसी न किसी तरह जांच करनी चाहिए। पिछले दिनों जमुना नगर की नगरपालिका के अधिकारी के खिलाफ नागरिकों ने एक मैमोरैंडम दिया, सरकार ने विजिलैंस डिपार्टमैंट से उसकी इंक्वायरी करवाई और उस अधिकारी को दोशी पाया गया तथा यह सिद्ध हुआ कि उसने नगरपालिका के धन का गलत इस्तेमाल किया। अभी भी विधान सभा में उस अधिकारी के बारे में एक सवाल आया था लेकिन मुझे सवाल पूछने का समय नहीं मिल पाया परन्तु उस अधिकारी के बारे में रिकार्ड पर यह बात आ गई है कि उसने टेलिफोन की एस0टी0डी0 फैसिलिटी को नगरपालिका के पैसे से इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसा जनता के काम आना चाहिए था, उस पैसे को व्यक्तिगत सुविधा के लिए इस्तेमाल किया गया। यदि ऐसा ही होना है तो इन बजट

ऐस्टिमैटस को यहां पास करने से क्या फायदा है ? क्या लाभ है ऐसी म्युनिसिपल कमेटीज को पैसा देने का जिनके अधिकारी गैर जिम्मेदारी से उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं और विजिलैंस डिपार्टमैंट की रिपोर्ट आने के बावजूद जिनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती ? इससे स्पश्ट होता है कि यह सरकार भ्रश्ट अधिकारियों को संरक्षण देती है। यदि सरकार ऐसे अधिकारियों को संरक्षण न दे तभी म्यूनिसिपल कमेटीज को पैसा देने का लाभ होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जमुनानगर म्युनिसिपल कमेटी का जो अधिकारी दोशी पाया गया है उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाए। उसके खिलाफ कई और नए चार्जिज भी लगे हैं। मैं चाहूंगा कि उनके बारे में भी सरकार इंक्वायरी करवाए, उस अधिकारी को वहां से तुरन्त बदले या मुअत्तल करे या उसके खिलाफ जो और कोई कानूनी कार्यवाही बनती हो वह करे।

उपाध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटीज में बहुत से इलाके ऐसे हाते हैं जहां गरीब लोग रहते हैं। बड़े आदमियों के इलाकों में तो रसूख की वजह से काम हो जाता है लेकिन जहां गरीब आदमी रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उन इलाकौं में भी यदि पीने के पानी की व्यवस्था हो, रो ानी की व्यवस्था हो, गलियों की सफाई की व्यवस्था हो तभी इन बजट ऐस्टिमेटस को पास करने का लाभ होगा और जनता को राहत मिलेगी।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण तथा पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 13 के बारे में कहना चाहता हूं। उजड़े हुए लोगों को बसाने के लिए यह महकमा बनाया गया था लेकिन कानूनी पेचीदगियों के कारण गरीब आदमियों के खिलाफ केस बन गए। गरीब आदमी हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। उसे हाई कोर्ट से पहले राहत देने के लिए कोई फोरम नहीं रखा गया है। ये केसिज छोटे कोर्टस की जुरिसडिक ान में भी आने चाहिएं ताकि छोटे लोगों को हाई कोर्ट में ही अपील न करनी पड़े बल्कि लोअर लैवल पर भी अपील करके उन्हें राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को कल्याण करने वाला जो निगम है उसको पैसे की जरूरत है। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि किस किस इलाके के हरिजनों की कठिनाईयों को दूर किया गया है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को प्रायरिटी दी जानी चाहिए थी, जिन लोगों को पहले ऊपर उठाया जाना चाहिए था, उनको सरकार ने कोई राहत नहीं दी। मेरे हल्के में ही नहीं बल्कि सारे अम्बाला जिले में बहुत से सब माउंटेनियस इलाके ऐसे हैं जिनके कल्याण के लिए या तो कोई स्पै ाल निगम बनाया जाना चाहिए या कोई खास कदम उठाए जाने चाहिएं। वहां के लोगों को ट्रक देने से या थ्री व्हीलर देने से बात नहीं बनेगी क्योंकि बगैर मकान के तो वे गल कर मर जाएंगे। गर्मियों में इन इलाकों में आग लग जाती है और बरसात में वैसे ही जीवन खतरे में होता

है। उनको तो सबसे पहले मकान आदि की सुविधा देनी पडेगी, रोजगार देने की बात उसके बाद आएगी।

कृशि से संबंधित मांग संख्या 17 के बारे में भी मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं। इसमें बैंक स्थापित करने की बात कही गई है। यह ठीक है कि कृशि को बढ़ावा देने के लिए बैंक होने चाहिएं लेकिन देहात के आदमियों को इस संबंध में मार्ग द र्ान की बहुत जरूरत है। बैंकिंग सर्विस में आज काफी गड़बड़ हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी हैरानी की बात है कि जमुनानगर में मरने के एक साल बाद एक आदमी ने लोन ले लिया, तीन आदमियों की गारंटी दे दी और तीन चौथाई लोन वापिस भी कर दिया। इसी तरह की एक हैरानी की बात और हैं। मेरे हल्के में 26 लाख रूपया मरे हुए आदमियों ने ले लिया है जबकि जीवित लोग लोन लेने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। इस तरह की बातें चैक की जानी चाहिए तथा दोशियों को सजा दी जानी चाहिए तभी इन बजट ऐस्टिमेटस को पास करने से लाभ होगा।

चौधरी धीर पाल सिंह (बादली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मांग नं0 8, 11 और 13 पर अपने विचार रखे चाहूंगा। जहां तक डिमांड नं0 8 का संबंध है, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति की ऐक्सीडैंट मे मृत्यु की वजह से सरकार को 326775 रूपये देने पडे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हर सै ान में पी0डब्ल्यू0डी0 (बी0एण्ड आर0) के लिए बहुत सा पैसा पास करवा लिया जाता है लेकिन वह जाता कहां है इस बात का हमें पता नहीं लगता। मैं

इस संबंध में आपके माध्यम से मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से दो बातें कहना चाहूंगा। बादली हल्के में पिछली बाढ के दौरान सारी सड़कें तबाह हो गई थीं लेकिन आज तक उनको ठीक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगाया गया। पिछली अनुपूरक मांगां और इस बार के बजट का पैसा कहां गया हमें मालूम नहीं हैं वहां न तो रोड़ी डली है, न तारकोल डला है और न ही मिट्टी डाली गई है। कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जो 10 साल से बनी हुई हैं लेकिन आज तक किसानों को उनकी जमीन का कम्पनसे ान नहीं दिया गया है। गुड़गांव से बाडसा और डूंडाहेड़ा को जो सड़क आती है वह इसकी एक मिसाल है। उन लोगों को तो दोहरी चपत लगी हुई है। एक तो उनकी जमीन चली गई, दूसरे मुआवजा नहीं मिला। हर बार पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए बहुत सी रकम पास की जाती है लेकिन वह पैसा कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है, कौन इउसे मिस युटिलाइज करता है, इस बारे में डिप्टी स्पीकर साहब, हम कुछ नहीं कह सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक भवनों की बात है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहा हूं। मेरे हल्के में पिछले साल बाढ़ के कारण से जिन स्कूलों की बिल्डिंगज गिर गई थी उनमें से केवल एक स्कूल की बिल्डिंग का ऐस्टीमेंट बनाया गया। वह ऐस्टीमेट केवल एक लाख रूपये का बनाया गया। जब तक वह ऐस्टीमेट पास होकर आया तब तक उस स्कूल की बिल्डिंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। फिर वह ऐस्टीमेट दुबारा बनाया गया और दो लाख रूपये का बनाया गया। जब दो लाख का ऐस्टीमैट पास होकर वापिस आया तो उस

बिल्डिंग की और भी खस्ता हालत हो गई। अब तीसरी बार रिवाइज करके उस ऐस्टीमेट को भेजा गया है। अब आगे पता नहीं उस बिल्डिंग पर क्या लागत आयेगी इस बात का तो उसी समय पता लगेगा जब वह बननी भुरू होगी।

अब मैं मांग नंबर 11 के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मांग नं0 11 के बारे में डाक्टर मंगल सैन जी ने भी कहा कि रोहतक भाहर के लिए एक करोड रूपया दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। रोहतक भाहर राजनैतिक तौर पर और दूसरे लिहाज से भी यानी हर स्तर से बड़ा ऊंचा रहा है लेकिन अब उसे हर लिहाज यानी राजनीति के लिहाज से या उसकी डिवैल्पमैंट के लिहाज से नीचे गिरा दिया है। पिछले सै ान में रोहतक भाहर के बारे में चर्चा हुई थी और उसे डिवैल्प करने के बारे में काफी जोर दिया गया था। वहां पर तीन तीन फुट पानी भरा था। छोटू राम पार्क के आसवास तीन तीन फुट तक पानी भरा हुआ था। मुख्य मंत्री जी ने यहां हाउस में बड़ी लम्बी चौड़ी बात की थी कि वहां से पानी निकलवा देंगे लेकिन साल भर तक भी वहां से पानी नहीं निकला। वहां पर पानी निकालने के लिए सीवरेज सिस्टम नहीं है। प्रेम नगर और दूसरे इलाकों में 24 घंटे गन्द सड़ता रहाता है। वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यह जो एक करोड़ रूपया रोहतक भाहर के लिए दिया है, यह हमारा हक है, हम डिजर्व करते थे। यह जो पैसा दिया जायेगा वह रोहतक की सुन्दरीता और पानी को निकालने के लिए दिया जायेगा। अब हमें

यह देखना है कि इस एक करोड़ रूपये को किस जगह पर प्रयोग किया जायेगा। क्या उसका मिस यूटेलाइजे ान तो नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को वह पैसा खर्च करना चाहिए।

मांग नंबर 13 समाज कल्याण के बारे में है। समाज कल्याण की मांग के तहत हरिजनों को टैम्पों और ट्रक खरीदने के लिए पैसा दिया गया। यह सरकार ने इसलिए किया है कि गरीब हरिजन और मजदूर दूसरी मजदूरी के साधन अपना सके लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि उन बेचारों को यह पैसा नहीं मिलता है। कर्जा तो बेचारे हरिजन के नाम से लिया जाता है और टैम्पो ट्रक का इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। हरिजनों को राहत देने के लिये यह सुविधा दी गई है लेकिन उन्हें वह सुविधा नहीं मिल पाती है। योजना तो ठीक है। हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए है लेकिन उन्हें ऐक्सप्लायट नहीं किया जाना चाहिए। उसके नाम से कर्जा लेकर उसे दूसरे लोग यूज न करें। हमारे जैसे स्वार्थी आदमी उस कर्जे का प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारि ा है कि उस पैसे का मिस यूटेलाइजे ान नहीं होना चाहिए।

मांग नंबर 17 के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। यह मांग बहुत अच्छी है लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाता है। इस बार बाजरे का बीज आया। खराब बीज को अच्छा कह कर लोगों को दिया गया। इस बार जो लोगों को बीज दिया गया वह बहुत लो क्वालिटी का दिया गया। जिन लोगों को वह बीज दिया गया

वह बीज मिला है वह भी पछता रहे हैं और जिन लोगों को नहीं मिला वह कह रहे हैं कि हम अच्छा बीज बोने से वंचित रह गये। जिन लोगों ने यह बीज बोया है उस पर बाल ही नहीं आ रही है। वैसे के वैसे ही बाजरे के पेड़ खड़े हैं कोई बाल नहीं लगी है। इन भाब्दों के साथ मैं अर्ज करूंगा कि ये सप्लीमैंटरी ऐस्टीमैटस पास न किये जायें।

श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मांग नंबर 11, 13 और 17 पर बोलना चाहता हूं। करोड़ों रूपया सरकार हरियाणा के विकास पर खर्च करने जा रही है। जहां तक कम्पनसे ान की बात है, गवर्नमैंट ने कोर्ट का फैसला होने के तुरन्त बाद ही दे दिया। कोर्ट के फैसले का एहतराम किया। कोर्ट ने जो भी पैसा बढ़ाया उसे सरकार ने जायज मान कर दे दिया। अच्छी बात हैं

डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि रोहतक भाहर सारे हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे दे ा में प्रसिद्ध रहा है। यहां के लोग बहादुर होते थे .....। यह बहुत ही पुराना भाहर है।

श्री उपाध्यक्षः यह बात रिकार्ड न की जाये।

श्री भले रामः आज रोहतक बरबाद हो रहा है। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं कि यह भाहर इतना पिछड़ा क्यों रहा ? (विघ्न) तीस चालीस साल से वहां से ऐसा नुमाइंदा बनता आया

जिसने कभी भी उस भाहर के लिए आवाज नहीं उठाई। अगर नाम भी मैं उनका ले दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। डाक्टर मंगल सैन जी वहां से कई सालों से चुन कर आते रहे परन्तु कभी रोहतक की डिवैल्पमैंट के बारे में आवाज नहीं उठाई।

श्री मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, ये सरासर गलत कह रहे हैं। इन्होंने डिबेट को पढ़ा नहीं। मैंने रूल 84 के तहत मो ान दिया था। हाउस में झूठ बोलना पाप है।

श्री भले रामः डिप्टी स्पीकर साहब, जब ये पावर में होते हैं उस वक्त नहीं बोलते। पावर में न होते हुए बोलते हैं। (ाोर एवं विघ्न)

श्री हरि चन्द हुड्डाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चौधरी भले राम जी रोहतक के बारे में बोल रहे हैं। रोहतक के बारे में जितना मुझे पता है और किसी भी सदस्य को पता नहीं है। डाक्टर साहब भी बहुत अच्छे मौहल्ले में रहते हैं। मैं ही ऐसा हूं जो गरीब पंजाबी और हरिजनों के मौहल्ले में रहता हूं। वह बिल्कुल सड़ा हुआ मौहल्ला है। उन लोगों को रिलीफ दिया जाये। भले राम जी भी गोहाना में कोठी बना कर बैठ गये हैं। मैं रोहतक का बाि ान्दा हूं। मुझे उन लोगों की तकलीफों का सबसे ज्यादा पता है। (विघ्न)

श्री भले रामः डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने यह महसूस किया कि इस ऐतिहासिक नगर की स्थिति को सुधारा

जाये। आज तक मेरे ख्याल में किसी भी सरकार ने इस भाहर के लिये 4 करोड़ 70 लाख रूपये देने की बात नहीं की होगी लेकिन इस सरकार ने इसके लिये इतना पैसा देने के लिए प्रोग्राम बनाया है। आज तक कितनी ही सरकारें आयी हैं, लेकिन किसी सरकार ने इतना पैसा यहां पर खर्च नहीं किया होगा। पिछली बार बजट डिस्क ान के समय इस सरकार ने एक करोड़ रूपया रोहतक भाहर के लिये सैंक ान किया था। क्योंकि सारा पैसा एकदम से तो खर्च नहीं किया जा सकता इसलिये पहले इसके 10 लाख रूपया दिया गया था और अब बाकी का 90 लाख रूपया देन के लिए भजन लाल जी की सरकार ने कदम उठाया है। यह सरकार यह समझती है कि चाहे किसी का इलाका हो, कोई भी पिछड़ा हुआ इलाका हो या जरूरतमंद भाहर हो, उसका विकास किया जाना चाहिये। वहां का सीवरेज का सिस्टम टूटा हुआ है और वहां की सड़कें टूटी हुई हैं। इन कामों के लिये सरकार ने पैसा दिया है। यह बिल्कुल जायज है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सीवरेज के बोर में कल एक सवाल के जवाब में यह भी बताया गया था कि हरेक डिस्ट्रिक्ट के लिये किस प्रकार से सीवरेज सिस्टम का काम चालू किया जा रहा है। इसके लिए गोहाना का भी जिक्र आया। गोहाना के लिये 38 लाख रूपये की लागत की एक मास्टर प्लान है। मार्किट कमेटी ने पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को 20 लाख रूपया जमा भी करवा दिया है। उस पर काम चल भी रहा है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उस काम को तेजी से किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं सो ाल वैल्फेयर के बारे में भी कहना चाहता हूं। यह महकमा गरीब आदमियों के बारे में सरकार की नीति बनाता है ताकि उन लोगों का जो बिलो दी पावर्टी लाईन हैं, उनका विकास किया जाये व उनका उत्थान किया जाये। ऐसे लोगों की तरक्की के लिये, वि ोशकर हरिजनों के उत्थान के लिये, यह महकमा अनेक स्कीमें बनाता है। जैसे रिक ाा खरीदने के लिये और मैटाडोर आदि खरीदने के लिये। इसके अलावा हरिजन कल्याण निगम 100 परमिट ट्रक्स के भी देगा। इसके अतिरिक्त स्पै ाल कम्पोनेंट प्लान में सैंट्रल गवर्नमैंट की भी मदद आती है। हरियाणा सरकार भी उसमें हिस्सा डालती है। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं, जो यह सरकार चला रही है ताकि इनको समाज के दूसरे वर्गों के बराबर लाया जा सके। मैं एक बात हरिजन कल्याण निगम के बारे में कहना चाहूंगा। हरिजन कल्याण निगम जो पैसा मंजूर करती है, उस पैसे को बैंको से लेने में काफी कठिनाई पे ा आती है। हरिजन कल्याण निगम तो पैसा मंजूर करके बैंकों के पास ऐप्लीके ान भेज देती है लेकिन वहां पर प्रोसीजर बहुत लम्बा है। मेरा इस बारे में एक सुझाव यह है कि सरकार गारंटर खुद बनें हम कई बार देमखते हैं कि हरिजन कल्याण निगम ने ऐप्लीके ान मंजूर करके भेज दी लेकिन ऐप्लीकैंट को पैसा नहीं मिला। पैसा बैंक के पास पड़ा होता है लेकिन वह लैप्स हो जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हरिजन कल्याण निगम किसी ऐप्लीकैंट को पैसा मंजूर कर दे तो उसको पैसा जरूर मिलना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं

अन्त में इन डिमान्डज का समर्थन करता हूं और यह प्रार्थना करता हें कि इनको पास किया जाये।

चौधरी ओम प्रका ा (बेरी): उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंटरी ऐस्टीमैटस की फर्स्ट इन्सटालमैंट हाउस में पे ा की गयी और उस पर चर्चा चल रही है। मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं डिमांड नं0 8 बिल्डिंग्ज एण्ड रोडज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके मद नं0 1 स्वर्गीय ई ा भूटानी के डैथ कम्पनसे ान के बारे में है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2.2.1984 का है। सरकार के पास काफी समय था। इस अमाउंट का प्रोवीजन बजट प्रोपोजल्ज में कर सकती थी लेकिन जान बूझकर हाउस का समय बरबाद करने के लिये सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस के जरिये इस पेसे को मांगा गया है। यह एक अच्छी परम्परा नहीं है। इस पैसे का प्रोवीजन बजट प्रोपोजल्ज 1984–85 में किया जाना चाहिये था। इस किस्म की बातें करके, इस किस्म की परम्पराएं डालकर हाउस का समय बरबाद नहीं होना चाहिये। दूसरपे मैं आईटम नं0 6 पर भी यह कहना चाहता हूं कि इसको देखने से यह पता चलता है कि लैंड एक्वीजी ान आफिसर्ज किस तरह से गलत अवार्ड अनाउंस करते हैं। अवार्ड अनाउंस करते वक्त वे किसी बात का ध्यान नहीं रखते। गलत तरीके से वे अवार्ड अनाउंस कर देते हैं फिर बाद में उससे तीन गुना या चौगुना जमीन का भाव कोर्ट द्वारा बढ़ा दिया जाता है। आईटम नं0 6 में इसी तरह का जिक्र किया गया है। इनके

आफिसर्ज ने जिस भूमि का अवार्ड 20700 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था डिस्ट्रिक्ट एण्ड सै ान जज ने उसमें से कुछ भूमि का मुआवजा 43378 रूपये और कुछ का मुआवजा 83490 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय किया है। मेरा कहना यह है कि हमें ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिये जो लोगों को गलत मुआवजा देकर उनके साथ मजाक करते हैं अैर उनको अदालतों के दरवजो खटखटाने पर मजबूर करते हैं। हम इस पैसे का विरोध नहीं करते अगर यह बजट प्रोपोजल्ज में इसको भी इन्क्ल्यूड कर लेते। इनको इसके लिये सप्लीमैंटरीज नहीं लानी चाहिये थीं। इन डिमांडज को लाने की बजाये यदि बिल्डिंग्ज एण्ड रोडज डिपार्टमैंट की ओर से कोई अच्छी प्रोपोजल्ज लायी जाती तो हम उस पर विचार करते। एक मेरे हल्के में सड़क है। रोहतक से बेरी जाते हुए एक गांव गोच्छी बीच में पड़ता है। उस गांव के अंदर एक किलोमीटर का टुकड़ा पिछले 6 सालों से बरबाद हुआ पड़ा है। यह सरकार जान बूझकर उसको नहीं बना रही हें वहां पर 5–5, 6–6 फुट के गड्ढे पड़ गये हैं। लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कभी कहती है कि हम वहां पर बाई पास बना रहे हैं। वहां के गांव वालों ने इसका विरोध किया तो कहते हैं कि हम गांव के अंदर इस रोड़ की मुरम्मत करवा देंगे लेकिन जब उस सड़क की मुरम्मत के लिये ऐस्टीमेट जाता है तो यह कहत हैं कि इस सड़क को बनाने की जरूरत ही नहीं है। उस गांव का कसूर केवल इनता है कि उसने नवम्बर 1980 में जब चौधरी भजन लाल की जरखरीद गुलाम रहे।

आज सब को डैमोक्रैटिक राईट है। मैं यह कहूंगा कि पोलिटीकल बातों को इग्नोर करते हुए यहां पर सड़क अव य बनानी चाहिये। अगर सरकार इसके लिये सप्लीमैंटरी ऐस्टीमैटस में कुछ प्रोवीजन करती तो हम इसका स्वागत करते और हाउस से यह भी अनुरोध करते कि इनको पास कर दिया जाये। लेकिन गोच्छी गांव के लोगों को जो भी अनुरोध करते कि इनको पास कर दिया जाये। लेकिन गोच्छी गांव के लोगों को जो सड़क नहीं बनाकर दी जा रही है, यह एक घटिया बात है। वह लोकदल का हल्का है। लोक दल के एम0एल0ए0 वहां से चुन कर इस हाउस में आये हुए हैं। लोक दल पार्टी का वह गांव स्वागत करता हे। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उस सड़क से गवर्नमैंट की बहुत सी व्हिकल्ज गुजरती है जो टूट रही हैं। ये व्हिकल्ज पब्लिक फंडज से खरीदी हुई हैं, इन पर तो कुछ रहम करना चाहिये। उनका भी डैप्रिसिए ान बहुत ज्यादा हो रहा है। कम से कम इन पर तो रहम करना चाहिये। चौधरी भजन भजन लाल को जिद्दी रवैया नहीं अपनाना चाहिये बल्कि उसको छोड़ कर प्रजातांत्रिक तीरके से उस सड़क के निर्माण के लिये आदे ा देने चाहियें। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के बनाने के लिये ऐस्टीमेटस कमि नर एण्ड सैक्रेट्री टू गवर्नमैंट, बी0एण्ड आर0 के पास आये हुए हैं। उसको अब रिजैक्ट न करें बल्कि उन पब्लिक व्हिकल्ज पर रहम करते हुए और वहां के रहने वालों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए इस सड़क के निर्माण के आर्डर कर दें। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला कैंट): आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सप्लीमैंटरी डिमांडज का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ तजवीज सरकार को देना चाहता हूं और यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो काम बाकी रह गए हैं उनको पूरा किया जाए। खास तौर पर अम्बाला छावनी में स्कूलों की हालत बहुत खराब है इसलिए इनकी हालत को सुधारा जाएं कई स्कूल्ज ऐसे हैं जिनकी चारदीवारी नहीं है और उनकी छत्तों की हालत बहुत खराब है लेकिन पी0डब्ल्यू0डी0 उनकी तरफ कोई ध्यान नही दे रहा है। अगर कभी छत्त गिर पड़ी तो बच्चे नीचे दब जाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला छावनी में 1977 में मयुनिसिपल कमेटी बनी थी और इससे पहले वहां कन्टोनमैंट बोर्ड था लेकिन अभी तक म्युनिसिपल कमेटी ने उन स्कूलों पर कोई खास पैसा खर्च नहीं किया। इस साल दो स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इाईवे पर जगाधरी रोड़ बन रही है। मैंने मांग की थी कि रेलवे स्टे ान से लेकर टांगड़ी तक का तीन किलोमीटर का टुकड़ा ऊंचा कर दिया जास क्योंकि हर हफ्ते कोई न कोई हाद ाा होता हें वहां पर एस0डी0 कालिज है, डी0ए0वी0 कालिज है, सिविल अस्पताल है और उस रोड़ पर लोकल आबादी बहुत बढ़ गई है। वहां पर अन्ध विद्यालय है और सनातन धर्म की दस संस्थाएं हैं। इसलिए उस तीन किलोमीटर के हिस्से को ऊंचा कर दिया जाये। इसके अलावा अब मैं फ्लड के बारे में कहना चाहता हूं। इसके अंदर एक ही भाहर के लिए एक करोड़ रूपया फ्लड के लिए रखा गया है। मेरा कहना यह है कि अगर मेरे भाहर

के लिए दस करोड़ रूपया रख दिया जाए तो हमे ाा के लिए फ्लड की समस्या हल हो सकती है। वहां पर एक नाला है जो सौ साल पुराना है और इससे काफी नुकसान होता है। अम्बाला का नाम फ्लड वाले इलाकों की लिस्ट में आना चाहिए और इसके लिए भी रूपया रखा जाना चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान) मैं आपकी तरह नहीं हूं कि चण्डीगढ़ में कुछ बोलूं, दिल्ली में कुछ बोलूं, आन्ध्र में कुछ बोलूं और पंजाब में कुछ बोलूं। हमको भी जवाब देना आता हैं

श्री राम बिलास भार्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, यह इनका बाया डैटा है। ये 1938 से कांग्रेस के लौयल मैम्बर रहे हैं इसलिए इनको मंत्री बनवा दों

सेठ राम दास धमीजा: हम तो आज भी मंत्री से ऊपर हैं डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं0 11 अर्बन डिवैल्पमैंट की है। सड़कों की हालत काफी खराब है इसलिए उनके लिए काफी पैसा रखा जाना चाहिए। हमारे यहां हालत यह है कि अगर पन्द्रह मिनट बरसात आ जाए तो बरसात के बाद सड़कों पर इतनी कीचड़ हो जाती है कि वहां से गुजरना मु कल हो जाता है। इसलिए सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा रखा जाना चाहिए। इसके बाद सो ाल वैल्फेयर और रिहैबलीटे ान की डिमांड है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी मांग है कि इसके लिए हल्केवाइज पैसा मंजूर होना चाहिए और अम्बाला छावनी का ख्याल वि ोश तौर पर रखा जाना चाहिए।

श्री हरि चन्द हुडडाः .....

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए। (ाोर एव व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे साथियों को एक एक दो दो मिनट बोलने दें और इसके साथ साथ मैं अपने साथियों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे भी समय का ध्यान रखते हुए एक–दो मिनट से ज्यादा न बोलें।

श्री उपाध्यक्षः नहीं। अब फाइनैंस मिनिस्टर साहब बोलेंगे।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): उपाध्यक्ष महोदय, 20610705 रूपये की ये सप्लीमैंटरी डिमांडज सदन के सामने रखी गई हैं। इसमे से 11894705 रूपये हमारे खाते से जाएंगे और बाकी का जो 87 लाख कुछ रूपया है वह ऐसा है जो केन्द्र से अनुदान के रूप में गये साल में मार्च के अंत में सरकार को मिला। अब उसका केवल प्रावधान करना है कि वह पैसा आया है और उसको खर्च करना दिखाना है क्योंकि इसक लिए बजट में व्यवस्था नही ंकी गई थी। यह कुल एक करोड 18 लाख और कुछ रूपये ऐसे हैं जो हमारे बजट से और सरकार के खाते से, हरियाणा सरकार से खर्च होने हैं। इसमें से भी एक करोड़ रूपया तो केवल रोहतक में फ्लडज की प्रिवैन् ान के लिए है, बाकी का

जो 18–19 लाख रूपया है उसमें से 7 लाख 50 हजार रूपया दो नये ग्रामीण बैंकों का अम्बाला व हिसार जिलों में भ्रारू किए हैं उनके लिये सरकार को जो भोयर कैपिटल का भाग है वह अनिवार्य होता है, वह दिया गया है। इसी तरह से 8 लाख रूपया कुछ जमीनों का मुआवजा है जो सरकार ने बहुत पहले एक्वायर की थीं। यह मुआवजा बाद में हाई कोर्ट में अपील करने के बाद बढ़ा है। उस वक्त बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया लेकिन लोगों को तत्काल पेमैंट कर दी गई थी। यह पैसा उसका है। बाकी डैथ कम्पनसे ान का 3 लाख 44 हजार रूपया है। गवर्नमैंट व्हीकल्ज से एक दो एक्सीडैंट हुए जिसके कारण लोग कम्पनसे ान के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में गए और ट्रिब्यूनल ने यह कम्पनसे ान एवार्ड किया। ऐसे केस में भी पेमैंट तत्काल ही करनी पड़ती है इसलिये बजट में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। यह कोई लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं है। इससे आप यह अंदाजा लगाएंगे कि एक तरह से यह सारा ही ऐमरजैंसी खर्च है। इसमें कोई भी पैसा ऐसा नहीं है जिस पर एतराज किया जा सके। जो फ्लड की प्रिवैं ान के लिए पैसा मांगा है वह भी ऐमरजैंट खर्चा है। मैं एक बात स्पश्ट करना चाहूंगा कि मेरे कुछ साथियों ने कहा कि एक करोड़ रूपये का रोहतक के लिए प्रावधान किया है और इसको हेल किया कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बताना चाहूंगा कि यह केवल एक करोड़ रूपया नहीं है बल्कि 4 करोड़ 17 लाख रूपये का प्रावधान है। एक करोड़ रूपया तो ऐसा है जिसका पहले प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि उस

वक्त हमारे पास ऐस्टीमेटस नहीं थे या कम ऐस्टीमेटस थे। बाद में जो ऐस्टीमेटस आए और स्कीम आई तो वह टोटल 4 करोड़ 17 लाख रूपए की आई। पहले हमने इसके लिए 3 करोड़ 17 लाख रूपये बजट में रखे थे लेकिन बाद मे यह एक करोड़ रूपया और ऐमरजैंट हालत में देना पड़ा। दस लाख रूपया हमने मार्च में दिया और बाकी का 90 लाख रूपया बाद में दिया। वह टोटल स्कीम 4 करोड़ 17 लाख रूपए की है और वह भी केवल रोहतक के लिए और किसी भाहर के लिए नहीं है। यह एक करोड़ रूपया इसलिए मांगा जा रहा है ताकि लेखा जोखा बराबर हो। मेरे साथियों ने अपने क्षेत्र की या स्टेट की कुछ कमी बेि ायां जो उनकी निगाह में हैं के बारे में कुछ बातें कहीं उस बारे में मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। डा0 मंगल सैन जी ने कुछ बातें कहीं कि यह पैसे का प्रावधान तो कर दिया लेकिन यह देखना होगा कि कन्ट्रैक्टर्ज और सरकारी अधिकारी इसका सही उपयोग करें और भाहर में सड़कें और नालियां बनाते बहुत देर हो गई। रोहतक के बारे में पिछली बार भी बहुत चर्चा रही क्योंकि पिछले साल वहां फ्लड आए थे। वहां पर बहुत काम किए गए हैं जैसे सड़कों का और ड्रेनेज की सफाई वगैरह का।

श्रीमती बसन्ती देवीः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आप आज भी रोहतक भाहर में जाकर देख लें अगर कोई सड़क ठीक हो तो कहें। वह पैसा कहां खर्च हुआ है यह हमें नहीं पता।

चौधरी कटार सिंह छोकरः मैं बहिन जी को झुठला नहीं सकता लेकिन मैंने रोहतक में सड़कें ऊंची होती हुई खुद देखी हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि सारे भाहर की सड़कें ऊंची की गई हैं लेकिन चारों तरफ सड़कें ऊंची करने का काम मैंने खुद देखा है। मैं यह नहीं कहता कि सारे जिले के सड़कें ऊंची कर दी गई हैं। इतना काम एक दम नहीं हो सकता।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोद, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। पहले सड़क बना दी जाती हैं फिर सीवरेज बिछाने के लिए सड़क को तोड़ना भुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर सड़क बनाते हैं। फिर उसके बाद घरों में पानी वगैरह का कनैक ान देने के लिए फिर सड़क खोदनी पड़ती हैं अगर पहले सीवरेज बिछा दिया जाए तो बहुत सारा खर्चा बच सकता है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः उपाध्यक्ष महोदय, आर्य साहब को टैकनीक को अपनान तो बहुत मु कल है। अगर कोई घर में सीवरेज का कनैक ान न लो तो कैसे होगा। बाद में जब कोई कनैक ान के लिए एप्लाई करेगा तो सड़क तो तोड़नी ही पड़ेगी।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: If the House agrees, the sitting be extended by half an hour because there are alsop two Bills

which are to be discussed and I would request the Hon. Members to finish the agenda within thie stipulated time.

Voices: Yes.

Mr. Deputy Speaker: The time of the sitting is extended by half an hour.

वर्श 1984–85 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स (पहली कि त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी कटार सिंह छोकर: उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिकारियों की कमी बे ाी के बारे में कहा गया है। यह बहुत ही जनरल औरतों वाली बात कही गई है। इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि काम ठीक ढंग से न हो और पैसे का सदुपयोग न हो, इस बारे में मैं मैम्बर साहेबान से यही कहूंगा कि अगर कोई खास बात उनके ध्यान में हो, कोई अधिकारी कोताही कर रहा हो या गड़बड़ कर रहा हो या कोई कन्ट्रैक्टर मैटिरियल का मिसयूज कर रहा हो तो सरकार के नोटिस में लाएं। उसकी बाकायदा जांच हो सकती है और उसकी रैंमेडी भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार हर वक्त चौकस रहती है। इनको ऐसी एप्रीहैंन ान नहीं होनी चाहिए। वाटर सप्लाई की प्रौब्लम जो रोहतक में है वह मुख्य मंत्री जी नोटिस में है क्योंकि उनके पास पब्लिक हैल्थ विभाग है। उनके नोटिस में है कि वहां पर एक और वाटर सप्लाई का वर्कस बनाया जाए। उसके बाद म्यूनिसिपल

कमेटियों के इलैक ान के बारे में बात आई। कहा गया है कि अगर कमेटियों में चुने हुए लोग आ जाएं तो वे अच्दी तरह से देखभाल कर लेंगे। यह मामला पिछले साल भी सरकार के विचाराधनी था लेकिन कुछ बाधाओं के कारण नहीं हो सका। सो ाल वैलफेयर के बारे में कहा गया कि मैटाडोर खरीदी गई लेकिन कहीं नजर नहीं आई।

13.00 बजे।

यह पैसा हरिजनों को दिया गया है। डाक्टर साहब हरिजनों के बहुत नजदीक नहीं रहते हैं क्योंकि हरिजन तो गांवों में रहते हैं। अगर डाक्टर साहब गांवों में जाएं तो इनको मालूम हो जाएगा कि यह पैसा हरिजनों में ही तकसीम हुआ है और भाहरों के एफयूलिएंट तक नहीं गया है।

श्री फतेह चन्द विजः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मंत्री महोदय जवाब तो दे ही रहे हैं और पानीपत के ही रहने वाले हैं। पानीपत के बारे में इन सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस में जिक्र है। इसलिए यह भी बता दें कि जिन लोगों को जमीन एक्वायर की जाती है। जमीन एक्वायर करते समय उवनकी जमीन का रेट बहुत कम लगाया जाता है। उसके बाद लोग अदालतों में चले जाते हैं और अदालतों से कम्पनसे ान का पैस बढ़ जाता हैं इसलिए मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे इस बारे में कोई इंस्ट्रक ांज जारी कर दें कि जिस वक्त लोगों

की जमीन एक्वायर की जाती है उसी वक्त उसका ठीक रेट लगा दिया जाए ताकि लोगों को अदालतों में न जाना पड़ें इन सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस में पानीपत के होस्पीटल के लिए जो जमीन एक्वायर की गई थी उसके बारे में जिक्र है। जिस समय उस होस्पीटल के लिए जमीन ऐक्वायर की गई थी उस समय वहां पर 100 रूपय गज की जमीन थी लेकिन सरकार ने वह 60 रूपए गज के हिसाब से ऐक्वायर की थी। लोग अदालतों में गए और उनको कुद पैसा बढ़ा। इसलिए मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वे जमीन एक्वायर करते समय रेट ठीक लगोन के बारे में इंस्ट्रक ान्ज जारी करें ताकि लोगों को तकलीफ का सामना न करना पड़ें आपको पता ही है कि यहां कम्पनसे ान के बारे में हर रोज जिक्र आता रहता है।

चौधरी कटार सिंह छोकरः डिप्टी स्पीकर साहब, पानीपत होस्पीटल के लिए आज से 15 साल पहली जमीन एक्वायर की गई थी। पहले उस जगह पर खेत थे लेकिन अब भाहर बस गया है। माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा कुछ कम दिया जाता है और लोग अदालतों में जाच कर कम्पनसे ान के लिए अपील कर देत हैं। अदालतों से उनक पैसा बढ़ जाता है। पहले रेवेन्यू के हिसाब से जमीन के कम्पनसे ान का माप करते थे अब उसमें कुछ ढील दी गई है। कम्पनसे ान देने के बारे में अब सरकार की पालिसी बदल चुकी है और केन्द्र सरकार ने इस बारे में एक कानून पास

कर दिया है कि एग्रीकल्चरल लैंड को जहां तक हो सके ऐक्वायर न किया जाए। इसके अलावा पिछले सै ान में भी बताया गया था कि जिस आदमी की जमीन ऐक्वायर की जाए उसको उसकी जमीन का मुआवजा मार्किट वैल्यू के हिसाब से देने की कोि ा ा की जाए और यही कोि ा ा की जाती है कि उसको जमीन की मार्किट वैल्यू के हिसाब से पैसा मिले। ये तो पुराने केस हैं जिनके बारे में यहां पर चर्चा हुई है नए केस नहीं हैं।

श्रीमती बसन्ती देवीः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है जो रोहतक के ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, उन्होंने इस साल एक नई कार खरीदी है। कुछ दिन पहले ही पुरानी कार की ओवरहालिंग पर लगभग 20 हजार रूपए खर्च किए गए थे लेकिन फिर भी नई कार खरीद ली। रोहतक भाहर में उनको नई कार खरीदने की क्या जरूरत थी ?

चौधरी कटार सिंह छोकरः डिप्टी स्पीकर साहब, नई सरकारी कार खरीदने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। यह देखा जाता है कि पुरानी कार कितने मील चली है और इसमें कितना खर्चा आता है। अगर रोहतक भाहर में ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब ने नई कार खरीदी है तो उसके बारे में वहां पर कोई प्रस्ताव हुआ होगा। जरूरत के मुताबिक ही कार खरीदी जाती है। यदि पुरानी कार पर ज्यादा खर्च आता है और नियम के हिसाब से जितनी मील चलनी चाहिए उतनी चल चुकी है तो नई कार खरीद ली जाती है और पुरानी कार को नीलाम कर दिया जाता है। इसके

अलावा आर्य साहब ने रीहैबलीटे ान के बारे में कहा कि राइट आफ अपील नहीं है। इन्होंने डिमांड के हैंडिंग में रीहैबलीटे ान पढ़ लिया इन्होंने यह नहीं पढ़ा कि यह डिमांड किस चीज के बारे में है। सो ाल वैलफेयर और रीहैबलीटे ान इकट्ठा ही हैंडिंग लिखा जाता है। यह रीहैबलीटे ान के बारे में डिमांड नहीं है। अगर फिर कभी रीहैबलीटे ान के बारे में कोई डिमांड आएगी तो उसका विस्तार से जवाब दे दिया जाएगा। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जनरल सी बातें कहीं हैं। एक बात एक माननीय सदस्य ने कही कि मेरा इलाका पहाड़ी इलाका है वहां पर हरिजनों को हाउसिंग फैसिलिटीज दी जाए, गरीब तबके को भी हाउसिंग फैसिलिटीज दी जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, कमजोर तबके को चाहे वह भाहर में है और चाहे देहात में है हाउसिंग की फैसिलिटीज सब जगह दी जाती है। इसके अलावा चौधरी धीर पाल जी ने मिसयूज आफ फण्डज की बात कही। मैं यह कहना चाहूंगा कि इनको यह फोबिया हो गया है कि फण्डज का मिसयूज किया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य कोई पर्टीकुलर इंस्टांस बताएंगे तो उसकी जांच की जा सकती है। मेरे विरोधी पक्ष के जो साथी मिसयूज आफ फण्डज की बात कहते हैं। यह बात उनके जहन में बैठ गई है। यह उनके जहन से बाहर निकलीन बहुत मु कल है। इसके अलावा चौधरी धीरपाल जी ने यह भी कहा कि रोहतक के लिए जो एक करोड़ रूपया दिया गया है। यह बड़ी खु ी की बात है लेकिन वहां पर कोई इम्प्रूवमैंट नहीं हुई है। यह ठीक है कि वहां पा र्यिल ऐग्जीक्यू ान हुई है, फेजिज में

ऐग्जीक्यू ान हुई है। इनके कहने का मतलब यह था कि एक साथ काम नहीं हो पाया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि एक साथ सारा काम नहीं हो सकता। उस ड्रेन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। इस समय उसमें पानी का कितना डिस्चार्ज होता है और पानी ज्यादा डिस्चार्ज करनै के लिए उसको बढ़ाने में काफी समय लगेगा। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं वे सारी ध्यान में रखी जाएंगी और उन्हें कंसर्न्ड डिपार्टमैंट्स को भेज देंगे।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15700000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year eneding 31st March, 1985 in respect of Demand No. 11- Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3016000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year eneding 31st March, 1985 in respect of Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That a supplementary sum not exceeding Rs. 750000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year eneding 31st March, 1985 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

The motion was carried.

बिल्ज –

(1) दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1984

श्री उपाध्यक्षः मुझे श्री हीरा नन्द आर्य एम0एल0ए0 की आरे से महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) आर्डिनैंस, 1984 (हरियाणा आर्डिनैंस नं0 7 आफ 1984) की डिसएप्रूवल का नोटिस मिला हैं अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का टाईम सेव करने के लिये डिसएप्रूवल के नोटिस पर और बिल की कंसिड्रे ान मो ान पर इकट्ठा विचार कर लिया जाए। डिस्क ान के बाद इनकी मो ांज पर अलग अलग मतदान होगां

आवाजें: ठीक है जी।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने भी इस बिल की डिसएप्रूवल का नोटिस दिया था।

श्री उपाध्यक्षः डाक्टर साहब, आपका नोटिस टाईम पर नहीं आया था। इसलिए वह रिजैक्ट हो गया है लेकिन फिर भी आप इस पर बोल सकते हैं।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने अपना नोटिस टाईम पर दिया था। कहीं डाक में मिसप्लेस हो गया होगा। स्पीकर साहब ने मेरे से दोबारा लिखवाया है।

श्री उपाध्यक्षः डाक्टर साहब, आपका नोटिस रिजैक्ट हो गया है लेकिन आप इस पर बोल सकते हैं।

श्री मंगल सैनः ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्षः अब श्री हीरा नन्द आर्य अपनी मो ान मूव करें।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि यह सिदन महर्शि दयानन्द वि विद्यालय (सं ाोधन) अध्यादे ा, 1984 (1984 का हरियाणा अध्यादे ा सं0 7) का निरनुमोदन करता है।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सिदन महर्शि दयानन्द वि विद्यालय (सं ाोधन) अध्यादे ा, 1984 (1984 का हरियाणा अध्यादे ा सं0 7) का निरनुमोदन करता है।

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra): Sir, I beg to move-

That the Maharshi Dayanand University (Amandment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Maharshi Dayanand University (Amandment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल की डिसएप्रूवल के लिए जो नोटिस दिया है। मैं उासके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल के एम्ज एंड औबजैक्टस में जो रीजंज दिए हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो इस समय जो महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर काम कर रहे हैं, उनको अक्तूबर 1977 में लगाया गया था। ट्रैजरी बैंचिज के भाई कहेंगे कि जिस वक्त आपकी सरकार यानि जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इनको लगाया गया था। इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि जहां पर सरकार से अनेक भूलें होती हैं वहां पर यह भूल भी हमारी सरकार से इनको वाईस चांसलर एप्वायंट करने की हुई। इस भूल को स्वीकार करने में हम संकोच नहीं कर रहे। जिस समय हमें यह आभास हुआ कि

यह गलत काम हुआ है तो हमने अपनी गलती को माना। जिस प्रकार से वह व्यक्ति यूनिवर्सिटी को तबाह कर रहा है उसे बारे में हाई कोर्ट के अंदर चौधरी भजन लाल जी ने भी कहा है कि यदि यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर रहेगा तो सारी ि ाक्षा तबाह हो जायेगी। यह उनके कथन के अनुसार है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इन्होंने जो एम्ज एण्ड औबजैक्टस दे रखें हैं इसके अनुसार इस बिल में 1980 में और 1982 में दो बार अमैंडमैंट करनी पड़ी। उस वक्त हाई कोर्ट ने यह फैसला किया था कि जिस वक्त उनकी एप्वायंटमैंट की गई थी उसके मुताबिक दो टर्म यानी तीन साल के बाद तीन साल की और ऐक्सटैं ान देने की मोटे तौर पर अंडर स्टैंडिंग दी गई थी। लेकिन जब केस होई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इन्हौंने बाद में आपस में मिल कर क्या फैसला लिया और क्या मेल मिलाप किया यह समझ में नहीं आया। डिप्टी स्पीकर साहब, यदि होई कोर्ट के फैसलै को देखें तो अक्तूबर 1977 से 6 साल लें तो ये 6 साल 1983 में पूरे हो जाते हैं। आज ये जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में मेरी यह राय है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। आर्डिनैंस राजनीतिक और मैलाफाइड क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे एक साथी चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल ने हाई कोर्ट में एक रिट वाईस चांसलर के खिलाफ उनको हटाने के लिए की थी। डिप्टी स्पीकर साहब, यदि इनकी उसको हटाने की नीयत साफ होती तो उसको अक्तूबर 1983 के बाद क्यों नहीं हटाया गया ? आज हाई कोर्ट के फैसले को आए भी 11

महीने के करीब हो गए हैं लेकिन इन्होंन कानू में तरमीम लोने की क्यों जरूरत नहीं समझी ? अब 11 महीने के बाद अचानक क्या जरूरत पड़ गई ? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट में रिट इन्फ्रैक्चुअस हो जाये इसलिये इनको यह आर्डिनैंस जारी करना पड़ा। वरना कोई जरूरत नहीं पड़ती। यह मैलाफाइड इस आधार पर है कि आज उसको इनफ्रैकचुअस करने के लिए इन्होंने यह आर्डीनैंस जारी किया। यह जो आर्डीनैस किया है यह राजनीतिक तौर पर सैटलमैंट करके ही किया गया है। यदि सही मायनों में देखा जाये तो वह यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर न होकर राज सत्ता का एक केन्द्र आफिस बन कर रह गया है। वह कैम्पस भी ि ाक्षा का केन्द्र न बन करके राज सत्ता का एक अड्डा बन गया है जिसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। पीछे सोनीपत सीट के लिए लोक सभा का उप चुनाव हुआ था। उस वक्त चौधरी हरद्वारी लाल जी ने जगह जगह पर सारी विपक्षी पार्टियों के विरूद्ध जात पात की बातें करके गलत तरीके से प्रचार किया। इस प्रचार की इनकी तरफ से पूरी छूट दी हुई थी। मैं इस बात को मानता हूं कि वह इलैक ान परपजिज के लिए इनके लिए अवायडएबल न हो। यह बात हो सकती है कि यह वाईस चांसलर चुनाव परपजिज के लिए अवायडएबल न हो लेकिन मैं यह नहीं मानता कि कोई भी वाईस चांसलर खुले रूप से किसी पार्टी का समर्थन करे। किसी पार्टी के इलैक ान में हिस्सा ले। कोई भी व्यक्ति सर्विस में रहते हुए ऐसा नहीं कर सकता।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि यह वाईस चांसलर इलैक ान परपजिज के लिए अवायडएबल न हो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वह इलैक ान में हिस्सा क्यों ले रहे थे। यदि कोई वाईस चांसलर इलैक ान के लिए अवायडएबल नहीं होगा तो फिर वह किसी भी पार्टी में रह कर अपना काम कर सकता है।

श्री हीरा नन्द आर्य: जहां तक इलैक ान रूल्ज की बात है, उसके बारे में मैं कह रहा था। लेकिन जो व्यक्ति सर्विस में हैं उनके भी तो रूल्ज हैं। सर्विस में रहते हुए कोई भी व्यक्ति इलैक ान में भाग नहीं ले सकता। चौधरी हरद्वारी लाल भी तो वाईस चांसलर होते हुए एक ऐम्पलाई हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): कुछ अदायरे ऐसे होते हैं कि जिन पर एम्पलाइज वाले रूल्ज लागू नहीं होते और उनको इलैक ान आदि में भाग लेने पर पाबंदी नहीं होती।

श्री हीरा नन्द आर्य: यदि वाईस चांसलर ऐम्पलाई नहीं हो तो जो उच्च अधिकारी हैं उन पर यह पाबन्दी क्यों है ? वे यूनिवर्सिटी के अंदर रोहतक जिले के गांवों के सरपंचों की पंचायत बुलाते हैं और उनके साथ इलैक ान के बारे में मीटिंग करते हैं।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: यदि वह मीटिंग बुलाता है तो लोग क्यों जाते हैं ?

श्री हीरा नन्द आर्य: चौधरी भजन लाल जी और इनके कांग्रेस (आई) के प्रधान जहां कहीं भी जाते हैं उनको बुलाते हैं और वे इनका प्रोपोगण्डा करते हैं और इ तहार आदि निकालते हैं। जो सच बात होती है उसको कहने में मैं कोई संकोच भी नहीं करता। वे एक बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति हैं।

चौधरी भजन लाल: आप तो मंत्री रहे हैं। उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं मंत्री था इसीलिए तो मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। जब में मंत्री था तो मंत्री के तौर पर मैंने फाईल पर जो लिखा है उस पर यदि जांच की जाए तो उसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता।

प J पालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जब ये मंत्री थी और वे वाईस चांसलर थे तो उन्होंने इनको अपने कमरे में भी नहीं घुसने दिया था। (विघ्न) जब यह मंत्री थे तो कुछ करते नहीं थे। अब ये यहां जो असैम्बली में मौजूद नहीं हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: उसकी क्या मजाल थी कि वे मुझे कमरे में न घुसने दें ? मैंने तो मंत्री रहते हुए अपना काम ठीक प्रकार से किया था। रूल्ज के हिसाब से जब तक यूनिवर्सिटी को जो पैसा दिया गया उसका यूटेलाईजे ान सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक उसको और ग्रांट नहीं दी जा सकती। मैंने अपने

समय में ऐसा किया। जब उन्होंनें ग्रांट के लिए कहा तो मैंने कहा कि पहले पिछली ग्रांट के यूटेलाईजे ान सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने तो मंत्री रहते हुए कानूनी एतराज लगाये थे। उस समय उन्होंने मेरे पैरों को हाथ लगाया था और मेरी ठोढ़ी पकड़ कर कहा था कि मेरी इज्जत का ख्याल रखें।

चौधरी लाल सिंहः आप कह रहे हैं कि मेरे पैरों को उन्होंने हाथ लगाया जबकि उन्होंने तो आपको कमरे में ही नहीं घुसने दिया था।

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह जी भजन लाल जी के कैबिनेट के मंत्री हैं। इनको आप थोड़ा सा समझाइए कि ये बीच में न बोलें। अभी तो रायपुर रानी का मामला मास्टर ि ाव प्रसाद जी के सामने हैं।

चौधरी लाल सिंहः वह मामला तो खत्म हो गया। जो भी मामला उस समय इन्होंने उठाया था वह वोटें लेने के लिए उठाया था।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो रायपुर रानी का का जिक्र किया है और न ही इनके सुपुत्र के कार्यकलापों का जिक्र किया है। ये तो वैसे ही उखड़ रहे हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी हरद्वारी लाल जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन जो ये कह रहे हैं कि मेरे को उन्होंने मंत्री होते हुए कमरे में नहीं घुसने

दिया इस बारे में मैं फिर कहता हूं कि उस व्यक्ति ने तो जब मैं मंत्री थी मेरे पैरों को हाथ लगाया था। साथ ही यह भी कहा था कि मुझे माफ कर दो। मैंने कहा कि यदि आप ठीक प्रकार से काम करोगे तो मैं फिर आपको कुछ नहीं कहूंगा।

चौधरी भजन लालः जो बात अब आप यहां पर कह रहे हैं, वह बाहर कह करके देखिए।

श्री हीरा नन्द आर्यः बाहर कहने या यहां पर कहने का आपस में कोई संबंध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सोनीपत के उप चुनाव के दौरान चौधरी हरद्वारी लाल जी ने लोगों को गुमराह करने के लिए पैम्फलैट तैयार किया था यानि इ तहार आदि निकाले थे जो मेरे पास इस समय भी हैं। इस इ तहार के अंदर इन्होंने चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवी लाल जी के खिलाफ गलत बातें लिखी हैं। ये जात पात का खुद प्रचार करते हैं जबकि नाम हमारा लेते हैं। (ाोर) उन्होंने इस इ तहार के अंदर विधान सभा को तो चण्डूखाना बताया है।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः इसके अंदर क्या लिखा है, वह आप सारपा ही पढ़ कर क्यों नहीं सुना देते ?

श्री उपाध्यक्षः आर्य साहब, यह छोटी सी अमैंडमैंट थी। इस पर आप बहुत बोल लिए हैं। इस पर अभी तो डाक्टर साहब ने भी बोलना है। आपकी काफी बातें हो गई हैं। आप उनके लिए भी कुछ छोड दें। (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे बीच में क्यों बोल रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं, उस पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन यदि ये नाम लेने के लिए कहेंगे तो नाम भी बताने के लिए तैयार हूं। पिछले साल एक मंत्री के लडके को गलत तौर पर ला में ऐडमि ान दिया गया। इसी प्रकार से एक मंत्री की बहन को गलत तौर पर डिपार्टमैंट में पोस्ट क्रिएट करके नौकरी दी गई है। इनके कांग्रेस (आई) के जो प्रधान हैं, उनके लड़के को इम्तहान में नकल करते हुए पकड़े जाने पर दो साल के लिए डिस क्वालीफाई कर दिया था लेकिन इन्होंने उस डिस क्वालिफिके ान को रिमूव करवा कर उसे गलत तौर पर दुबारा नए सिरे से पास करवाया है। (ोम भोम की आवाजें)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः हमारी पार्टी के प्रधान का कोई लड़का किसी स्कूल या कालेज में नहीं पढ़ता।

श्री हीरा नन्द आर्यः उनके लड़के को नकल करने की वजह से दो साल के लिए डिसक्वालीफाई किया गया था। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, वह आदमी मैम्बर आफ पार्लियामैंट है। वे रूलिंग पार्टी के हैं उनके लड़के को दो साल के लिए डिस क्वालिफाई कर दिया गया था लेकिन इस वाईस चांसलर ने उस लड़के को डिस क्वालिफिके ान खत्म करके उसको ऐग्जाम देने की इजाजत दे दी।

श्री उपाध्यक्षः आर्य जी, अब काफी हो गया। आप बैठ जाइए। कई मौके आपको बोलने के लिए मिलेंगे। डा0 साहब ने भी इस पर बोलना है। इसके अलावा एक और बिल डिसकस होना है। अब आप बैठ जाईए।

श्री हीरा नन्द आर्यः बस एक मिनट दे दीजिए। ये बार बार हाई कोर्ट की बात कहते हैं। हाई कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि 6 साल की अवधिक के बाद इन को वाईस चांसलर रखा जाए। ये 19 महीने 10 दिन की बात कैसे करते हैं ? यह कह कर सदन को गुमराह करने की बात हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल ने हाई कोर्ट में रिट पेटी ान का जो जवाब दिया है, उसको अगर मैं हाउस में पढ़ दूं तो पता लग जायेगा कि उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाये थे और सारी पोजी ान क्लीयर हो जाती लेकिन वह जवाब मैरे पास नहीं है। (व्यवधान) जब कमी ान ने वाईस चांसलर की एज 65 साल की रखी थी, उसी वक्त इनको हटाया जाना चाहिए था। अब 11 महीने के बाद यह बात इनको कैसे सूझी ? इसका मतलब यह हुआ कि आप 11 महीने तक गलत काम करते रहे हैं और इस गलत काम को रैगुलेराईज करने के लिए यह आर्डिनैंस इ ा किया है। इसीलिए मैंने प्रस्ताव पे ा किया है कि इस आर्डिनैंस को डिसऐप्रूव किया जाए और इसको वापिस ले लिया जाए। यह सब को मालूम है कि किस तरह आई0टी0आई0 में कम नम्बर वाले लड़कों को लिया जाता है और मैडीकेल कालेजिज में .....

हुई है। इसलिए इस बिल को वापस ले लें ताकि आप उससे छुटकारा पा सकें, पढ़ने वाले विद्याथर्भ ि ाक्षा ले सकें और आने वाली पीढद्यी आप को याद करें।

श्री उपाध्यक्षः यह लफ्ज रिकार्ड न किये जाएं। अब डा0 मंगल सैन जी बोलेंगे।

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, बिल में सं ाोधन करने के लिए सदन में चर्चा हो रही है और इस बिल के मूल एक्ट का नाम महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी एक्ट 1975 है। इस बिल में पहले वाईस चांसलर की अधिकतम आयु 65 वर्श निर्धारित की थी लेकिन इस सं ाोधन के द्वारा सरकार चाहती है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति इस नि ि चत तिथि के बाद की है, उस पीरियड को रेगुलेराईज करने के लिए नया प्रोवीजन एड किया जाए। जो प्रोवीजन एड किया गया है उसमें लिखा है–

"Provided further that a person holding the office of the Vice Chancellor who was appointed of is deemed to have been appointed before the first day oa 1980, shall continue to be governed by the law in force at the time of his appointment.

अर्थात 1980 की पहली तारीख से पहले जो एप्वायंटमैंअ हो चुकी है उस पर यह आयु वाली बात लागू नहीं होगी। सरकार ने इसमें यह नहीं कहा कि यह बात कब तक लागू रहेगी। यानी जब तक वह जिन्दा हरे या दूसरे मायनों में जब तक

भजन लाल जी उन के काम से प्रभावित रहेंगे तब तक वे वाईस चांसलर बने रहेंगे।

चौधर भजन लालः इसमें ऐसी बात नहीं है। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि यह अमैंडमैंट 19 महीने वाले पीरियड पर लागू होती है, इससे आगे की बात इसमें नहीं है।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव को पढ़ा है और रिटन पैटी ान को भी पढ़ा है। जो कुछ इन की भाान में उन्होंने कहा है, अगर मैं उसको यहां ले आऊं तो मेरी आत्मा उसको हाउस में पढने की इजाजत नही देगी। इखलाक पर हमला कर रखा है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कहना कि फलां मुख्य मंत्री अमुक जगह जाता है, क्या यह सभ्य आदमी की बात है, लेकिन आप उसको अच्छा और समझदार समझते हैं, बड़ा योग्य समझते हैं।

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, बीच में कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि इनको आपके टाईम में ही एप्वायंट किया गया था और चौधरी देवी लाल ने एप्वायंटमैंट की थी। हम तो उसको हटाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गये और अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इनको रखना है तो सरकार मजबूर है।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, यह कहना कि हम गुनाहगार हैं, हमने एप्वायंटमैंअ की हैं, इसलिए मुजरिम है, गलत

बात है। यह ठीक है हम भुक्तभोगी हैं और हमारी तरह कई लोग यहां भी भुक्तभोगी हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस मर्ज की दवा हैं ? कितनी लो लैवल की आप बात कहते हैं आप यह क्यों नहीं कैटरेगरीकली कह देते कि फलां तारीख के बाद यह आदमी चांसलर नहीं रहेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, वह क्या हेराफेरी कर रहा है ? मेरे एक मित्र ने उनकी हेराफेरी की बात करनी भुरू की लेकिन इन्होंने उनको टोकना भुरू कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उस कांस्टीच्यूएंसी को रिप्रेंजेंट करता हूं और इस सदन ने मुझे सीनेट का मैम्बर भी चुन कर भेजा है। आज सितम्बर की 4 तारीख हो गयी है। पिछले अप्रैल से लेकर आज तक महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी रोहतक के रजिस्ट्रार ने मुझे एक भी कागज नहीं भेजा है। इस सिलेसिले में मैं चांसलर साहब को रात मिल कर आया हूं। मैंने उन्हें कहा कि वाईस चांसलर अपनी मर्जी के आदमी पसन्द करता है और उन्हीं को वहां रखता हैं मेरे जैसा आदमी अगर उनको मिलने जाये तो वह मिलना भी पसन्द नहीं करेगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः हाउस का टाईम खत्म हो रहा है। अगर सदन सहमत हो तो आधे घंटे के लिए हाउस बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, वह आदमी जिस आदमी को पसन्द नहीं करता उसको एक मिनट भी अपने पास नहीं रखना चाहता। ऐसे आदमी को एक मिनट भी वहां नहीं रखना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है। उसको हटा तो दिया था लेकिन बाद में उसको तन्खाह भी दे दी। बिना काम किये तन्खाह दे दी। इस दौरान वे बड़े दे ाभक्त बन गये थे। गवर्नमैंट की खिदमत करने के लिए बिना तनखाह पर काम करते रहे। इतने सज्जन आदमी बन गये थे कि जिसका कोई मुकाबला नहीं और मैं समझता हूं कि इनको उसकी आरती उतारनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, जो जो आदमी इस हाउस में उसका गहरा दोस्त होने का दावा करते हैं, उनके साथ जो बरताव किया गया वे खुद जानते हैं। यहां काफी आदमी भुक्तभोगी बैठे हैं। जहां तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, वह जितनी मनमानी यूनिवर्सिटी में कर रहा है, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिल सकती। मैं पूछना चाहता हूं यूनिवर्सिटी किस पर्पज के लिए होती है ? हायर ऐजुके ान के लिए होती है। आज दे ा भर में हमारी इस यूनिवर्सिटी का नाम

ऊंचा है। इस यूनिवर्सिटी में ये प्राईमरी स्कूल खोल रहे हैं just to accommodate his own favourite. इसका क्या मतलब हो सकता है ? क्या हमारे नेहरा साहब प्राईमरी स्कूल खोलने के योग्य नहीं हैं ? क्या इनका एजुके ान डिपार्टमैंट इतना पंगू है, इनता यूजलेस डिपार्टमैंट है जो प्राईमरी स्कूल नहीं खो सकता ? डिप्टी स्पीकर साहब, ये जिन्दगी में कभी कामयाब नहीं हुए। अभी अभी मैंने एक काल अटैं ान मो ान दिया था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि एम0बी0बी0एस0 क्लासिज में दाखिला लेने के लिए एक नई क्लाज जोडी गई है। आप पढें वह क्लाज कितनी ह्यूमरस है। उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति सो ाली, इकोनोमिकली और एजुके ानली बैकवर्ड होगा उसको दाखिला मिल सकता है। इसमें सो ाली समझ में आता है, इकोनोमिकली समझ में आता है लेकिन ऐजुके ानली बैकवर्उ वाली बात समझ में नहीं आती। ऐजुके ानली बैकवर्ड का क्या मतलब है ? क्या इसका मतलब यह है कि जिसका पिता मैट्रिक पास न हो, वह ऐजुके ानली बैकवर्ड है ? मेरे भाहर में एक आदमी कि ानदास है, वह मैट्रिक क्लास तक नहीं पढ़ा है लेकिन करोड़ पति है। इस क्लाज के मुताबिक उसका लड़का एम0बी0बी0एस0 में दाखिल हो सकता है। यह कितनी ह्यूमरस बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, उनके हर एक ान में कोई न कोई मकसद होता है। चौधरी भजन लाल जी सी0आई0डी0 का डिपार्टमैंट आपके पास है। बड़ा औनेस्ट आदमी उसका इंचार्ज है जिसके लिए मैं आपको कंप्लीमैंटस दे रहा हूं जो कि मुझे आपको देने नहीं चाहिए। उन्हें आप वहां भेजें

ताकि आपको पता लगें कि ऐडमि ान्ज में उसने तमा ाा मचा हुआ हैं आप कहते हैं कि लिख कर दीजिए लेकिन उसके खिलाफ लिख कर देने का फायदा तो तब होता यदि उसे पहले दोशी न पाय गया होता। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जस्टिस दुल्लत की रिपोर्ट पढ़ लीजिएं अगर उसमें उसे गुनाहगार करार न दिया गया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (विघ्न) उस रिपोर्ट मैं उसे पैसों के दुरूपयोग के कारण मुजरिम करार दियागया है, अप्वायंटमैंटस में इररैगुलेरिटीज करने की वजह से दोशी ठहराया गया है और विक्टेमाइजे ान के लिए भी मुजरिम करार दिया गया है। ऐसी महान हस्ती के बारे में भी वह बड़े गलत भाब्द प्रयोग करता है। वह कहता है कि मरने से पहले चूंकि उसका दिमाग काम नहीं करता था जैसा उसका स्वयं का नहीं करता है। इसलिए उसने गलत जजमैंट दे दी। डिप्टी स्पीकर साहब, जस्टिस दुल्लत कानूनी जगत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जितनी प्र ांसाच की जाए उनती थोड़ी है। जिन्होंने उनकी जजमैंटस पढ़ी हैं, वे उन्हें भूल नहीं सकते। सन 1953 में प्रिवैन्टिव डिटैन् ान ऐक्ट के तहत, जिसे आज मीसा कहते हैं, मैं का मीर मामले के संबंध में योल कैम्प जेल में था। मेरे साथ 10–12 आदमी और भी थे। हमें भी उन्होंने न्याय दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस सिब्बल इस बात को जानते हैं। खैर, यह मेरा पर्सनल मामला कहा जाा सकता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी इस भाक्स ने बख्भाा नहीं है। जिस पर मर्जी आई किताब छाप दी। जो खिलाफ बोला उसे कोर्ट में खड़ा कर दिया। इससे यूनिवर्सिटी का पैसा बर्बाद होता है क्योंकि छोटे

छोटे मामलों को भी कोर्ट में ले जाया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, ट्रैजरी बैंचिज से कह रहे थे कि उसे दो बार असैम्बली में भेजने में मेरा बड़ा हाथ रहा है। यह बात ठीक है लेकिन यह बात भी ठीक है कि उसने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की। खैर, इन पर्सनल बातों को छोड़िए। असल बात यह है कि हरियाणा का करोडों रूपया यूनिवर्सिटी में लगता है। उस रूपये को ऐसे हाथों में बरबाद नहीं होने देना चाहिए। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी इस पोस्टर में जनाब हरद्वारी लाल जी की फोटो छपी हुई है। इसे महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के प्रिंटिंग प्रैस ने छापा है। मैं मुख्य मंत्री जी आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति से क्यों डरते हो ? इनके बारे में आपकी कर्त्तव्य परायणता की बात कहां गई ? आप इस सूबे के खजाने और ला एंड आर्डर के कस्टोडियन हैं लेकिन आपकी इस वाईस चांसलर ने मिट्टी प्लीत कर दी है। अगर कहीं इलैक ान पैटि ान हो गई और यह पर्चा वहां चला यगा तो आपका आदमी अनसीट हो जाएगा। यह आदमी एक पत्थर से दो ि ाकार करता हैं मुझे पर्सनल तजुर्बा है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं इस पोस्टर में लिखा है –

"..... देहाती भाईयों ने इनकी नहीं सुनी और मुझे सफल बना दिया। लेकिन इन्होंने विधान सभा को अपने चम्मचों से भर दिया था। यह देख कर कि इन दोनों नेताओं ने विधान सभा को चंडुखाना बना दिया ..... "

चौधरी भजन लालः उन नेताओं के नाम तो बता दो।

श्री मंगल सैनः चौधरी भजन लाल को ही कह रहे होंगे। (विघ्न) चौधरी देवी लाल जी की भाान में उन्होंनें जो कुछ लिखा है वह मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी तो असूल की बात है और वह यह है कि क्या वाईस चांसलर को ऐसे पैम्फलैट छापने चाहिए ? अगर नहीं छापने चाहिए तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या ऐक ान किया है ? आज वे कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार बन रहे हैं। मैंने इनको नेक सलाह दी है कि उसे टिकट मत दें लेकिन मन से मैं चाहता हूं कि ये उसे जरूर टिकट दें क्योंकि जिस कि ती में वह बैठता है वह जरूर टूटती है। वह वाईस चांसलर यूनिवर्सिटी की बसों को गांव में भेजता है। पैसा यूनिवर्सिटी का खर्च हो रहा है। ये कहते हैं कि चुनाव लड़ने पर कोई पाबन्दी नहीं है लेकिन क्या वह चुनाव यूं लड़ेगा ? क्या आप जनता के पैसे को, टैक्स से वसूल किए हुए पेसे को, हरियाण के गरीब किसान और मजदूर के गाढ़े पसीने की कमाई को इस प्रकार से बरबाद करने की उस आदमी को इजाजत देंगे ? (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, रोहतक में एक इवनिंग कालेज था। वह बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन इन साहब ने कहा कि इवनिंग कालेज भी हमारी यूनिवर्सिट का होना चाहिए। आप मान गए और वहां का सारा स्टाफ निकाल दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में श्रीमान जी ने ऐडवर्टाईजमैंअ करके अपने चम्मचे भर्ती कर लिए। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, तपासे जी, जिनकी भजन लाल जी बहुत कद्र करते हैं जिन्हौंने इनको 23 मई को भापथ दिला दी थी और जिनको नजराने के तौर पर ये मिठाई के डिब्बे भी ले गए थे, की भाान में भी इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा हैं वे अब यहां से चले गऐ हैं। आजकल वे महाराश्ट्र में हैं। (विघ्न) भगवान उनकी उमर लम्बी करे लेकिन उनको भी बख्भाा नहीं गया है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहत हूं कि ऐसा कंट्रोवि र्यल आदमी ऐजुके ान की क्या सर्विस करेगा और उसे वहां पर क्यों बांध रखा है। हमने जो गलती कर दी है उसे आप ठीक करें। दुनिया आपका य ा गायेगी। इन भाब्दों के साथ मैं इस अमैंडिंग बिल का पुरजोर भाब्दों में विरोध करता हूं।

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की तरफ से बिल की अमैंडमैंट के बारे में तो कोई सुझाव नहीं आया जितनी बातें यहां की गई वे सब चौधरी हरद्वारी लाल के बारे में की गई। कुछ अर्सा डा0 मंगल सैन जी भी ऐजुके ान मिनिस्टर रहे हैं और श्री हीरा नन्द आर्य जी भी रहे हैं। इन दोनों ने ही एक एक साल का टर्म उसे दी है। (विघ्न)

श्री मंगल सैनः मैं कभी ऐजुके ान मिनिस्टर नहीं था। केवल पांच सात दिन के लिए मेरे पास ऐडी ानल चार्ज रहा है।

श्री जगदी ा नेहराः उन पांच सात दिनों में ही यह सब कुछ हुआ है। (विघ्न) आपका उनको अप्वायंट करवाने में और दो

साल की टर्म देने में काफ ज्यादा हाथ है। मेरे ख्याल में इनकी गलती भी नहीं है लेकिन आज ये स्वयं महसूस कर रहे हैं इन्होंने गलती की है। डिप्टी स्पीकर साहब, इनकी गलती इसलिये नहीं थी क्योंकि वह भाख्भा 10 साल तक प्रिंसिपल रहे हैं और कम से केम 7 साल तक कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर रहे हैं। (विघ्न)

डा0 भीम सिंह दहियाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। कुरूक्षेत्र में वे एक साल और कुछ महीने ही वाईस चांसलर रहे हैं। करोड़ीमल कालेज में भ्ाुरू में उन्हें प्रिंसिपल लगा दिया गया था लेकिन बी0ए0 पास हौने के कारण उन्हें कह दिया गया कि ये प्रिंसिपल नहीं लग सकते, इन्हें एम0ए0 कराओ। फिर इन्हें वहां से छुट्टी देकर भेजा गया और एम0ए0 करवाया गया।

श्री जगदी ा नेहराः इनकी बात ठीक होगी। एक साल वाइस चांसलर रहे होंगे। इन्होंने जो डिस ऐप्रूवल का नोटिस दिया है इस बारे में सदन के तीन आदमियों के सिवाए कोई भी एम0एल0ए0 नहीं बोला है। इस बात के पीछे कोई कारण होगा। डा0 मंगल सैन और हीरा नन्द आर्य जी ने डिस ऐप्रूवल का नोटिस दिया है और डा0 भीम सिंह दहिया भी इनके साथ ही हैं। पता नहीं ये तीन आदमी ही क्यों इफैक्टिड हैं ? इनका केवल मुद्दा कहने का यही था कि इसे ऐक्सटैं ान क्यों दी गई और जो ऐक्सटैं ान दी गई हैं वह भी गलत दी गई हैं। यह जो ऐक्स्टैं ान दी गई हैं यह हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार दी गई हैं। वे बीच में 19 महीने 10 दिन वाईस चांसलर नहीं रहे थे

इसलिये उस बात को रेगुलेराइज करने के लिए यह अमैंडमैंट लाये हैं। हाई कोर्ट ने फैसला उसके हक में दिया था इसलिये हमने ऐक्सटैं ान दी है।

डा0 भीम सिंह दहियाः डिप्टी स्पीकर साहब, ये अब भी गलत ब्यानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आर्डर नहीं किया। आप मुझे मौका देंगे तो मैं सारी बात बताऊंगा। हाई कोर्ट ने दो टर्म दी थी तीन तीन साल की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्टे कर दिया फिर भी इन्होंने उसे छः साल तक चला दिया। 19 महीने 10 दिन सरकार ने दिये हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिये।

श्री जगदी ा नेहराः उपाध्यक्ष महोदय, 27 अक्तूबर 1977 को वाईस चांसलर अप्वायंट हुए थे और 27 अक्तूबर 1983 को उनकी टर्म ऐक्सपायर होती थी लेकिन 19 महीने और 10 दिन हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ऐक्सटैंड किये हैं। हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, उस बात को सही करने के लिए हम यह अमैंडमैंट लाये हैं। इसलिए मेरी हाउस से दरखास्त है कि हरद्वारी लाल जी बड़े लरनड आदमी हैं, वह वाइस चांसलर पहले भी रहे और ऐजुके ान मिनिस्टर भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी टर्म बढ़ाई जा रही है। वे हरियाणा के इनटैलीजैंट आदमियों में गिने जाते हैं। इनटैलीजैन्ट मान कर ही

उन्हें वाइस चांसलर लगाया गया था। अब मेरी हाउस से प्रार्थना है कि इस अमैंडमैंट को पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि यह सदन महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) आर्डीनैंस, 1984 (हरियाणा आर्डीनैंस नं0 7 आफ 1984) को डिसऐप्रूव करता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री उपाध्यक्षः अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

डा0 भीम सिंह दहिया (रोहट): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। यह जो अमैंडमैंट की भाशा है इसमें भी गलती है। भाायद यह अनजाने से हो गई है। स्टेटमैंट आफ औब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज में भी जान बूझ कर गलत ब्यानी की गई है तथा हाउस को गुमराह किया गया है। यह मंत्री महोदय के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज इ ू बनता हैं इन दो बातों पर मैं

बोलना चाहता हूं। उसमें जो भा ाा दर्ज की गई है। वह फेक्चुअली यह है –

"Provided further that a person, holding the office of the Vice Chancellor."

जो आर्टीकल ''ए'' का यहां यूज किया गया है वह गलत किया गया है। अंग्रेजी भाशा में जहां भी डैमिनिट रैफरैंस होता है, सिचुए ान होती है वहां पर डैफिनिट आर्टीकल 'दि' आता है, 'ए' नहीं आता। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस 'ए' को 'दि' में बदला जाये। जहां तक स्टेटमैंट आफ औब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज की बात है उसमें इन्हौंने लिखा है–

"As per guidelines afforded by the University Grants Commission, Maharshi Dayanand University Act, 1975 was amended on 1st November 1980 and 20th December 1982....."

यह भी सरासर गलत है। 20 दिसम्ब्र 1982 को कोई महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी ऐक्ट अमैंड नहीं हुआ बहरहाल मार्च 1983 में जरूर अमैंड हुआ था उसके बाद एक सरकूलर या नोटिफिके ान हुई थी। उसका नम्बर L.E.G.- 10/83 है उसमें लिखा था कि 20 दिसम्बर, 1982 से यह ऐक्ट अमैंड समझा जाये। यह गलत ब्यानी मंत्री जी ने की है। इससे आगे और भी सीरियस गलतब्यानी की है जिसकी तरफ मैं हाउस की अटैं ान ड्रा करना चाहता हूं :–

"In Sh. Hardwari Lal versus Sh. G.D. Tapase and others Civil Writ No. 3658 of 1980 of High Court of Punjab and Haryana held on 16th September 1981 that on the basis of promissory estoppel, evidenced form the terms of his appointment, the present Vice Chancellor was entitle to another term of three years even though he had crossed the age limit of 65 years and that the amendment of the Act was ultra vires quo him ..... "

The next three lines of the statement of objects and reasons are most objectionable, towards which I would like to draw the attention of the House, which are as follows :-

"The Chancellor, therefore, accorded him a funcational term of 19 months and 10 dyas, during which the Vice- Chancellor could not function after his removal from office."

दो चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला था कि श्री हरद्वारी लाल को दूसरी टर्म भी तीन साल की मिलनी है इसलिये चांसलर ने 19 महीने 10 दिन की टर्म दी है। इन दो बातों में कोई तुक नहीं है। इसमें केस की हिस्टरी को कंसील किया गया है, असल बात बच गई और गलत बात जोड़ दी गई। मैं आपकी इजाजत से हाई कोर्ट की जजमैंट पढ़ना चाहता हूं–

"In view of the conslusion (2) and (4) the writ petition is allowed and a direction is issued to the Chancellor of the University Respondent No. 1 to issue notificattion

renewring the term of the petitioner as Vice Chancellor with effect 27th October 1980."

इसके बाद स्टेट गवर्नमैंट और चांसलर सुप्रीम कोर्ट में गये वहां इस जजमैंट के खिलाफ अपील की। इनको वहां स्टे में क्या मिला . ?

"Stay granted-

Speacial leave to leave is granted. Stay of the operation of the judgement of the High Court dt. 16th September 1981 is granted."

इसके बाद आगे मुकद्दमा नहीं चला। बहरहाल जो हाई कोर्ट ने किया था, वह सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। चौधरी हरद्वारी लाल सिर्फ 3 साल तक वाईस चांसलर रह सकते थे। उसके बाद जो तीन साल तक वाइस चांसलर रहे, वह इनकी मर्जी से रहे हैं क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीके ान दी जिसके तहत समझौता किया गया, कम्प्रोईज किया गया। वह भी मेरे पास हैं कम्प्रोमाईज की डिटेल्ज में ज्यादा मैं नहीं जाना चाहता। उसमें यह दिया हुआ है –

"That the applelants desired to withdraw the appeal unconditionally."

The appellants were the State Governmnet and the Chanceller. दानों ने मिलकर विदड्रा किया और कम्प्रोमाईज के मुताबिक यह हुआ–

"That the Respondent No. 1 will assume office of the Vice Chancellor immediately after the issuance of the notification in terms of the High Court judgement dated 16-9-81."

बहरहाल यह कम्प्रोमाईज लीगल लैंग्वेज में कहा जा सकता है लेकिन हम तो इसको डील कहेंगे। हमारी भाशा में तो यह डील हुआ था जो अखबारों में भी आया। 4 रिंट पैटी ांज और एक क्रिमीनल केस चौधरी हरद्वारी लाल ने चौधरी भजन लाल के खिलाफ जो किया हुआ था, वह उसने विदड्रा किया। उसके बाद स्टेट गवर्नमैंट ने और चांसलर ने यह केस विदड्रा किया। तब उसको तीन साल की ऐक्सटैं ान मिली। जहां तक 19 महीने की टर्म देने की बात का संबंध है, 19 महीने की टर्म न तो हाई कोर्ट ने और न ही सुप्रीम कोट्र ने उनको दी है। यह 19 महीने की टर्म कब दी गयी ? यह 27 अक्तूबर 1983 से दी गयी है। उस डेट से आज तक अगर यह समझते हैं कि वह ठीक काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो इनको एक अमैंडमैंट लाकर ऐक्ट को दरूस्त कर देना चाहिये था। लेकिन 11 महीने तक कैसे सोते रहे ? 11 महीने तक चौधरी हरद्वारी लाल इल्लीगल अप्वायंटी रहे। अब इनको ख्याल क्यों आया ? अब इनको ख्याल इसलिये आया कि हाई कोर्ट में एक रिट पैटी ान पैंडिंग पड़ी है। चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल और डा0 सरूप सिंह की तरफ से एक फुल बैंच के पास रिट पैंडिंग है। बैंच ने उसको 23 जुलाई के लिये लगाया। वहां से इन्होंने 20 अगस्त तक की डेट मांग ली और इन बिटवीन

3 अगस्त को यह आर्डीनैंस इ ू कर दिया। so that the writ is made infructuous. Therefore, the Bill as well as the ordinance are malafides and politically motivated and it was done to accommodate only one individual i.e. Ch. Hardwari Lal.

अगर आपकी इजाजत हो तो उनके बाकी कारनामों के बारे में भी कह दूं। भाायद भजन लाल जी यह कह दें कि फलोर दी हाउस का सहारा लेकर ही हम उनके खिलाफ कह सकते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी चीज का सहारा लूं। आपने मेरे अखबारों में भी बयान पढ़े होंगे। मैंने बाकायदा इ ि तहार और पुस्तकें उनके बारे में लिखी हैं। मैंने जो किताबें और इ ि तहार वगैरा उनके खिलाफ लिखे हैं, उनकी कापियां मैं चौधरी भजन लीाज को भी भेजता रहता हूं। दुल्लत कमी ान के सामने मैंने बाकायदा बड़े लम्बे चौड़े हल्फिया बयान दिये हैं मैं यह बात औन औथ कहने के लिये तैयार हूं कि यह यूनिवर्सिटी इस आदमी की वजह से तबाह हो चुकी है। इतीन तबाह हो चुकी है कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई कुछ भी कह दें, फौरन लोगों को वह यकीन आ जाता है। अभी एम0बी0बी0एस0 के दाखिले हुए हैं। जैसे डाक्टर साहब ने बताया सो ाली इकोनोमीकली वीकर लोगों के लिये जो सीट थी, उसे तहत रोहतक के डिप्टी एक्साईज एण्ड टैक्से ान कमि नर की बहिन ने दाखिला लिया है। उसका बाप बाकायदा इन्कम टैक्स पेई हे और उसने पिछली बार 5 लाख रूपया इन्कम टैक्स भरा है। वह इस कैटेगिरी में कैसे आ गया ? इसके अलावा यह भी चर्चा हुई कि किसी ने दाखिले के लिये एक

लाख दिया, किसी ने डेढ़ लाख दिया तो किसी ने दो लाख दिया। हम कहेंगे तो मुख्य मंत्री महोदय झट से यह कह देंगे कि लिखकर दे दो, हम इन्कवायरी करवा लेंगे। आपने पहले भी कई इंक्वारियां उसके खिलाफ करवाई हैं: हमें अब इनमें कोई यकीन नहीं रह गया है। अगर चांसलर या सैंट्रल गवर्नमैंअ कोई जुडी ीयल इंक्वायरी करवाये तो मैं एफीडैविट देने के लिए अब भी तैयार हूं कि किस ने एक लाख दिया किसने दो लाख दिया। ऐसे भाख्स को आप वाइस चांसलर बनाये रखना चाहते हो। मैं तो यह कहता हूं कि इस महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर सन्त हरद्वारी लाल यूनिवर्सिटी रख दिया जाये और इनकी टर्म लाइफ टर्म कर दी जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासनी हुए)

क्लाज 3

प्रो0 सम्पत सिंह (भट्टू कलां): स्पीकर साहब, महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल सदन में आया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो बिल इस सदन में सं ाोधन के लिये आते हैं, वह ऐसे आते हैं जिनसे आम लोगों

का भला होता है और लोग इंतजार करते हैं कि इनका उनके ऊपर कोई अच्छा असर पड़ेगा और उनका फायदा होगा लेकिन जिस तरह से विधान सभा के अंदर अपनी मैजोरिटी का फायदा उठाकर और किसी एक व्यक्ति वि ोश के फायदने के लिये यह बिल लाया गया है, उससे तो इस विधान सभा का मतलब ही डिफिट हो जाता है। इस विधान सभा का परपज ही खत्म हो जाता है। इस विधान सभा को बुलाने या चलाने में जो पैसा खर्च होता है, वह पब्लिक मनी खर्च होता है। एक व्यक्ति वि ोश के बैनिफिट के लिये, जिस की उम्र 65 वर्श से ऊपर की हो गई हो, उसको छुट्टी से बचाने के लिए यदि इस तरह सं ाोधन कर दिया जाये तो इससे गलत और कोई बात नहीं हो सकती। इमसें स्टेट इन्ट्रैस्ट या पब्लिक इन्ट्रैस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तो सिर्फ एक व्यक्ति वि ोश की बात है। मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। इन महोदय ने इस यूनिवर्सिटी को कांग्रेस (आई) यूनिवर्सिटी में बदल दिया है। मुख्य मंत्री जी की स्टेज पर जाकर कांग्रेस (आई) के फेवर में बातें करता है। यह भी यहां पर कह दिया गया कि एडमि ान के वक्त पैसा लिया गया है। स्पीकर साहब, मैं एक दो फैक्टस आपके सामने इनके अलावा रखना चाहता हूं। आपके जरूर पता होगा क्योंकि आप तो अखबार पढ़ते रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ साथी मेरे ऐसे हों, जिनको इस बात का पता न हो और उन्होंने न पढ़ा हो एम0बी0बी0एस0 की ऐडमि ान के लिए पी0एम0टी0 का एक टैस्ट होता है। उस टैस्ट में बैठने के लिये

80–90 परसैंट मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी बैठते हैं। अब तो 95 या 98 परसैंट मार्क्स भी आने लग गये हैं। यह तो एक अलग बात है। उस टैस्ट में बैठने के लिये जो पहले पर्चा था, वह पहले ही लीक हो गया। वह बाकायदा लोग लिये फिरते थे। आप की देखिये इन्टैलीजैंट बच्चे जो रात रात भर तैयारी करते रहें, उनको क्या हाल होगा ? दूसरी तरफ जो बच्चे गुलछर्रे उड़ाते रहे, वह उसमें पास हो गये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अभी हाउस के सामने एक बिल और रहता है। इसलिये अगर हाउस की सैन्स हो तो हाउस का समय एक घंटा और बढ़ा लिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल 1984 (पुनरारम्भ)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, पहला पेर जो लीक हो गया था, वह तो तकरीबन हरेक को पता लग गया था, वह तो

दोबारा हो गया लेकिन दूसरा पेपर पब्लिक में तो लीक नहीं हुआ लेकिन जिन लोगों की पहुंच थी, उन लोगों की प्राइवेट रूम्ज में बिठा कर पहले ही वह पेपर करवा दिया गया। इस किस्म के लोग जब बाद में डाक्टर बनेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा। जब आप्रे ान होगा तो या तो कैंची ही आप्रे ान करते वक्त बीच में छोड़ देंगे या कोई दूसरी चीज छोड़ देंगे। अगर किसी का हाथ का आप्रे ान करना होगा तो उसका पांव का आप्रे ान कर देंगे। इसमें हुई एडमि ान के बारे में मेरे से पहले बताया ही जा चुका है कि कैसे हुई हैं

श्री अध्यक्षः इस स्टेज पर तो इतना लम्ब बोलने की बात नहीं है।

प्रो0 सम्पत सिंहः मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। स्पीकर साहब, ऐडमि ान पालिसी के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आयी थी कि दे ा में जितने भी कालेजिज हैं, उनमें 30 प्रति ात स्टुडैंटस दूसरी स्टेट के लिये जाने चाहियें। कहने का मतलब यह है कि इतनी सीटें उनके लिये रिजर्व रहेंगी। आपको यह जानकार हैरानी होगी कि दे ा की किसी भी यूनिवर्सिटी ने इस फैसले को इस साल यह कह कर लागू नहीं किया कि इस समय तक तो ऐप्लीके ान्ज वगैरा ली जा चुकी थीं और सारा काम हो चुका था लेकिन इन महोदयन ने इसको यहां पर लागू किया। स्पीकर साहब, 30 परसैंट दूसरी स्टेटस के लोगों को एडमि ान देने के रूल को इसलिये लागू किया क्योंकि अब ये रोहतक से चुनाव

लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हौंने अपने आकाओं को दिल्ली में खु ा करने के लिये 30 परसैंट रिजर्वे ान पालिसी को लागू करके हरियाणा के हितों को न्यौछावर कर दिया।

14.00 बजे।

स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में पी0एम0टी0 के लिये किसी भी यूनिवर्सिटी में इन्टरव्यू नहीं होता और उसके लिये कोई मार्क्स नहीं होते लेकिन चौधरी हरिद्वारी लाल ने सब स्टेटस से अलग तरीका निकाला और पन्द्रह मार्क्स पी0एम0टी0 के इन्टरव्यू के लिये रखे। जिसको वे चाहे पन्द्रह नम्बर दे दें और जिसको चाहें जीरो नम्बर दे दें। स्पीकर साहब, इस ढंग से वहां एडमि ांज हो रहे हैं। इस तरह का खिलवाड़ वहां किया जा रहा है। इसलिए इस आदमी की जितनी जल्दी छुट्टी कर दी जाए उतना ही अच्छा है।

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, बातें तो सारी ि ाक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री के ध्यान में आ चुकी हैं लेकिन वह आमदी इतना जाबर हो चुका है कि उसके सामने इन्होंने हथियार डाल दिये हैं। यह ि ाक्षा का मामला है और हमारे तीन चार जिले इस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। वहां पर ि ाक्षा की इतनी तबाही हो चुकी है कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी बी0एड0 के दाखिले हुएं (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब आप खत्म करें।

श्री राम बिलास भार्माः इसलिये मेरा कहना यह है कि यदि इसका नाम बदलकर हरद्वारी लाल यूनिवसिर्टी रख दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं टाईल के बारे में बोलना चाहता हूं। आज अखबारों में छपा है कि रोहतक में वाइस चांसलर के बंगले के बाहर लोग उनको कहना चाहते थे कि हमसे पैसा तो ले लिया, हमारा दाखिला क्यों नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्षः वह बात तो आ गई है।

श्री मंगल सैनः मैं तो अखबार में जो छपा है उसके बारे में कहना चाहता था।

श्री अध्यक्षः प्र न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) दि पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1984

श्री अध्यक्षः मुझे श्री हीरा नन्द आर्य की तरफ से पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैंस, 1984 (हरियाणा आर्डिनैंस नं0 4 आफ 1984) की डिसऐप्रूवल का नोटिस मिला है। अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का टाईम सेव करने के लिये डिसऐप्रूवल के नोटिस पर तथा बिल की कंसिड्रे ान मो ान पर इकट्ठा विचार कर लिया जाए। डिसक ान के बाद इनकी मो ान्ज पर अलग अलग मतदान होगा।

Voices: All right, Sir.

कि बिल पास किया जाए।

Sh. Hira Nand Arya: Sir, I beg to move-

That this House disapporves the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Ordinance, 1984 (Haryana Ordinance No. 4 of 1984).

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तु हुआ–

कि यह सदन पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैंस 1984 (हरियाणा आर्डिनैंस नं0 4 आफ 1984) को डिसऐप्रूव करता है।

Minister of State for Revenue (Sh. Lachhmand Dass Arora): Sir, I beg to move-

That the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्हौंने 25 जून को आर्डीनैंस जारी किया है। इसको जारी करने की इतनी क्या ऐमरजैंसी थी जब कि दो महीने बाद सै ान आने वाला था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसे क्या सरकमस्टान्सिज आ गए थे ? पहले भी इस प्रकार की गल्तियां की गई हैं लेकिन उनको सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। डैमोक्रेटिक तरीका तो यह है कि जब असैम्बली का सै ान आ रहा हो तो काई आर्डिनैंस न निकाला जाए और सदन में अच्छी प्रकार से विचार विम र्ा करने के बाद बिल पास किया जाए। हमको अच्छी रिवायात डालनी चाहिए। अगर सरकार आर्म्ड फोरसिज को कोई फायदा पहुंचाना चाहती है तो कोई भी इसके खिलाफ नहीं होगा लेकिन सरकारने जो तरीका निकाला है वह कोई डैमोक्रेटिक तरीका नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं। हमें ऐसी रिवायात डालनी चाहिएं जिससे कि आने वाली पीढ़ियां कुछ अच्छी बातें सीखें। स्पीकर साहब, हमने देखा है कि सरप्लस जमीन के लिए सरकार ने 18,

27 और 54 एकड़ जमीन की हद मुकर्रर की है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगौं को सरप्लस जमीन दी गई है ? सरकार ने सिर्फ उनको एक लालच दे दिया है जिससे कि वे अमन चैन से न रह पाएं और लड़ते रहें। किसी मुजारे को जमीन नहीं मिली। स्पीकर साहब, किसान की जमीन की तो हद मुकर्रर कर दी, लिमिट बांध दी कि ए क्लास जमीन 18 एकड़ होगी, बीच की जमीन 27 एकड़ होगी और तीसरी किस्म की 54 एकड़ होगी लेकिन क्या सरार ने भाहरों की जायदार को बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन इनके लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया कि अर्बन जायदाद की सीमा मुकर्रर हो।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): बीस सूत्री प्रोग्राम में अर्बन प्रौपर्टी के बारे में भी है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, इस बिल के औब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज में लिखा है कि आर्म्ड फोर्सिज के लोग जो रिटायर हों, डिस्चार्ज हों, या नौकरी करते हुए स्वर्गवास हो जाएं तो वे या उनके बच्चे अपनी जमीन पर सैटल हो जाएं और इसके लिए एक साल का समय दिया गया है। मेरा कहना यह है कि एक साल का समय कम है इसको दो या तीन साल का समय बढ़ाना चाहिए। स्पीकर साहब, सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर ऐक्ट के तहत सैक ान 9ए में जो बेदखली कराई जाती है और छोटे मालिक के टेनैंट को सरप्लस जमीन अलौट होने पर बेदखल किया जाता है और अब इस अमैंडमैंट के द्वारा आर्म्ड फोसिर्ज के लोगों

की जमीन से टेनैन्ट को सीधे तौर पर बिना भूमि अलौट किए बेदखल करने का नया अमैंडमैंट ला रहे हैं। जहां तक इस अमैंडमैंट का ताल्लुक है सिद्धान्त रूप में हमें इससे कोई विरोध नहीं है लेकिन समय कम दिया जा रहा है। कम से कम तीन साल का समय मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इमिजिएट टेनैन्ट है जो बेदखल होगा उस टेनैन्ट को कहीं कोई राहत देने के लिए उसको एकमोडटे करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिएं

श्री वीरेन्दे सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, इस बिल के जरिये यह जो अमैंडमैंट आ रही है और क्लाज 9 बी ऐड की जा रही है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, समर्थन मैं इसलिये कर रहा हूं कि हमारे नौजवान साथी जो किसान परिवारों से हैं वे 10–10, 12–12 और 14–14 साल तक फौज में सख्त नौकरी करते हैं। छोटे किसान परिवार के अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनको फौज की नौकरी के बाद जमीन के अलावा और कोई चारा नहीं मिलता। अगर क्लाज 9बी ऐड न होती तो वे बेचारे बेकार घूमते क्योंकि और काम धन्धा कर नहीं सकते। इससे यह लाभ होगा कि अगर वह रिटायरमैंट के बाद एक साल के अंदर अंदर एप्लाई कर दे तो वह इजैक्टमैंट सीक कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह फौजी भाईयों के लिए एक अच्छे बैनिफिट की बात है। जनता सरकार ने भाहरी जायदाद के बारे में फौजियों को प्रोटैक ान दी थी। मैं भी कमेटी का

मैम्बर था पता नहीं यह बात उस समय कैसे रह गई। मैं इसका समर्थन करता हूं।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर): स्पीकर साहब, इस बिल के औबजैक्टस एंड रीजंज में लिखा है कि टेनैन्ट किसी समय भी बे दखल किया जा सकता है लेकिन आप भी वकील हैं और आपको पता ही है कि पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर ऐक्ट टेनैन्टस की सिक्योरिटी के लिए बना था लेकिन इसमें टेनैन्ट की सिक्योरिटी का कोई प्रोवीजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: टेनैन्ट के मुकाबिले में आप उस आदमी के बारे में सोचें जो दे ा की प्रोटैक ान के लिए सारी जिन्दगी दे ा की सेवा करता है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, टेनैनट को भी कम से कम प्रोटैक ान तो चाहिए लेकिन इस सैक ान में उसका कोई प्रोवीजन नहीं है। सैक ान 9ए में उसकी प्रोटैक ान है कि अगर उसको इजैक्ट किया जाए तो उसे सरप्लस लैंड दी जाए लेनि इस सैक ान में यह प्रोवीजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सैनी साहब यह तो प्रोसीजर को ब्रीफ किया है कि उसको ज्यादा दु:खी न होना पड़े।

चौधरी साहब सिंह सैनी: इस बात का तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन जो आदमी बेदखल किया जाएगा उसके लिए प्रोटैक ान नहीं है। इसलिये मेरी गुजारि ा है कि इसमें उसकी

भी प्रोटैक ान का प्रोवीजन होना चाहिए क्योंकि यह ऐक्ट टेनैंटस के लिए है। जिन मालिकान की जमीन सरप्लस में निकाल दी गई है और वह आगे अलौट भी कर दी गई उन मालिकों को समय पर कम्पनसे ान नहीं दिया जाता है। बहुत से केस ऐसे भी पड़े हैं कि टेनैंटस को सरप्लस की जमीन अलौट नही की जाती और उनको अदालतों में जाना पड़ता है। कुछ केस ऐसे हैं जो 1953 से लेकर आज तक सैटल नहीं हुए हैं। मेरी गुजारि ा है कि टेनैंट को प्रोटैक ान देने के लिए इसमें कुछ अमैंडमैंट करें।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना–अनुसूचित जाति)– स्पीकर साहब, मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन जिस भावना से सैनी साहब अभी बोल रहे थे वे अपनी बात को कलीयर नहीं कर पाएं मैं चाहूंगा कि आर्मड फोर्जिज के जो आदमी रिट्रैंच होकर आते हैं या छुट्टी लेकर आते हैं, मैं सहमत हूं कि उनको बैनिफिट दिया जाना चाहिए लेकिन इसमें यह भी प्रोबाइजाक कर दी जाए जिससे टेनैंट की भी प्रोटै ान हो। जो आदमी इजैक्टमैंट के लिए ऐप्लीके ान दे वह सैल्फ कल्टीवे ान के लिए दे वरना इजैकटमैंट नहीं होनी चाहिए। दूसरे मैं यह भी चाहूंगा टेनैंट को बे दखल करने के बाद उसे सरप्लस जमीन में से जमीन दी जाए। इस ऐडी ान और प्रोवीजन के साथ बिल पास कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष– प्र न है–

कि यह सदन पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योरर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डीनैंस 1984 (हरियाणा आर्डीनैंस नं0 4 आफ 1984) को डिस एप्रूव करता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

चौधरी ओम प्रका ा (बेरी): स्पीकर साहब, इस बिल की क्लाज 2 के जरिये सैक ान 9बी ओरिजीनल ऐक्ट में ऐड की जा रही हैं। जहां तक आर्मड फोर्सिज से डिस्चार्ज होने रिटायर होने या लड़ाई के दौरान मर जाने वाले फौजियौं के लाभ के लिए इसमें प्रावधान किया है वह बिल्कुल ठीक है लेकिन जो एक साल के अंदर अंदर ऐप्लीके ान देने का प्रोवीजन किया है यह बहुत कम है। यह कम से कम तीन साल होना चाहिए क्योंकि रिटायर होने के बाद जब कोई आदमी आता है तो उसको सैटल होने में

काफी समय लगता है। इस कारण से इस प्रोवीजन को एक साल की बजाए तीन साल का कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा टेनैंटस की प्रोटैक ान के लिए भी इसमें प्रोवीजन किया जाना चाहिए। यह बात तो ठीक है कि आर्मड फोर्सिज के पर्सोनल जब आएं और इजैक्टमैंट की ऐप्लीके ान दें तो वह मंजूर हो जाए और उसे एकदम कब्ज दे दिया जाए लेकिन जो सरप्लस जमीन बचती हैं उसमें भी प्रियारिटी फिक्स की जाए। यानी जो ऐसे मुजार बे दखल किए जाएं पहले उनको जमीन दी जाए। इस सुझाव का मानते हुए अगर यह अमैंडमैंट पास कर दी जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा (जगाधरी): स्पीकर साहब, इस बिल की क्लाज 2 के बारे में मैं सिर्फ इतना चाहूंगाकि यह जरूर देखा जाए कि जब कोई आदमी मिल्टरी ज्वायन करता है उस वक्त खाना का त के अंदर उसका नाम होना बहुत जरूरी है। (विघ्न) अगर वह उस वक्त उस जमीन को का त करता है तब तो फौज से रिटायरमैंट के वक्त उसको उस जमीन का कब्जा दिलाया जाए और अगर किसी वजह से वह जमीन खाना मलकियत में नहीं है तो कब्जा न दिलाया जाए। (विघ्न) मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी वजह से अगर किसी फौजी के फादर नहीं हैं और उसकी जमीन पर कोई हरिजन पिछले 20–25 साल से बैठाच है और लड़के के नाम उस जमीन की मलकियत है वह लड़का यदि फौज ज्चायन कर लेता है और अपनी सर्विस पूरी करके आता है

तो उस जमीन पर पिछले 20–30 साल से जो मुजारा बैठा है उसको इस कानून के आने से एकदम हटा दिया जाएगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल में ऐसा प्रोवाइजो जरूर रखा जाए जिससे उस मुजारे के इन्ट्रैस्ट का भी जरूर ख्याल रखा जा सके।

श्री अध्यक्ष– प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष– प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष– प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष– प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष– प्र न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Minister of State for Revenue (Sh. Lachhman Dass Arora): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक एडजर्न किया जाता है।

14.24 बजे।

(तत्प चात सदन बुधवार दिनांक 5 सितम्बर 1984 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)